



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223194
CG-DL-E-19112020-223194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942
No. 598]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 729(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम जिन्हें केन्द्र सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 की 37) की धारा 133 और 134 जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा –

1. गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1990 ;
2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) नियम, 1998;
3. आदर्श कारखाना नियमावली;
4. खान नियमावली, 1955;
5. खान बचाव नियमावली, 1985 ;
6. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966;
7. पिटहैड बाथ नियमावली, 1959;
8. खान शिशुगृह नियमावली, 1966;
9. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971;
10. अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियमावली, 1979;
11. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध नियमावली, 1957;
12. सिने कामगार और सिनेमा थिएटर कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1984;
13. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियमावली, 1976

का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, बनाने का प्रस्ताव किया जाता है और इन्हें उक्त धारा 133 की उप-धारा (1) और धारा 134 की उप-धारा (1) में यथा वांछित प्रावधानों के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, कि प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराए जाने के 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों तो उन्हें श्री शिव कांत कुमार, अवर सचिव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली को या ई-मेल shivkant.kr@gov.in और fasli@dgfasli.nic.in पर भेजे जा सकते हैं। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पत्तों और कॉलम (ii) में उस नियम अथवा उप-नियम जिसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है और कॉलम (iii) में संशोधित नियम अथवा उप-नियम जिसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है और उसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से ऊपर विनिर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियमावली

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ** – (i) इन नियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियमावली, 2020 कहा जा सकता है।

2. ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे।

3. ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2.

1. इन नियमों में जबतक परिप्रेक्ष्य में अन्यथा आवश्यक न हो –

(क) “संहिता” का अभिप्राय व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 से है।

(ख) “धारा” का अभिप्राय संहिता की धारा से है।

(ग) “प्रपत्र” का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(घ) “पंजीकरण अधिकारी” का अभिप्राय केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए पंजीकरण अधिकारी से है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में नहीं हैं, का अर्थ क्रमशः संहिता में उन्हें दिए गए अर्थ से होगा।

अध्याय II

पंजीकरण

3. **धारा 3 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन –**

(1)(i) कोई नियोक्ता किसी ऐसे प्रतिष्ठान जो पहले से पंजीकृत नहीं है, के लिए पंजीकरण हेतु श्रम सुविधा पोर्टल पर **प्रपत्र-I** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रतिष्ठान के पंजीकरण, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता के पते जैसा कि प्रपत्र में निर्दिष्ट है, से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। प्रपत्र पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य पद्धति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आबंटित आवेदक अथवा प्रतिष्ठान के स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा उस समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान को आबंटित किसी अन्य विशिष्ट संख्या अथवा प्रपत्र में दिए गए अन्य किसी विवरण का सत्यापन ऑन लाइन किया जा सकता है।

(iii) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाणपत्र **प्रपत्र-II** में डिजिटल रूप से तत्काल किन्तु पूर्ण आवेदन जमा किए जाने की तारीख से 7 दिन तक जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर ऐसे प्रतिष्ठान को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण-पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

यह प्रावधान किया जाता है कि आपवादिक परिस्थितियों में केन्द्र सरकार ऐसी अवधि के लिए अधिसूचना द्वारा भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण देश को प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता से अलग कर सकती है और इस प्रकार उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में आवेदन भेजने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

- (2) संहिता के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाले नियोक्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर इसका अनुपालन करने का निदेश दे सकता है और ऐसे नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी निदेश का अनुपालन किया जाएगा।
- (3) उस समय के लिए लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अंतर्गत पहले से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता पंजीकरण संबंधी विवरणों को संहिता के लागू होने की तारीख से 6 माह के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर अद्यतित करेगा।
- (4) गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है बशर्ते उस प्रतिष्ठान को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा यह कारण बताने का एक अवसर दिया गया हो कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को क्यों न रद्द कर दिया जाए।
- (5) नियोक्ता द्वारा संहिता अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में उसके द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।
- (6) स्वामित्व, प्रबंधन अथवा विशिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रपत्र में दिए गए किसी विवरण में बदलाव को नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रतिष्ठान जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसके कारोबार से संबंधित कार्यकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, का नियोक्ता श्रम संबंधी संहिताओं के अंतर्गत देय बकायों का पूरा ब्यौरा देने के पश्चात श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण को रद्द करने के लिए विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

बशर्ते की जब तक नियोक्ता द्वारा सभी सांविधिक विवरणियां जमा न कर दी जाए, केन्द्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अंतर्गत सभी सांविधिक बकायों का भुगतान न कर दिया जाए और उस आशय से संबंधित एक स्व प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ जमा न दिया जाए तब तक पंजीकरण के रद्द किए जाने संबंधी ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-III में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठान का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रतिष्ठान के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे जिसके संबंध में उसके द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

9. नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्र जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान अथवा कार्य, जैसा भी मामला हो किया जाना है, के क्षेत्राधिकार में आने वाले निरीक्षक—सह-सुविधा प्रदाता को किसी कार्य के आरंभ अथवा पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा जिसमें कार्य के आरम्भ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने, जैसा भी मामला हो, की वास्तविक तिथि की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र IV में इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी जो ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ स्वतः साझा हो जाएगी।

4. धारा 3 के अंतर्गत अपील -(i) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट नियोक्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) जिस मामले में अपील का ज्ञापन उपयुक्त होता है उसमें अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, इसकी पावती भेजेगा और ऐसी अपील को स्वीकार किए जाने के संबंध में सूचित करेगा और अपीलों के रजिस्टर में दर्ज किए जाने के प्रयोजनार्थ अपील को इलैक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा।

(iii) अपील स्वीकार कर लिए जाने पर अपील अधिकारी पंजीकरण अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को अपील का नोटिस भेजेगा और पंजीकरण अधिकारी अपील अधिकारी को उस मामले के अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेजेगा।

(iv) अपील प्राप्त होने पर अपील अधिकारी अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह अपील की सुनवाई के लिए नोटिस में निर्धारित की गई तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित हो।

(v) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आदेश की प्रति भेज कर अपील अधिकारी अपीलकर्ताओं के उपस्थित होने में विफल रहने के कारण अपील को खारिज कर सकता है।

(vi) यदि कोई अपील खारिज कर दी गई है तो अपीलकर्ता आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी को अपील को बहाल करने के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता समुचित कारण से उपस्थित नहीं हो पाया तो अपील अधिकारी उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(vii) अपील अधिकारी का आदेश अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और इस अपील को निष्पादन अपील के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

5. धारा 5 के तहत कार्य शुरू करने और समाप्ति की सूचना- प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कारखाना या खान हो या अनुबंध ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठान, का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी को प्रपत्र-IV में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायानों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

अध्याय-III

नियोक्ता और कर्मचारी के कार्य

6. धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच:- कारखाने, गोदी, खान तथा भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले प्रत्येक कामगार के स्वास्थ्य की जांच वार्षिक रूप से अर्थात् प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ होने के 120 दिनों के भीतर निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा जांच किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा प्रपत्र V में दिए गए व्यौरे के अनुसार कराई जाएगी। योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजा जाएगा।

7. धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अंतर्गत कर्मचारी को नियुक्ति पत्र – किसी प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस नियम के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाए:

प्रावधान किया जाता है कि किसी कर्मचारी जिसे वांछित विवरणों के साथ नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, को इस नियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

फॉर्मेट

- (i) कर्मचारी का नाम:
- (ii) पिता का नाम:
- (iii) आधार संख्या:
- (iv) प्रतिष्ठान की श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):
- (v) सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)/बीमा संख्या (ईएसआईसी):
- (vi) पदनाम:
- (vii) कौशल की श्रेणी:
- (viii) कार्य ग्रहण की तिथि:
- (ix) वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता:
- (x) आवास, जहां लागू हो, सहित अन्य भत्ता:
- (xi) उच्चतर वेतन/उच्चतर पद प्राप्त करने के अवसर:
- (xii) लागू सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ और ईएसआईसी के लाभ की अनुप्रयोज्यता:
- (xiii) स्वास्थ्य जांच:
- (xiv) किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत प्रकृति:
- (xv) कोई अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर

अधिभोगी/नियोक्ता/स्वामी/एजेंट/प्रबंधक

8. धारा 10 की उप-धारा (1) और धारा 11 के अंतर्गत दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना –

(1) किसी प्रतिष्ठान, जो कोई कारखाना, गोदी कार्य, खान, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य हो सकता है, में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पर प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा प्रबंधक अथवा अधिभोगी इसकी सूचना प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को देगा और जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारी, नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी और घायल अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को दूरभाष पर देगा।

(2) किसी प्रतिष्ठान, जो कोई कारखाना, गोदी कार्य, खान, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य हो सकता है, में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा स्वामी अथवा प्रबंधक 48 घंटे की अवधि पूर्ण होने पर के 12 घंटों के भीतर निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदान को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देगा।

(3) किसी प्रतिष्ठान में संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, 12 घंटे के भीतर प्रपत्र 6 में एक नोटिस निम्नलिखित को भेजी जाए:

- (क) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता;
- (ख) जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारी

बशर्ते कि यदि उक्त उप नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलैक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के 12 घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि उप नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता विहित प्रपत्र में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि 48 घंटे पूर्ण होने, के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं के निम्न वर्ग, चाहे वे व्यक्तिगत चोट या अशक्तता में शामिल हों, अर्थात् :-

- (i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;
- (ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच, उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिन्हें व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना;
- (iii) विस्फोट, विस्फोटक, आग, रिसाव के कारण विस्फोट या हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव, किसी भी पिघले हुए धातु के रिसाव या गर्म द्रव अथवा गैस का रिसाव जिनके कारण उस कमरे या स्थान, जिसमें व्यक्ति नियोजित है, को नुकसान पहुंचता है या उसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है;
- (iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट।
- (v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब होना या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;
- (vi) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार, या मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मंचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना; संपर्क कार्य, उत्खनन और पारेषण का खराब होना;
- (vii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;
- (viii) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना;
- (ix) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिरना;
- (x) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग (जैसे 'बम्प') का अचानक खराब होना;
- (xi) जमीन के नीचे कार्य करते समय विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;
- (xii) किसी भी यंत्र या उपकरण के आवश्यक पुर्जों का टूटना, फ्रैक्चर या खराब होना जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xiii) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;
- (xiv) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; ब्लोआउट;
- (xv) किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फलैश से उत्पन्न स्पाक जिससे कोई व्यक्ति जल सकता है;
- (xvi) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन;

9. धारा 12 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत बीमारी की सूचना – (1) किसी प्रतिष्ठान, जिसमें संहिता की तीसरी अनुसूची में यथा अधिसूचित किसी बीमारी की घटना होती है, के नियोक्ता अथवा मालिक अथवा प्रबंधक द्वारा निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता अथवा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

बीमारी की सूचना

- (1) प्रतिष्ठान का नाम:
- (2) प्रतिष्ठान की प्रकृति:
- (3) खान के मामले में खनिज का नाम:
- (4) मरीज का विवरण:

- (क) मरीज का नाम:
- (ख) मरीज की संख्या:
- (ग) मरीज का पता:
- (घ) मरीज का यथार्थ व्यवसाय:
- (5) पीडित मरीज की बीमारी की प्रकृति:
- (6) बीमारी का पता लगने की तिथि:
- (7) मेडिकल प्रैक्टिशनर का विवरण:
- (8) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:

दिनांक:

नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

(2) यदि किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किसी प्रतिष्ठान में नियोजित किसी व्यक्ति की जांच करता है और उसका यह विश्वास है कि वह व्यक्ति तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीडित है तो योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा –

- (क) मरीज का नाम और डाक का पूरा पता
- (ख) उसके विश्वास के अनुसार मरीज किस बीमारी से पीडित है, और
- (ग) प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें मरीज नियोजित है या अंतिम रूप से नियोजित था

10. धारा 13 के खंड (घ) और (छ) के अंतर्गत कर्मचारी के कार्य – खान के मामले में यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि अथवा सुरक्षा अधिकारी अथवा एजेंट अथवा प्रबंधक को जितनी जल्दी संभव हो इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा लिखित में अथवा दूरभाष से सूचित करेगा।

11. धारा 14 की उप धारा (3) अंतर्गत कर्मचारी के अधिकार – कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

अध्याय IV

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

12. धारा 16 की उप-धारा (3), (4) और (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी बोर्ड –

(1) धारा 16(2)(छ), (ज), (ट), (ठ), (ड) और (डू) में यथा निर्दिष्ट राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित और अनुमोदित किए जाएंगे।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक संहिता की धारा 16(1) में यथा निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए जब कभी आवश्यक हो बुलाई जा सकती है।

13. त्याग पत्र – (1) राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

(2) ऐसे सदस्य का पद जिस तिथि को उसका त्याग पत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, से रिक्त माना जाएगा।

14. सदस्यता की समाप्ति – राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकृत कराए बिना भाग न लेने पर राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो यह निदेश दे सकती है कि इस प्रकार की पद की समाप्ति न की जाए और ऐसा निदेश दिए जाने पर वह सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

15. सदस्यता के लिए आयोग्यता – कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा यदि –

- (i) वह असंतुलित मानसिकता रखता है और ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है;
- (ii) वह दिवालिया है; अथवा
- (iii) उसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, तीन महीने अथवा उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा हुई है;

16. सदस्यता से हटाना – केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है यदि इसकी राय में ऐसा सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड में जिस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधित्व करने हेतु रखा गया था उस कार्य को नहीं कर रहा है:

बशर्ते कि ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का तर्कसंगत अवसर नहीं दिया जाता है।

17. सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता – (i) किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

18. धारा 21 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रवासी कामगारों के लिए आंकड़ों का एकत्रण और पोर्टल – नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए मनोनित वेब पोर्टल पर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे।

19. धारा 22 के अंतर्गत सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी – (1) धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिष्ठान को छोड़कर 500 या उससे अधिक कामगारों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। खानों के मामले में सुरक्षा समिति की बैठक कम से कम एक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

(3) कामगारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा। जहां कोई पंजीकृत यूनियन नहीं है वहां सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा किया जा सकता है।

बशर्ते कि समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा –

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त ब्यौरे।

(5) प्रतिष्ठान के स्वामी, नियोक्ता, मालिक, एजेंट अथवा प्रबंधक द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

20. सुरक्षा समिति का गठन – (1) खान को छोड़कर सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होगा।

(ख) जहां उपलब्ध हो एक सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे मामले में सुरक्षा अधिकारी समिति का सचिव होगा; और

(ग) उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक-एक प्रतिनिधि।

(2) उप नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन कामगारों द्वारा किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त रिकार्ड किया जाएगा।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा –

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त ब्यौरे।

(5) उप नियम (1) में संदर्भित सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) 'सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;

(ग) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;

(घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यकलापों का संचालन;

(ङ.) सुरक्षा, पर्यावरणिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंशेक्षणों, जोखिम आकलन, आपातकालिन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(च) वैसे मामलों की देख-रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना; और

(छ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

21. खानों के मामले में सुरक्षा समिति की संरचना – (क) संहिता की धारा 67 में उल्लिखित प्रबंधक अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित खान के पांच अधिकारी अथवा सक्षम व्यक्ति;

(ग) पांच कामगार जिसमें खान के कर्मचारियों द्वारा नामित खनन कार्य में नियुक्त ठेका कर्मचारी की आनुपातिक संख्या शामिल है;

(घ) कामगारों के प्रतिनिधि जहां इस प्रकार मनोनित हो वहां खनन, वैद्युत और यांत्रिक विधाओं से एक-एक प्रतिनिधि;

(ड.) सुरक्षा अधिकारी अथवा जहां सुरक्षा अधिकारी न हो वहां प्रबंधक के बाद सबसे वरिष्ठ खान अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा; और

(च) खान का योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर।

22. सुरक्षा समिति के कार्य – समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे –

(क) समिति की जानकारी में कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा लाई गई रिपोर्टों में इंगित किए गए अनुसार खान में असुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना और समुचित सिफारिशें करना;

(ख) खान के किसी नये क्षेत्र में प्रचालनों के आरंभ करने अथवा तेल की खान के संस्थापनों अथवा नये विद्युत अथवा यंत्रिक संस्थापना की कमीशनिंग अथवा नई खनन तकनीक लागू करने से पहले संबंधित प्रक्रिया संहिता सहित प्रस्तावित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों पर विचार करना और समुचित सिफारिशें करना;

(ग) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और समुचित सिफारिशें करना;

(घ) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर समुचित सुरक्षा अभियान तैयार और कार्यान्वित करना;

(ड.) सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर संपर्क के एक मंच के रूप में कार्य करना; और

(च) खान में विभिन्न संयंत्रों, उपकरणों, संस्थापनाओं और प्रणालियों के लिए तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर चर्चा करना और समुचित सिफारिशें करना।

23. सुरक्षा समिति की सिफारिशें – (i) खान में सुरक्षा से संबंधित अन्य किसी मामले में प्रबंधक को सहायता प्रदान करना।

(ii) सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन विनियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित समुचित आपातकालीन योजना तैयार की जाए और उसकी अपेक्षाओं को कार्यान्वित किया जाए।

(iii) आपात स्थिति को छोड़कर ऊपर उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं सौंपे जाएंगे।

(iv) सुरक्षा अधिकारी अपने द्वारा निष्पादित कार्य का विस्तृत अभिलेख जिल्दसाजी की गई पृष्ठयुक्त पुस्तिका में रखेगा।

24. गोदी कामगारों तथा भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा अधिकारी – (1) कोई व्यक्ति गोदी कार्य अथवा भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित धारित न करता हो – (i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधी और न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा

(ii) भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधी और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव;

(iii) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा; और

(2) उप नियम (1) में निहित बातों के बावजूद कोई व्यक्ति जो – (i) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग में न्यूनतम पांच वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है जो कारखानों, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा गोदी कार्य का संचालन करता है; अथवा

(ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास उद्योग या किसी अन्य संस्थान में दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्शी अथवा अनुसंधान में पूर्णकालिक रूप से न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

25. गोदी कार्यों के मामलों में सुरक्षा अधिकारियों के कार्य – सुरक्षा अधिकारी का कार्य चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने से संबंधित अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और एक सुरक्षित कार्य परिवेश बनाए रखने में परामर्श और सहायता देना होगा और ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् – (i) चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों के नियोजन और आयोजन में संबंधित विभागों को परामर्श देना;

(ii) सभी रोजगार अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा रोजगारों में विस्तृत रोजगार सुरक्षा अध्ययनों का संचालन करना;

(iii) चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना;

- (iv) संयंत्र सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (v) कार्य की वास्तविक स्थितियों तथा कामगारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक स्थितियों को समाप्त करने और कामगारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की सलाह देना;
- (vi) औद्योगिक दुर्घटनाओं एवं बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (vii) चुनिंदा दुर्घटनाओं की जांच करना;
- (viii) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अधिसूचित की जाने योग्य बीमारियों के मामलों की जांच करना;
- (ix) संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियानों, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों जो कार्य की सुरक्षित दशाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना करने और बनाए रखने में कामगारों के हित का विकास और अनुरक्षण करेंगे, का आयोजन करना; और
- (x) प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाव के लिए समुचित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और संचालित करना।

26. खानों के मामलों में सुरक्षा अधिकारी – प्रत्येक खान जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से नियोजित हैं, में 500 की कुल मानव शक्ति तक एक सुरक्षा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त 500 मानव शक्ति या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति सुरक्षा अधिकारी (यों) की नियुक्ति की जाएगी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता है -

(क) कोयले की खान के मामले में -

- (i) भूमिगत खदानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) निर्धारित करने वाला व्यक्ति;
- (ii) ओपन कास्ट खदानों के लिए वैसा व्यक्ति जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा केवल ओपन कास्ट खदानों तक प्रतिबंधित प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करता हो।

(ख) मेटलिफेरस खानों के मामले में

- (i) भूमिगत खानों के लिए वैसा व्यक्ति जिसके पास खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) हो,
- (ii) ओपन कास्ट खानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) अथवा केवल ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु)।
- (ग) तेल की खानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से इंजीनियरी अथवा औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा केन्द्रीय श्रम संस्थान अथवा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए तेल की खानों में कार्यों के प्रबंधन अथवा पर्यवेक्षण का अनुभव।

27. खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के कार्य – (1) खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के कार्य निम्नलिखित होंगे -

- (क) कर्मचारियों से मौके पर मिलने और उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने और इस संबंध में उनके सुझाव मांगने के उद्देश्य से खान की सतह, जमीन से उपर, भूमिगत भागों, तेल की खान की संस्थापनाओं का दौरा करना;
- (ख) नये भर्ती किए गए कर्मचारियों का प्रभार लेना और उन्हें खान के आस-पास की जगह दिखाना तथा उनके द्वारा खान में कार्य किए जाने के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित कार्यों की जानकारी देना;
- (ग) छोटी दुर्घटनाओं सहित खान में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करना और इनका विश्लेषण करना ताकि खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं आम कारणों का पता लगाया जा सके;
- (घ) खान दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरे रखना और खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं आम कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से इनका विश्लेषण करना;
- (ङ.) खतरे के सभी संभावित स्रोतों जैसे, आप्लावन, आग कोयले के कण, तेल की खानों में विस्फोट तथा अन्य कारणों का अध्ययन करना और संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को अवगत कराना;
- (च) पर्यवेक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी कक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें सुरक्षा संबंधी बातें बताना और व्याख्यान देना;
- (छ) खान में सुरक्षा सप्ताहों एवं अन्य सुरक्षा शिक्षण एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ज) इस बात का ध्यान रखना कि सभी संबंधित खान कर्मचारी विभिन्न स्थायी आदेशों, प्रक्रिया संबंधी संहिताओं, सहयोग योजना आदि से पूर्णतः अवगत हैं;

(झ) व्यवसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण में प्रशिक्षण, अग्निशमन तथा प्राथमिक उपचार आदि सहित खान स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना;

(ज) उसके द्वारा खान के विभिन्न भागों का दौरा करने के पश्चात् संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को यह रिपोर्ट देना कि खान में संहिता के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं;

(ट) आमतौर पर सुरक्षित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और खान में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी उपायों को सक्रिय सहयोग देना और अनुपालन हेतु इन उपायों का अनुवर्तन करना।

अध्याय- v

काम के घंटे और वार्षिक अवकाश एवं वेतन

28. धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे-

(1) किसी भी कामगार द्वारा किसी प्रतिष्ठान में किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी कामगार के कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उसके विश्राम अंतरालों को शामिल करते हुए काम के घंटे किसी एक दिन में 12 घंटे से अधिक न हो।

(3) कामगारों के कार्यों की अवधि 5 घंटे से अधिक नहीं होगी और यह कि कोई कामगार कम से कम आधे घंटे के विश्राम के अंतराल से पहले 5 घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगा।

(4) किसी दिन में काम के घंटों को उप-नियम (1), (2) और (3) के अध्यक्षीन संशोधित किया जा सकता है ताकि किसी सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या इस प्रकार निर्धारित की जा सके और इसे अपनाया जा सके।

29. धारा 25 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (क) के अंतर्गत चालन समय में अनुमेय अवरोध की अवधि – दुलाई वाहन के चलने के दौरान किसी भी समय अधिकतम 15 मिनट के अवरोध की अनुमति होगी।

30. धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकारों के लिए काम के घंटे – (1) इस नियम के अंतर्गत प्रावधान श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होंगे किन्तु संपादकों, अथवा संवादाताओं, रिपोर्टरों अथवा समाचार फोटोग्राफरों पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-नियम (1) में शामिल किसी प्रावधान के बावजूद निम्नलिखित प्रावधान प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर पर लागू होंगे जो उस स्थान पर नियुक्त हैं जहां समाचार-पत्र प्रतिष्ठान (जिसमें ऐसा व्यक्ति नियोजित है) स्थित हैं, नामतः

(क) संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से किए गए ऐसे समझौते के अध्यक्षीन ऐसा प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर को किसी दिन कार्य पर आने के पर उस पूरे दिन के लिए कार्य पर तब तक के लिए माना जाएगा जब तक वह उस दिन के दौरान उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करता है;

बशर्ते कि यदि ऐसे संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर द्वारा दो या उससे अधिक कार्य के बीच दो घंटे या कम अवधि के लिए विश्राम के लिए कार्य विराम किया जाता है तो उसे ऐसी अवधि के दौरान कार्य पर नहीं माना जाएगा;

बशर्ते यह भी कि जब ऐसा अंतराल दो घंटे से अधिक का होता है या होते हैं तो उसे उक्त दो घंटे की अवधि से अतिरिक्त अवधि के दौरान कार्य पर माना जाएगा।

(ख) किसी सप्ताह क दौरान 36 घंटे से अधिक कार्य करने की किसी अवधि, जिसे इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए कार्य के एक यूनिट के रूप में माना जाएगा, की प्रतिपूर्ति आने वाले सप्ताह के दौरान विश्राम द्वारा की जाएगी और एक या उससे अधिक बार दी जाएगी जो प्रत्येक तीन घंटे से कम नहीं होगी;

बशर्ते कि यदि काम किए गए अतिरिक्त घंटों का योग तीन घंटे से कम होता तो विश्राम की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक के लिए कि सीमित किया जाएगा।

31. श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस - किसी श्रमजीवी पत्रकार के लिए घंटों की संख्या जो एक सामान्य दिवस के लिए होगी तथा जो भोजन के समय के अतिरिक्त होगी व दिन की पाली के मामले में प्रतिदिन छः घंटे से अधिक और रात की पाली के मामले में साढ़े पांच घंटे प्रतिदिन से अधिक होगी और किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को साधारणतः एक सामान्य कार्य दिवस के लिए घंटों की संख्या से अधिक समय के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमेय नहीं होगी।

32. श्रमजीवी पत्रकार के लिए विश्राम हेतु अंतराल - किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान और उस प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों के बीच हुए समझौते के अध्यक्षीन श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई श्रमजीवी पत्रकार विश्राम के अंतराल के पहले जो दिन की पाली के लिए एक घंटा और रात की पाली के लिए आधा घंटा होगा, दिन की पाली के लिए चार घंटे से अधिक और रात की पाली में तीन घंटे से अधिक समय के लिए कार्य नहीं करेगा।

33. समयोपरि कार्य के लिए प्रतिपूर्ति- जब कोई श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली में किसी दिन 6 घंटे से अधिक कार्य करता है तथा रात्री पाली में साढ़े पांच घंटे से अधिक कार्य करता है, तो उसे, उस समयोपरि कार्य के लिए, उतने ही घंटों के लिए जितना उसने समयोपरि कार्य किया है, विश्राम के घंटों के रूप में प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

34. **रात्री पालियों को शासित करने वाली शर्तें-** किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को लगातार रात्री पाली में एक बार में एक सप्ताह से अधिक अथवा चौदह दिन की अवधि में एक सप्ताह से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

35. **पाली बदलने से पूर्व अंतराल -** रात्री से दिन अथवा दिन से रात्री में पाली बदलने के लिए दोनों पालियों के बीच में लगातार न्यूनतम चौबीस घंटे का अंतराल होना चाहिए तथा एक दिन की पाली से दूसरे दिन की पाली अथवा एक रात्री पाली से दूसरी रात्री पाली में परिवर्तन करने पर लगातार न्यूनतम 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए।

बशर्ते की, यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा संहिता की धारा 25 की उप-धारा 2 के अंतर्गत लिए गए अंतराल से ऐसा अंतराल जुड़ता है अथवा इसके दायरे में आता है, तो ऐसे किसी अंतराल की अनुमति नहीं दी जाए।

36. **बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए एक वर्ष में अवकाश के दिनों की संख्या -** कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में 10 दिन के अवकाश का पात्र होगा।

37. **बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए प्रतिपूर्ति अवकाश -** यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को किसी अवकाश के दिन कार्य करना अपेक्षित होता है तो उसे उस अवकाश के दिन के तत्काल पश्चात 30 दिनों के अंदर उसके तथा उसके नियोक्ता की पारस्परिक सहमति से एक प्रतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।

38. **अवकाश के दिनों के लिए वेतन -** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी सभी अवकाश के दिनों के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह ड्यूटी पर होता है।

39. **साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वेतन -** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह ड्यूटी पर होता है।

40. **सक्षम अधिकारी -** प्रत्येक समाचार प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान में इस अध्याय के अंतर्गत नियमों के प्रयोजनार्थ एक अथवा अधिक अधिकारियों को सक्षम अधिकारियों के रूप में पदनामित करे।

41. **श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी द्वारा अवकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया -** (1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो अवकाश प्राप्त करना चाहता है, वह प्रतिष्ठान के सक्षम अधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश तथा क्वारेन्टाइन अवकाश, आवश्यक अथवा असंभावित परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पहले किया जाएगा।

(3) यदि अवकाश को मना कर दिया जाता है अथवा स्थगित किया जाता है, तो प्रतिष्ठान का सक्षम अधिकारी ऐसी मनाही अथवा स्थगन, जैसा भी मामला हो, के कारणों का रिकार्ड रखेगा तथा आदेश की एक प्रति श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, को भेजेगा।

(4) साप्ताहिक विश्राम दिवस के अतिरिक्त अवकाश प्रतिष्ठान के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अवकाश के पूर्व अथवा बाद में नहीं जोड़ा जाएगा।

(5) साप्ताहिक विश्राम दिवस कोई अवकाश इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए अवकाश के बीच में आता है, तो वह अवकाश की अवधि का भाग होगा।

42 **किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को अवकाश की समाप्ति से पहले वापिस बुलाना -** (1) कोई समाचार पत्र प्रतिष्ठान अवकाश पर किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को वापिस बुला सकता है, यदि वह प्रतिष्ठान ऐसा करना आवश्यक समझता हो। इस प्रकार वापिस बुलाने के मामले में ऐसा श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी यात्रा भत्ते के लिए पात्र होगा, यदि वापिस बुलाने के समय वह अपना अवकाश अपने मुख्यालय से अलग किसी स्थान पर बिता रहा हो।

(2) यात्रा भत्ता, जो उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी श्रमजीवी पत्रकार को भुगतान किया जाएगा, का निर्धारण श्रमजीवी पत्रकारों अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते को शासित करने वाले उस प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

43. **कार्यभार ग्रहण करने से पहले फिटनेश चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना -** कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो स्वास्थ्य कारणों के कारण अवकाश ले चुका है, उसके द्वारा अपने नियोक्ता को कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी सक्षम चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किया, से फिटनेश चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

44. **चिकित्सा अधिकारी का पदनाम-** श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को नियोजित करने वाला प्रत्येक प्रतिष्ठान संहिता की धारा 42 के अनुसार एक अथवा अधिक सक्षम चिकित्सकों को पदनामित करे।

45. **अर्जित अवकाश -** (1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी ड्यूटी पर बिताए गए प्रत्येक 11 माह के लिए न्यूनतम एक माह की अवधि के पूर्ण वेतन के साथ अर्जित अवकाश का पात्र होगा।

बशर्ते कि अर्जित अवकाश की संख्या 90 दिन होने पर वह और अधिक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं कर पाएगा।

(2) झूटी पर बितायी गई अवधि में साप्ताहिक विश्राम दिवस, अवकाश के दिन, आकस्मिक अवकाश एवं क्वारंटाइन अवकाश शामिल होंगे।

46. **अर्जित अवकाश के दौरान वेतन-** अर्जित अवकाश पर कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी झूटी पर बिताए गए बारह पूर्ण महीनों की अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन अथवा यदि यह अवधि 12 पूर्ण माह से कम है, ऐसी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, तो अवकाश प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व माह के समान वेतन प्राप्त करेगा।

47. **नहीं लिए गए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति-** (1) जब कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह उसके द्वारा नहीं लिए गए अधिकतम 30 दिन तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति का पात्र होगा:

यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके बकाया अर्जित अवकाश को मना किया गया है तो वह इस प्रकार से मना किए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगा:

इसके अतिरिक्त, यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा उसने अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पहले अपना बकाया अर्जित अवकाश नहीं लिया है, तो इस मामले में, उसके उत्तराधिकारी इस प्रकार से नहीं लिए गए अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(2) जब किसी कारण से, अनुशानात्मक कार्रवाई के माध्यम से दिए गए दंड के अतिरिक्त, किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो वह अधिकतम 90 दिनों तक के नहीं लिए गए अर्जित अवकाश हेतु नकद प्रतिपूर्ति का पात्र होगा।

(3) ऐसी नकद प्रतिपूर्ति किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके द्वारा नहीं लिए गए अवकाश की अवधि के लिए देय वेतन की राशि से कम नहीं होगी, यहां प्रासंगिक वेतन वहीं होगा जो उप-नियम (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, किन्हीं घटनाओं के होने से तत्काल पूर्व किसी दिन वास्तव में उसके अवकाश पर जाने पर जो उसे देय होता।

48. **चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश -**

(1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी प्रत्येक 18 माह की सेवा के लिए न्यूनतम एक माह की दर से आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश का पात्र होगा:

वशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की संख्या 90 दिन होने पर वह ऐसा और अधिक अवकाश अर्जित नहीं कर सकेगा।

(2) ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी चिकित्सा अधिकारी से होगा :

यदि जब कोई श्रमजीवी पत्रकार अपने नियोक्ता की अनुमति से अपने मुख्यालय से अलग किसी स्थान पर चला जाता है और वहां बीमार पड़ जाता है, तो वह किसी भी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

इसके अतिरिक्त, जब सक्षम चिकित्सक सरकार की सेवा में नहीं है तो नियोक्ता अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की चिकित्सा जांच की व्यवस्था कर सकता है।

(3) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश अर्जित अवकाश की निरंतरता में लिया जा सकता है वशर्ते कि अर्जित अवकाश तथा साथ में लिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की कुल अवधि कभी भी एक बार में 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

(4) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश को पूर्ण वेतन के साथ आधे अवकाश में बदलने के अपने विकल्प का पात्र होगा।

(5) तपेदिक जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित श्रमजीवी पत्रकारों अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के मामले में संग्रह करने तथा अवकाश की कुल अवधि से संबंधित उप-नियम (1) तथा उप-नियम (3) के उपबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है।

(6) उप-नियम (1) एवं (4) में संदर्भित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश किसी श्रमजीवी पत्रकार को अर्जित अवकाश उसके पास बकाया होने पर भी उसके अनुरोध पर स्वीकृत किया जा सकता है।

49. **क्वारंटाइन अवकाश-** समाचार पत्र प्रतिष्ठान द्वारा धारा 42 के अंतर्गत इसलिए पदनामित प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर अधिकतम 21 दिन अथवा अपवादिक परिस्थितियों में 30 दिन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित क्वारंटीन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उक्त अवधि से अधिक के लिए क्वारंटाइन प्रयोजन हेतु अनिवार्य अवकाश को उस श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को देय अन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा।

50. **असाधारण अवकाश-** किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को, जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है, समाचार पत्र प्रतिष्ठान के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, बिना वेतन के असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

51. **अवकाश का न होना-** किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को, जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है, समाचार पत्र प्रतिष्ठान के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

52. **अध्ययन अवकाश** - किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को समाचार पत्र प्रतिष्ठान के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, वेतन के साथ अथवा बिना वेतन के अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

53. **आकस्मिक अवकाश-** (1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी समाचार पत्र प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार से किसी कैलेंडर वर्ष में 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का पात्र होगा।

बशर्ते कि एक बार में 5 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जाएगा तथा ऐसा अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(2) किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान नहीं लिए गए आकस्मिक अवकाश को अगले वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा।

54. **धारा 26 की उप-धारा (2) के अंतर्गत साप्ताहिक विश्राम दिवस -**

(1) धारा 26 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर किसी विशिष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस को दर्शाने वाला नोटिस चिपकाया जाएगा। जहां प्रतिष्ठान में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक विश्राम दिवस अलग-अलग हैं, वहां यह नोटिस प्रत्येक रिले, अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से आबंटित विश्राम के दिनों को दर्शाएगा।

55. **प्रतिपूर्ति अवकाश-**(1) ऐसे कार्य में लगे कामगार को छोड़कर जिसमें किसी कार्य को तकनीकी कारणों से लगातार दिन भर किया जाए, इस संहिता की धारा 26 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अनुमेय किए जाने वाले प्रतिपूर्ति अवकाशों को इस तरह से दिया जाना चाहिए कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिए जाएं।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक, जिस माह में कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, की समाप्ति पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान दिए गए प्रतिपूर्ति अवकाशों वाले कामगारों तथा उनकी तारीखों से संबंधित एक नोटिस उस स्थान पर जिस पर धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित कार्यावधियों का नोटिस प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करेगा। किसी प्रतिपूर्ति अवकाश के संबंध में नोटिस में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन को उस अवकाश की तारीख से न्यूनतम तीन दिन अग्रिम में किया जाएगा।

(3). किसी प्रतिपूर्ति अवकाश अथवा अवकाशों जिसका कोई कामगार पात्र है, वे उसे कार्यमुक्त अथवा बर्खास्त करने से पहले दिए जाएंगे तथा इन्हें कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस अवधि का भाग नहीं माना जाएगा।

56. **धारा 27 के अंतर्गत समयोपरि हेतु अतिरिक्त वेतन-**(1) संहिता की धारा 27 के अनुसरण में, जहां किसी प्रतिष्ठान में कोई कामगार एक दिन में 8 घंटों से अधिक अथवा एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक, जैसा भी मामला हो, के लिए कार्य करता है, तो वह अपने वेतन की साधारण दर की दुगुने दर से ऐसे समयोपरि कार्य के लिए वेतन का पात्र होगा तथा प्रत्येक वेतन अवधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन समयोपरि गणना में किसी घंटे के 15 से 30 मिनट के अंश को 30 मिनट गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक समय के मामले में इसे पूर्ण घंटे के रूप में वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3) यदि किसी कामगार को माह के आधार पर भुगतान किया जाता है तो उसका वेतन अथवा आय गणना करने में, दैनिक वेतन उसके मासिक वेतन का 1/26वां भाग होगा; तथा अन्य किसी कामगार के मामले में वह दैनिक वेतन अथवा आय, जैसा भी मामला हो, होगी।

(4) कारखानों, गोदी कार्यों, खानों तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत किसी एक दिन में कामगारों के लिए समयवधि 12 घंटे से अधिक होगी, नामतः

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक अथवा अनुपूरक प्रकृति के कार्य;

(ग) कार्य जो अनिवार्य रूप से इतने सविराम प्रकृति के हैं कि अंतराल जिनके दौरान ये कार्य नहीं करते हैं जबकि झूटी के दौरान सामान्यतः अंतरालों से अधिक विश्राम की आवश्यकता होती है;

(घ) ऐसे कार्य जो तकनीकी कारणों से सतत रूप से किए जाने अनिवार्य होते हैं;

(ङ) अत्याधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के बनाने अथवा आपूर्ति में लगे कामगार जिन्हें प्रतिदिन बनाया अथवा आपूर्ति किया जाता है;

(च) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे निर्धारित मौसमों को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(छ) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे प्राकृतिक ताकतों की अनियमित कार्रवाई पर आश्रित समय को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(ज) इंजन कक्ष अथवा बायलर हाउस अथवा पावर प्लांट की देखभाल अथवा मशीनरी ट्रांसमिशन में लगे कामगार;

(झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगे कामगार;

(ञ) रेल वैगन अथवा लोरी अथवा ट्रकों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग में लगे कामगार;

(ट) कार्य की अपवाधिक अधिकता और

(ठ) ऐसे किसी कार्य में लगे कामगार जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का कार्य अधिसूचित किया जाता है।

बशर्ते कि किसी भी कामगार को किसी वर्ष की किसी तिमाही में 125 घंटों से अधिक समयोपरि कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय-VI-

रजिस्ट्रों, रिकार्ड तथा विवरणियों का रख-रखाव

57. धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कार्य अवधियों का नोटिस-(1) धारा 31 की उप-धारा (2) में संदर्भित नोटिस को नोटिस बोर्ड पर किसी विशिष्ट स्थान अथवा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड पर दर्शाया जाएगा तथा प्रपत्र-VII में इसका रखरखाव किया जाएगा और ऐसे नोटिस की प्रति इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निरीक्षण-सह- सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।

58. धारा 33 के अंतर्गत रिपोर्टों, रजिस्ट्रों तथा अन्य अभिलेखों का रख-रखाव एवं प्रस्तुत करना – प्रत्येक नियोक्ता –

(क) कामगारों, वेतन, समयोपरि, जुमाने, नुकसान या क्षति के लिए कटौती के रजिस्ट्रों का प्रपत्र-VII में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से रख-रखाव करेगा तथा प्रतिष्ठान के आस-पास कार्यालय अथवा नजदीकी शुलभ भवन में उपलब्ध कराएगा;

(ख) मैनुअल रजिस्ट्रों तथा अन्य रिकार्डों के मामले में, प्रविष्टियां अंग्रेजी, हिन्दी अथवा नियोजित व्यक्तियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप में की जाएगी ;

(ग) अंतिम रिपोर्ट अथवा प्रविष्टि की तारीख के पश्चात एक कैलेंडर वर्ष के लिए इसका मूल रूप में संरक्षण किया जाएगा;

यदि एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पहले मूल रिकार्ड गुम अथवा नष्ट हो जाता है, तो इसकी सत्यापित प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित की जाएंगी;

(घ) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अथवा निरीक्षक सह-सुविधा प्रदाता अथवा केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर इलैक्ट्रॉनिक अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेगा।

59. नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन –प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य घंटे, वेतन अवधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख, गत 5 वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विवरण, ऐसे प्रतिष्ठान तक क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुरक्षाप्रदाता का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अधिकतर कामगारों द्वारा समझे जाने वाली स्थानीय भाषा में दर्शाते हुए नोटिस प्रदर्शित करेगा।

60. विवरणी- किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक सह-सुरक्षा प्रदाता को प्रपत्र IX में दो प्रतियों में अपने प्रतिष्ठान से संबंधित विवरणी प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि यह उसके पास प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 01 फरवरी तक पहुंच जाए साथ ही इसकी एक प्रति महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से भेजी जाए।

61. दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर-संहिता की धारा 33 के खंड (क) के उप-खंड (v) द्वारा अपेक्षित दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर प्रपत्र X में रखा जाएगा।

62. धारा 33 के खंड (क) के अंतर्गत सवेतन अवकाश का रजिस्टर-

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का अधिष्ठाता, एजेंट अथवा प्रबंधक प्रपत्र XI में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा मैनुअली अपने प्रत्येक कर्मचारी के सवेतन अवकाश का रिकार्ड रखेगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर इसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के पश्चात दो वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उसे नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक की इसे समूचित ढंग से नए रजिस्टर में अंतरित नहीं किया गया हो।

अध्याय-VII

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता एवं अन्य प्राधिकारी

63. धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (X) के अंतर्गत किन्हीं वस्तुओं अथवा पदार्थों के सैम्पल लेने की शक्ति –

(1) कोई निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सूचित करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के अंतर्गत अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के सैम्पल अथवा सार लेगा, प्रतिष्ठान में प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने वाले किसी पदार्थ का पर्याप्त सैम्पल एतदुपरांत निर्धारित ढंग से लिया जाए, ऐसा प्रयोग होने पर -

(क) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का यह मानना हो कि यह इस संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में है, अथवा

(ख) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के मत में प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो।

(2) जब निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत सैम्पल लेता है, वह उस उपनियम के अंतर्गत सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित नहीं रखता है, सैम्पल को तीन भागों में बांटेगा, प्रभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुचित ढंग से उन्हें मार्क करेगा, तथा उस व्यक्ति को भी अपनी सील एवं मार्क उस पर लगाने की अनुमति देगा।

(3) उपर्युक्तानुसार सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसी अपेक्षा रखता है, तो इस धारा के अंतर्गत लिए गए सैम्पल को बांटने, सील करने तथा मार्क करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता –

(क) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचित व्यक्ति को सैम्पल का एक भाग तुरन्त देगा;

(ख) तुरन्त दूसरे भाग को विश्लेषण एवं उस पर रिपोर्ट हेतु किसी सरकारी विश्लेषक अथवा नेशनल एंक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) को भेजेगा।

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रखेगा यदि उस पदार्थ के संबंध में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, चलाई जाती हैं।

(5) इस धारा के अंतर्गत विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सौंपे गये किसी पदार्थ से किसी सरकारी विश्लेषक अथवा एनएबीएल एंक्रिडेटेड लेबोरेट्री के अंतर्गत रिपोर्ट के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के संबंध में प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

64. धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (xiv) के अंतर्गत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की शक्तियां एवं कार्य –

(1) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, इसे अनिवार्य माना जाए, जहाज के नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा स्वामी अथवा मालिक अथवा प्रभारी अधिकारी अथवा उनके एजेंट को संहिता तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों की अनुपालना नहीं करने का उल्लेख करते हुए प्रपत्र XII में निषेध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है। उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ-साथ संहिता अथवा इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के तहत उसके द्वारा पारित किए गए आदेश को रिकार्ड किया जाएगा तथा उनका रख-रखाव किया जाएगा।

65. धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति-

चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषितानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता हो तथा जो इस अधिनियम की धारा 35, 36, 37 तथा 40 के खंड (ड) में दी गई परिभाषा के अनुसार भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा खंड (झ) में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

66. धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के कार्य -

(1) संहिता की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान से संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसे परीक्षण हेतु भेजे गए व्यक्ति की जांच करने पर, आयु एवं फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार करता है तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखकर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक को भेजता है।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलोजिस्ट, दंत चिकित्सक, आर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी केन्द्र सरकार के निदेशानुसार जांच करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट देगा :

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) की गई प्रक्रिया की कठिन प्रकृति अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा के कारण उस प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी का चिकित्सकीय पर्यवेक्षण जहां जीर्ण व्यावसायिक बीमारी के मामले हो चुके हैं;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिनमें कार्य संचालन में वहां नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य को जोखिम शामिल है;

(घ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथानिर्धारित बीमारियां प्रचलित हैं, का व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना।

(ङ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना।

67. धारा 43 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में महिलाओं का नियोजन –

(1) रात्री के दौरान अथवा पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद महिलाओं के नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, नामतः:

- (क) महिला कर्मचारी की सहमति ली जाएगी;
- (ख) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अंतर्गत निर्धारित प्रसूति लाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;
- (ग) ऐसे कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए महिला कर्मचारी को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;
- (घ) शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, प्रवेश एवं बाहर जाने के रास्ते सहित कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए;
- (ङ) शौचालय, वॉशरूम तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहां महिला कर्मचारी नियोजित हैं; और
- (च) सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई हानि न हो;
- (छ) भूमिगत खानों के मामले में, किसी स्थान पर न्यूनतम 3 महिला कर्मचारी झूटी पर होंगी।
- (ज) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

68. धारा 44 के अंतर्गत खतरनाक संचालनों में महिलाओं के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा – केन्द्र सरकार जोखिमकारी एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों की श्रेणी एवं योजना, तथा मानकों को अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

अध्याय VIII

ठेका श्रम

69. धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत ठेकेदार की योग्यता एवं मानदंड –

लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु, ठेकेदार को एक सत्ता के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में अनुमत्त दिवालिया अथवा गत दो वर्षों के दौरान किसी समय ऐसे अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए जो आपराधिक प्रकृति का हो तथा जिसमें तीन माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध शामिल हैं।

70. धारा 47 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तें – (1) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) कार्य के घंटे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 25 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे।
- (ख) वेतन का भुगतान वेतन संहिता, 2019 (2020 का 29) के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) यदि ठेकेदार का ठेका कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है तो शौचालय, वॉशरूम, पेयजल, नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो, कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैटीन एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा।
- (घ) अन्य सभी सुविधाएं एवं पात्रताएं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ङ) यदि ठेकेदार ठेका कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो मुख्य श्रमायुक्त (कें.) अथवा उसका प्रतिनिधि बैंक गारंटी देकर ठेका कामगारों को ऐसा भुगतान करवाएगा जिनको नियम 76 के अंतर्गत जमा किए गए सुरक्षा डिपोजिट का भुगतान नहीं किया गया है; और
- (च) वह ठेका कार्य ऑर्डर मिलने के 15 दिन के अंदर उस ठेका कार्य आर्डर के बारे में नियम 78 के अनुसार निर्धारित ढंग से सूचित करेगा।

71. धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत ठेकेदार लाइसेंस के लिए आवेदन का प्रपत्र एवं तरीका - ठेकेदार द्वारा लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी को प्रपत्र -XIII में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन ढंग से किया जाएगा।

72. एक से अधिक राज्य अथवा सम्पूर्ण भारत के लिए ठेकेदार हेतु एकल लाइसेंस -

(1) यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक है:-

(i) ठेका श्रमिकों की आपूर्ति अथवा नियुक्ति अथवा

(ii) एक से अधिक राज्य अथवा सम्पूर्ण भारत में धारा 47 की उपधारा (2) अथवा उपधारा (1) के अंतर्गत ठेका कार्यों को करता है, तो वह केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रपत्र-XIII में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन ढंग से आवेदन करेगा।

(2) इस संहिता की धारा 119 की उप-धारा (1) के अंतर्गत इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकारी को एकल लाइसेंस हेतु आवेदन इलैक्ट्रॉनिक ढंग से जमा किया जाएगा।

(3) संबंधित राज्य सरकारों से इलैक्ट्रॉनिक रूप में परामर्श किया जाएगा। यदि ऐसे पत्राचार के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन किया गया मान लिया जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत जारी लाइसेंस 5 वर्ष के लिए मान्य होगा।

(5) इस प्रकार से जारी लाइसेंस की प्रति या प्रतियां राज्य सरकार को भेजी जाएंगी जिनके क्षेत्राधिकार में वह ठेका कार्य आता है जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

73. **लाइसेंस के प्रपत्र निबंधन एवं शर्तें** – (1) जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस प्रपत्र-XIV में होगा।

(2) जारी किया गया अथवा नवीकरण किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है, नामतः -

(i) यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा;

(ii) ठेकेदार द्वारा, किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(iii) इन नियमों में यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लाइसेंस के जारी करने एवं नवीकरण हेतु जमा की गई फीस, जैसा भी मामला हो, वापस नहीं होगी;

(iv) ठेकेदार द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी तथा जहां समझौते, निपटान अथवा पंचाट द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं, वहां ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

74. **धारा 48 की उप-धारा (2) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया** – (1) इन नियमों में से किसी नियम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने से पहले, ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए 1000/- रुपये की दर से गणना की गई राशि की बैंक गारंटी, जिनके संबंध में लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, लाइसेंस की शर्तों के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा जमा की जाएगी तथा संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) जहां जारी किये गए ठेका लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है, उस मामले में प्रपत्र में आवेदक के अनुरोध के आधार पर लाइसेंस अधिकारी नए लाइसेंस हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा जमा को समायोजित कर सकता है।

(3) लाइसेंस जारी करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे तालिका में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगी, नामतः-

क)	49 ठेका श्रमिकों तक लाइसेंस अपेक्षित नहीं	शून्य
ख)	50 से 100 ठेका श्रमिकों तक के लिए	1000 रुपये
ग)	101 से 300 ठेका श्रमिकों तक के लिए	2000 रुपये
घ)	301 से 500 ठेका श्रमिकों तक के लिए	3000 रुपये
ङ)	501 से 1000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	5000 रुपये
च)	1001 से 5000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	10000 रुपये
छ)	5001 से 10000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	20000 रुपये
ज)	10001 से 20000 ठेका श्रमिकों तक के लिए	30000 रुपये
झ)	20001 से अधिक ठेका श्रमिकों के लिए	40000 रुपये

75 **धारा 48 के अंतर्गत लाइसेंस का नवीकरण** – (1) लाइसेंस के नवीकरण हेतु प्रत्येक ठेकेदार लाइसेंस प्राधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उक्त पोर्टल पर लाइसेंस अवधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाएगा परन्तु यह आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) लाइसेंस के नवीकरण हेतु देय शुल्क एवं सुरक्षा जमा वही होंगे जो नियम 74 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए हैं।

यदि लाइसेंस नवीकरण हेतु आवेदन उप-नियम (2) में निर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) 30 दिन के अंदर लाइसेंस का नवीकरण करना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

76. **सुरक्षा जमा की वापसी** – (1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने लाइसेंस को नए सिरे से जारी करने का इरादा नहीं रखता है, तो वह लाइसेंस और काम के पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण जिसमें राशि वापस करने की आवश्यकता है, की प्रति के साथ उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा (बैंक गारंटी के रूप में) की वापसी के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को इलैक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन करें।

(2) यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार के सुरक्षा जमा के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

(4) रिफंड के लिए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

77. धारा 48 की उप-धारा (4) के तहत ठेकेदार की जवाबदेही - (1) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें वेतन संहिता 2019 (2019.का ----) के तहत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वहां इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

(2) उस स्थिति में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक वाला अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वहां ठेकेदार के कामगारों के लिए मजदूरी दर, छुट्टियां, काम के घंटे और श्रमिकों की अन्य सेवा शर्तें प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों के समान होंगी। किसी भी विवाद के मामले में कि क्या कार्य समान प्रकार का है, इस मामले को निर्णय के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजा जाएगा।

(3) अन्य मामलों में, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी की दरें, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें संहिता और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्टानुसार होंगी।

(4) सभी ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंधित उपबंधों के तहत अनुप्रयोज्यता के अध्यक्षीन ईपीएफओ और ईएसआईसी के सदस्य बनाया जाएगा।

(5) ठेकेदार इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

78. धारा 50 के तहत कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय सीमा - (1) प्रत्येक ठेकेदार अनुबंध कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध के कार्य आदेश के बारे में सूचित करेगा जिसमें विवरण जैसे कि प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहां काम किया जा रहा है, अनुबंध कार्य की शुरुआत की तारीख, उस कार्य आदेश के तहत नियोजित अनुबंध श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेशों की अवधि शामिल होंगे।

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

(3) सूचना मुख्य श्रम आयुक्त या उनके प्रतिनिधि को श्रम सुविधा पोर्टल या ई-मेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाए।

79. धारा 51 के तहत लाइसेंस का निरसन अथवा निलम्बन- (1) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बदल कर अथवा छिपाकर प्राप्त किया गया है अथवा यदि ठेकेदार उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो गया है जिनके अध्यक्षीन लाइसेंस प्रदान किया गया अथवा ठेकेदार ने संहिता के अध्याय -XI, भाग-I के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। 15 दिन के भीतर ठेकेदार से उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसकी जांच करेगा तथा यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा इस ठेका व्यवसाय को जारी रखने से कामगारों का काफी नुकसान होगा, तो वह लाइसेंस के निरसन अथवा निलम्बन अथवा अन्यथा कार्रवाई के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए आख्यापक आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित कर सकता है तथा वह इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ठेकेदार को सूचित करेगा। इस आदेश की एक प्रति मुख्य श्रमायुक्त (कें.), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को दी जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार ने निर्धारित समयावधि के अंदर संहिता के उक्त उपबंधों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए निलंबन को वापिस ले लेगा अथवा निलंबन जारी रखा जाएगा।

(3) यदि ठेकेदार उप-नियम (1) में दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल होता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए तत्काल लाइसेंस के निरसन का आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से देगा। इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मुख्य श्रमायुक्त (कें.), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को दी जाएगी।

80. धारा 52 की उपधारा (1) के तहत अपील: संहिता की धारा 52 की उपधारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) होंगे।

81. धारा 55 के तहत वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी - (1) ठेकेदार वेतन की अवधि तय करेगा जिसके संबंध में वेतन देय होगा और कोई वेतन अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) एक प्रतिष्ठान में या एक ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की वेतन का भुगतान वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा, जिसके संबंध में वेतन देय है।

(3) वेतन केवल बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

82. धारा 55 की उपधारा (4) के तहत सुरक्षा जमा राशि से मजदूरी का भुगतान -

यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उसके प्रतिनिधि या यथाअधिसूचित सक्षम अधिकारी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा ठेकेदार को सुनने के पश्चात ऐसी राशि का, यदि कोई

हो, ठेकेदार द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। ठेकेदार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षा जमा को फिर से प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसका लाइसेंस निलंबित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

83. धारा 56 के तहत अनुभव प्रमाण पत्र - प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांगे जाने पर ठेका श्रमिकों को प्रपत्र-XV में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे ठेका श्रमिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित कार्य की अवधि, निष्पादित कार्य प्राप्त अनुभव का विवरण शामिल होगा।

84. धारा 57 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के तहत ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध -

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि है या अन्यथा, तो पीडित पक्ष संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय को सहायक दस्तावेजों के साथ कारण बताकर एक आवेदन कर सकता है।

अध्याय IX

अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार

85. धारा 61 के तहत अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार को यात्रा भत्ता-नियोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, नामतः:

यदि उसने पूर्ववर्ती बारह माह में संबंधित प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) में कम से कम 180 दिन की अवधि के लिए काम किया है;

बशर्ते कि यात्रा भत्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार अब काम कर रहा है और इस तरह के कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, तो नियोक्ता यात्रा भत्ता देगा।

86. धारा 63 के तहत अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सुविधा- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्प-लाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

87. धारा 64 के तहत अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों का अध्ययन- केंद्र सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, केंद्र सरकार अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल राज्य सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है।

अध्याय X

श्रृंखला-दृश्य कामगार

88. धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) के तहत श्रृंखला-दृश्य कामगारों के लिए समझौता- (1) निर्माता के साथ श्रृंखला-दृश्य कामगारों के लिए समझौते का प्रारूप फॉर्म-XVI में दिया गया है।

(2) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास समझौते को पंजीकृत किया जाएगा।

89. धारा 66 की उप-धारा (1) के तहत विवादों को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया- विवाद को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप होगी।

अध्याय -XI

खानें

90. धारा 67 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंधक की योग्यता और नियुक्ति-कोई भी खदान तब तक खोली या पुनः खोली नहीं जाएगी अथवा उसमें कार्य नहीं किया जाएगा, जब तक उसमें विधिवत रूप से नियुक्त प्रबंधक न हों, जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों:

खान का प्रकार	नियंत्रित औसत सामग्री/आउटपुट / खान का उत्पादन	प्रबंधक के लिए अनिवार्य योग्यता
भूमिगत कोयला खानें	(क) प्रतिमाह 2,500 टन से अधिक उत्पादन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण-पत्र (कोयला)
	(ख) प्रतिमाह 2,500 टन तक उत्पादन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण-पत्र (कोयला)

ऑपनकास्ट कोयला खान:	(क) प्रति माह 20,000 घन मीटर से अधिक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता का प्रमाण पत्र, केवल ऑपनकास्ट (कोयला) वाली खानों तक ही सीमित है।
	(ख) प्रति माह 20,000 घन मीटर तक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र, जो केवल ऑपनकास्ट (कोयला) वाली खानों तक ही सीमित है या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र, जो केवल ऑपनकास्ट (कोयला) खानों तक ही सीमित है।
भूमिगत लौह धातु की खाने:	(क) 1,250 टन से अधिक औसत उत्पादन।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु)।
	(ख) 1,250 टन तक औसत उत्पादन।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु)।
ऑपनकास्ट लौह धातु की खाने:	(क) प्रति माह 20,000 घन मीटर से अधिक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) खानों तक ही सीमित है।
	(ख) प्रति माह 20,000 घन मीटर तक सामग्री का उपयोग	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) वाली खानों तक ही सीमित है। द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण पत्र जो केवल ऑपनकास्ट (धातु) वाली खानों तक ही सीमित है।
खान जिसमें ऑपनकास्ट और भूमिगत दोनों कार्य किए जाते हैं	सभी कोयला और धातु की खाने	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र (कोयला या धातु जैसा भी मामला हो)।
तेल की खाने	सभी तेल की खाने	केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से भौतिकी या भूभौतिकी या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान में इंजीनियरिंग या स्नातकोत्तर की डिग्री या डिप्लोमा और तेल की खानों में संचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण का अनुभव है, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के मामले में पंद्रह वर्षों से कम अवधि का न हो और अन्य मामलों में दस वर्ष से कम न हो।

91. धारा 68 के तहत कुछ खानों में संहिता का लागू न होना.-संहिता के प्रावधान, धारा 35, 38, 40, 41 और 44 में शामिल प्रावधानों को छोड़कर, इन खानों पर लागू नहीं होंगे -

(i) कोई खान या उसका कोई भाग जिसमें उत्खनन केवल पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए और न कि उपयोग और बिक्री के लिए खनिज प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है:

बशर्ते कि-

- (क) इस तरह के किसी भी उत्खनन के संबंध में किसी भी दिन बीस से अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं हैं।
- (ख) उत्खनन की गहराई कहीं से भी उसके उच्चतम बिंदु से उसके निचले बिंदु तक छः मीटर से अधिक न हो या, कोयला उत्खनन के मामले में, पंद्रह मीटर से अधिक न हो; और
- (ग) उत्खनन का कोई भी भाग उपरिवर्ती सतह के नीचे न हो; या

(ii) कंकड़, मुर्रम, लेटराइट, बोल्डर, बजरी, शिंगल, साधारण रेत (माउल्लिंग रेत, कांच रेत या अन्य खनिज रेत को छोड़कर), सामान्य मिट्टी (केओलिन, चाइना मिट्टी, व्हाइट मिट्टी या फायर क्ले को छोड़कर) निर्माण पत्थर, स्लेट, रोड मेटल, भूमि, फुलर्स अर्थ, मार्ल, चाक और चूना पत्थर का उत्खनन करने वाली कोई:

बशर्ते कि-

- (क) इस कार्य का विस्तार आस-पास के भूमिगत कार्यों के लिए नहीं होता है।
- (ख) जहां यह एक ओपन कास्ट कार्य हो -
 - (i) उत्खनन के गहराई को उच्चतम बिन्दु से निम्नतम बिन्दु तक मापने पर यह छः मीटर से अधिक न हो।
 - (ii) किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक न हो; और
 - (iii) उत्खनन के कार्यों में विस्फोटक का उपयोग न किया गया हो।

2. जैसे ही कोई प्रतिष्ठान खान बन जाता है तो खान का नियोजित खान के रूप में परिवर्तित होने की तिथि के सात दिनों के भीतर निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस देगा।

3. उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित अन्य बातों के होते हुए केंद्र सरकार को ऐसे खान अथवा उसके किसी भाग पर ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए, संहिता के सभी प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करने के लिए लिखित आदेश की अपेक्षा हो सकती है।

92. धारा 70 की उपधारा (3) के तहत आरंभिक और आवधिक चिकित्सीय जांच:

(1) प्रत्येक खदान का अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक इसके लिए व्यवस्था करेगा -

- (क) एक खदान में रोजगार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक चिकित्सा जांच।
- (ख) प्रतिवर्ष एक खदान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की आवधिक चिकित्सीय जांच।

(2) यदि धूल से संबंधित बीमारी के किसी संदिग्ध मामले की पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो तो मेडिकल परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अधिक लगातार अंतराल पर आवधिक चिकित्सीय परीक्षण या एक्स-रे जांच या दोनों, आयोजित किए जाएंगे।

93. जांच प्राधिकारी -

(1) पूर्वोक्त चिकित्सा परीक्षण खदान के अधिष्ठाता के रोजगार में एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या खदानों के समूह के मालिकों द्वारा, या किसी भी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत सौंपा जाएगा।

(2) जांच प्राधिकरण को व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईएलओ रेडियोग्राफ ऑफ़ चेस्ट रेडियोग्राफ़ शामिल है।

94. चिकित्सा जांच की सूचना - (1) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के संबंध में, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को मुख्य निरीक्षक द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक द्वारा परीक्षण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(2) समय-समय पर चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रबंधक को मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक द्वारा परीक्षण प्राधिकारी को पिछले मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ ही संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी उचित कारण के लिए, उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसार चिकित्सा जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे मुख्य सह-सुविधा प्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले फॉर्म में दस दिनों की न्यूनतम अवधि का दूसरा नोटिस दिया जाएगा, ऐसे नोटिस की एक प्रति प्रबंधक द्वारा प्रत्येक परीक्षण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) परीक्षण प्राधिकारी प्रबंधक को एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा कि संबंधित व्यक्ति चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित हुआ है या नहीं।

95. चिकित्सीय जांच से गुजरने में विफलता— जो व्यक्ति बिना उचित कारण के, स्वयं को मेडिकल जांच के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसार सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी;

बशर्ते कि एक व्यक्ति जो खुद को चिकित्सा जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए छुट्टी देने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि वह उस समय के भीतर नोटिस का अनुपालन क्यों नहीं कर सका। यदि उसका स्पष्टीकरण प्रबंधन द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तो उसे चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि उनका स्पष्टीकरण प्रबंधन द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रबंधन द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी;

96. चिकित्सा परीक्षण की मानक और रिपोर्ट - (1) प्रारंभिक चिकित्सा जांच का आयोजन करने वाले प्राधिकारी मुख्य निरीक्षक -सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्रपत्र में निर्धारित मानकों के अनुसार किसी व्यक्ति की जांच करेंगे।

(2) समय-समय पर चिकित्सीय परीक्षण करने वाले प्राधिकारी मुख्य निरीक्षक -सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले फॉर्म में निर्धारित मानक के अनुसार किसी व्यक्ति की जांच करेंगे।

(3) परीक्षणों के बाद, मुख्य निरीक्षक -सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले फॉर्म में मेडिकल प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक से या रसीद के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को जांच प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित रसीद के अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को भेजी गई एक अन्य प्रति या रसीद के तहत वितरित की जाती है।

(4) जांच प्राधिकारी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण-पत्र की तीसरी प्रति को बनाए रखेगा।

(5) व्यक्ति की आवधिक चिकित्सीय जांच के मामले में, जांच प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति के पिछले चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति, संबंधित खदान के प्रबंधक को वापस भेज देगा।

97. चिकित्सा प्रमाण- पत्रों का प्रतिधारण और स्थानांतरण - (1) सभी मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें मेडिकल इतिहास और नौकरी के विवरण के साथ सभी मेडिकल जांच रिकॉर्ड शामिल हैं, जो एक खदान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की व्यावसायिक धूल प्रभावित जोखिम प्रोफाइल को दर्शाती हैं उसे खदान के प्रबंधक द्वारा, जब तक वह व्यक्ति खदान में कार्यरत है और उसके बाद पांच साल की अवधि के लिए अपने पास रखा जाएगा:

बशर्ते कि किसी खदान का प्रबंधक, जहां ऐसा कोई व्यक्ति कार्यरत है अथवा था, तो किसी अन्य खदान के प्रबंधक द्वारा अनुरोध किए जाने पर जहां व्यक्ति को नियोजित किया जाना है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसे सभी मेडिकल प्रमाण-पत्र भेजेगा।

(2) यदि जांच प्राधिकारी किसी खदान में नियोजित अथवा नियोजित किए गए जाने वाले किसी व्यक्ति की चिकित्सा जांच आयोजित करता है या किया जाता है, तो उसे ऐसे परीक्षण कर्तव्यों से तब छूट मिल जाती है, जब चिकित्सक व्यवसायी संबंधित खदान के प्रबंधक को अपने पास से चिकित्सा जांच के सभी रिकॉर्ड हस्तांतरित करेगा।

98. उम्मीदवारों की पहचान - जांच प्राधिकारी, मेडिकल प्रमाण-पत्र की प्रतियों पर चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के आधार नंबर और हस्ताक्षर को रिकॉर्ड करेगा।

99. महिलाओं की चिकित्सा जांच- किसी महिला कर्मचारी की जांच अधिमानतः महिला चिकित्सक द्वारा की जाएगी। यदि कोई महिला योग्य चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, तो महिला कर्मचारी का किसी अन्य महिला की उपस्थिति में योग्य पुरुष चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच किया जाएगा।

100. पुनः जांच के लिए अपील - (1) जहां प्रारंभिक चिकित्सा जांच या आवधिक चिकित्सा जांच के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को खानों में या विशेष श्रेणी की खानों में या किसी निर्दिष्ट कार्य में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तो वह प्रमाण-पत्र की एक प्रति के द्वारा रसीद प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, प्रारंभिक चिकित्सा जांच के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक के पास आवधिक चिकित्सा जांच के मामले में खदान के प्रबंधक के पास पूर्वोक्त घोषणा के विरुद्ध अपील कर सकता है और एक अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः चिकित्सा जांच के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) (क) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक, समय-समय पर चिकित्सा जांच के मामले में खदान के प्रबंधक अपील की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अपीलीय मेडिकल बोर्ड के संयोजक के पास अपील को अग्रेषित करेंगे।

(ख) अपीलीय मेडिकल बोर्ड के संयोजक को मेडिकल पुनः जांच के लिए, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक और अपीलकर्ता को कम से कम पंद्रह दिन पहले नोटिस देना होगा।

(ग) एक व्यक्ति जो किसी भी उचित कारण के लिए अपने आप को एक चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे कम से कम सात दिन पहले एक और नोटिस दिया जाएगा।

(3) अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्येक मेडिकल की पुनः जांच के संबंध में अपीलकर्ता ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा और मेडिकल जांच अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित विधि से आयोजित की जाएगी। यदि अपीलीय मेडिकल बोर्ड उसे खानों में रोजगार के लिए उपयुक्त पाता है, तो खदान के अधिष्ठाता द्वारा अपीलकर्ता के पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जहां वह कार्यरत है।

101. अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन - अपील पर चिकित्सा पुनः परीक्षण के उद्देश्य के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा, अर्थात्:

(1) एक इंस्पेक्टर सह सुविधाप्रदाता (व्यावसायिक स्वास्थ्य), जो बोर्ड के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त दो योग्य चिकित्सक और राज्य या केंद्र सरकार के रोजगार में या सरकारी उपक्रम में मुख्य निरीक्षक -सह- सुविधाप्रदाता द्वारा यथानामित।

बशर्ते, यदि अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की राय है कि विशिष्ट मुद्दों के लिए ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता है तो संयोजक किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक का सह-चयन कर सकता है।

102. अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल पुनः जांच की मानक और रिपोर्ट — (1) अपीलीय मेडिकल बोर्ड अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच करेगा -

(क) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित रूप में निर्धारित मानक के अनुसार।

(ख) आवधिक चिकित्सा जांच के लिए मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित रूप में निर्धारित मानक के अनुसार;

(2) मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले फॉर्म में मेडिकल पुनः जांच का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा-

- (क) समय-समय पर चिकित्सा जांच के मामले में खदान के प्रबंधक को;
- (ख) प्रारंभिक चिकित्सा जांच के मामले में अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को;
- (ग) अपीलकर्ता को;

(3) चिकित्सा प्रमाण-पत्र की एक प्रति संयोजक के पास रखी जाएगी;

103. अनफिट व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए - (1) जहां, एक प्रारंभिक चिकित्सा जांच या आवधिक चिकित्सा जांच के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को खानों में या किसी विशेष श्रेणी में या किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा या खान या खानों की श्रेणी में नियोजित रहना जारी रखा जाएगा, यदि उसकी चिकित्सा जांच की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद घोषणा के विरुद्ध उसने अपील दायर नहीं की है।

(2) जहां संबंधित व्यक्ति ने अपील दायर की है, लेकिन अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा, एक मेडिकल पुनः जांच के बाद, खानों में या खानों की किसी विशेष श्रेणी में या खदानों में किसी विशेष संचालन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी मेडिकल पुनः जांच की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति के बाद, खदान में या खदानों की श्रेणी में या निर्दिष्ट किए गए कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा या बनाए रखा जाएगा:

बशर्ते, यदि प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण करने वाले योग्य चिकित्सक या समय-समय पर होने वाली चिकित्सीय जांच, रोजगार में पहले से ही व्यक्तियों की मेडिकल जांच कर रहे अपीलीय मेडिकल बोर्ड की राय में कि जांच की गई व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त है तो इस तरह की प्रकृति और प्रभाव से जो उसे अपने कर्तव्यों के सामान्य निर्वहन को गंभीरता से प्रभावित या बाधित नहीं करेगी, यह खदान में रोजगार में उसकी निरंतरता की सिफारिश छह महीने से अधिक नहीं कर सकती है, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति अपनी विकलांगता को ठीक या नियंत्रित कर ले और खुद को एक अन्य चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत करे और उपयुक्त घोषित करे।

104. चिकित्सा परीक्षण की लागत - इन नियमों के तहत यदि व्यक्ति को अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः जांच के बाद खानों में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के प्रत्येक चिकित्सा जांच की पूरी लागत द्वारा खदान के अधिष्ठाता द्वारा वहन की जाएगी।

105. धारा 25 के तहत नियोजन की अवधि और की सीमा से छूट -

(1) संहिता की धारा 71 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को धारा 25 की उप-धारा (1), धारा 26 की उप-धारा (1), धारा 30 और धारा 31 की उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। अर्थात्-

- (क) पर्यवेक्षण या प्रबंधन आदि की स्थिति में गोपनीय क्षमता में कार्यरत व्यक्ति;
- (ख) प्रबंधक, उप-प्रबंधक, स्थापना प्रबंधक, अग्रिमन अधिकारी, प्रबंधक के अधीन, भूमिगत प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वेंटिलेशन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रुमेंटेशन और संचार अधिकारी;
- (ग) खनन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर;
- (घ) तेल की खानों में ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, साथी और पर्यवेक्षक;
- (ङ.) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फोरमैन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र;
- (च) सर्वेयर और सहायक सर्वेयर;
- (छ) योग्य चिकित्सक, ड्रेसर, कंपाउंडर, केमिस्ट, मूल्यांकक, धातुकर्म और कल्याण या कार्मिक अधिकारी; तथा
- (ज) मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की राय में अन्य कोई व्यक्ति जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन की क्षमता रखता हो।

106. धारा 72 के तहत बचाव स्टेशन की स्थापना और स्थान: (1) मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता बचाव केंद्र की स्थापना और रख-रखाव के लिए यथा अपेक्षा नीचे की जमीन की खदान या नीचे के खानों के समूह की अनुमति दे सकता है, इस तरह के डिजाइन वाले स्टेशन और विनिर्देशों पर; और अधिष्ठाता के परामर्श से ऐसी जगह/ स्थानों को आवश्यक माना जा सकता है: बशर्ते कि जहाँ एक से अधिक मालिकों से संबंधित जमीनी खदानें हों, मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता संयुक्त रूप से एक सामान्य बचाव स्टेशन स्थापित करने के लिए दो या अधिक मालिकों की अनुमति दे सकते हैं या उनकी आवश्यकता हो सकती है: बशर्ते कि इस नियम के लागू होने की तिथि तक सभी मौजूदा बचाव स्टेशन, उस तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करना जारी रखेंगे।

(2) प्रत्येक बचाव स्टेशन पर एक अधीक्षक और कम से कम दो प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और अठारह बचाव प्रशिक्षितों के बचाव ब्रिगेड को भी रखा जाएगा।

(3) यदि बचाव स्टेशन पर अधीक्षक की अनुपस्थिति 60 दिन से अधिक हो जाती है, तो अधिष्ठाता किसी अन्य अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(4) अधिष्ठाता, अधीक्षक द्वारा पदभार संभालने या त्यागने के एक ही दिन में, जहां खदान स्थित है वहां के मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को सूचित करेंगे।

107. बचाव स्टेशनों के कार्य - बचाव स्टेशन के कार्यों में शामिल होंगे: -

- (i) बचाव और वसूली कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ii) प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (iii) प्रमुख दुर्घटनाओं या लंबे समय तक चलने वाले बचाव और वसूली कार्यों के मामले में अपनी बचाव टीमों और उपकरणों द्वारा सहायता प्रदान करना; तथा
- (iv) इन भूमिगत खानों के संबंध में जहाँ बचाव कक्ष नहीं है वहाँ बचाव कक्ष के कार्यों को निष्पादित करना।

108. बचाव कक्षों की स्थापना और स्थान - (1) प्रत्येक भूमिगत खदान में, जहाँ 100 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप से भूमिगत कार्य में लगाया जाता है और इसके 35 किलोमीटर के दायरे में कोई बचाव स्टेशन नहीं है तो अधिष्ठाता प्रवेश द्वार के करीब स्थापित करेगा और बनाए रखेगा।

बशर्ते कि जहाँ एक ही अधिष्ठाता से संबंधित कई खानों के लिए एक ही बचाव कक्ष उपलब्ध कराना पर्याप्त है: -

- (क) ऐसी सभी खानों के भूमिगत कार्य में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक नहीं है; तथा
- (ख) खदानें 35 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और बचाव कक्ष सड़क के साथ जुड़ी हुई हैं:

आगे यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता खानों के एक समूह के अधिष्ठाता को जहाँ भूमिगत कार्य में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक है वहाँ बचाव कार्य के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यों को छोड़कर बचाव कक्ष के रूप में बचाव स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है।

- (i) अपेक्षित अतिरिक्त बचाव उपकरण से लैस, जिसमें कम से कम दो घंटे श्वास लेने के उपकरण वाले 15 अतिरिक्त सेट शामिल हैं; तथा
 - (ii) प्रशिक्षकों की योग्यता, अनुभव आदि रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रभार के तहत और न्यूनतम पाँच बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति रखे गए हैं, तो उनमें से कम से कम एक व्यक्ति बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव इत्यादि धारण करेगा।
- (2) प्रत्येक बचाव कक्ष में, आवश्यक संख्या में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है, जिनमें से एक के पास बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव आदि होगा, जिसे बचाव कक्ष का प्रभारी बनाया जाएगा। बचाव कक्ष में कम से कम एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहेगा।

109. बचाव कक्ष के कार्य - एक बचाव कक्ष भंडारण, संग्रहण, परीक्षण और श्वास तंत्र और अन्य बचाव उपकरणों और उपकरणों के समायोजन और खानों के लिए उनके त्वरित परिवहन के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा।

110. अधीक्षक की योग्यता, अनुभव आदि- कोई व्यक्ति तब तक अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि -

- (i) बचाव कार्य में प्रशिक्षित व्यक्ति न हो;
- (ii) खानों के भूमिगत कार्य में 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव न हो; तथा
- (iii) एक प्रकार के कार्य में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र रखता हो, जो खुले कास्ट कामकाज के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

111. प्रशिक्षकों की योग्यता, अनुभव आदि- इन नियमों के लागू होने पर किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह -

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमिगत कार्य का 3 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव है; तथा
- (iii) इस प्रकार का प्रबंधक प्रमाण पत्र रखता हो जो खुले कास्ट कार्यों के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

112. बचाव स्टेशनों पर पोस्टिंग के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन - (1) इन नियमों के लागू होने के बाद बचाव कक्ष पर पोस्टिंग के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को उन खदानों में कार्यरत व्यक्तियों में से ऐसे खानों के प्रबंधकों के परामर्श से अधीक्षक द्वारा बचाव स्टेशन पर बचाव कार्य के लिए चुना जाएगा। (2) उप-नियम (1) के तहत चुने गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष और किसी एक समय में बचाव स्टेशन पर पांच वर्ष से अधिक नहीं तैनात किया जाएगा।

113. बचाव कक्ष प्रभारी की योग्यता, अनुभव आदि- कोई व्यक्ति तब तक बचाव कक्ष प्रभारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति न हो;
- (ii) खानों में जमीन के नीचे के काम का 3 साल का व्यावहारिक अनुभव न रखता हो; तथा
- (iii) एक प्रबंधक का, ओवरमैन या फोरमैन का प्रमाण-पत्र, जो खुले कास्ट कामकाज के लिए प्रतिबंधित नहीं है, न रखता हो।

114. उपकरण - (1) प्रत्येक बचाव स्टेशन पर अनुसूची-I में यथानिर्दिष्ट तत्काल उपयोग वाले उपकरण और उपस्करों का प्रावधान और रख-रखाव किया जाएगा,

(2) प्रत्येक बचाव कक्ष में अनुसूची II में यथानिर्दिष्ट तत्काल उपयोग वाले उपकरण और उपस्कर का प्रावधान और रख-रखाव किया जाएगा।

(3) भूमिगत खदान में जहाँ कोई बचाव कक्ष नहीं है, अनुसूची-III में यथानिर्दिष्ट उपकरण और उपस्कर का प्रावधान और उनका रख-रखाव खदान के प्रवेश द्वार पर किया जाएगा।

(4) एक बचाव स्टेशन पर स्व-श्वास उपकरण प्रदान की जाएगी और इसके अंतर्गत बचाव कमरे में एक ही प्रकार और स्वरूप के उपकरण होंगे।

(5) उप-नियम (1), (2) और (3) के अनुसरण में दिए गए निम्नलिखित उपकरण और उपस्कर मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित स्वरूप या मानक के समान होंगे: -

(क) श्वास उपकरण;

(ख) एक ही उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हेलमेट और उपकरण;

(ग) पुनर्जीवन उपकरण;

(घ) विद्युत सुरक्षा लैंप और लौ सुरक्षा लैंप;

(ङ.) गैस डिटेक्टर; तथा

(च) स्वयं को बचाने वाले उपकरण।

(6) सभी श्वास उपकरण और प्रत्येक प्रवाह मीटर को इस प्रकार समायोजित और उसका परीक्षण किया जाएगा श्वास तंत्र में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता का अनुसूची IV में यथाअधिसूचित प्रक्रिया से परीक्षण किया जाएगा।

(7) किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली भूमिगत खान में होने वाली दुर्घटना के मामले में, इस दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर, मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को खदान के प्रबंधक द्वारा यथाअधिसूचित प्रपत्र में एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी।

(8) बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष में किसी दुर्घटना के मामले में किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली घटना इस तरह के दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता और निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा यथाअधिसूचित प्रपत्र में एक लिखित रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(9) एक्सपायरी डेट से परे उपयोग के लिए किसी भी रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू रूम या भूमिगत खान के नीचे किसी भी तरह के शोषक शुल्क, केमिकल, सेल्फ-रेस्क्यूअर और गैस डिटेक्टर ठूब नहीं रखे जाएंगे, जो स्पष्ट रूप उन बक्से पर अंकित होंगे।

115. अधीक्षक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों - (1) अधीक्षक बचाव स्टेशन और इस तरह के बचाव स्टेशन द्वारा सेवा किए गए बचाव कक्षों के समग्र नियंत्रण में होंगे।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव केंद्र, बचाव कक्ष और उसके नियंत्रण में भूमिगत खानों के प्रवेश द्वार पर रखे गए सभी बचाव उपकरण और उपकरण सही कार्य क्रम में रखे गए हैं; (ख) निर्दिष्ट अंतराल पर प्रशिक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया; और (ग) के अनुसार परीक्षण और समायोजन किया जाता है।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव के उपकरण और उपकरण को सही कार्य क्रम में बनाए रखने के लिए पुर्जे और आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।

(4) अधीक्षक रखे गए अभिलेखों पर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

(5) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्ति और पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरने वाले व्यक्ति निर्देशों और प्रथाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम प्राप्त करें और उसी के लिए क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

(6) अधीक्षक अपने नियंत्रण में बचाव कक्ष और उपकरण और उपकरण का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

(7) भूमिगत खान में आपातकालीन स्थिति में, अधीक्षक जैसा कि प्रबंधक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा सौंपे गए इस तरह के बचाव और वसूली का कार्य करेगा। वह मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को बचाव या वसूली का काम पूरा होने के बाद चौबीस घंटे के भीतर एक दैनिक रिपोर्ट और एक पूरी रिपोर्ट भेजेंगे।

(8) अधीक्षक एक जिल्दसाज की हुई पुस्तक के रूप में एक डायरी का रख-रखाव करेगा और उसके प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों को रिकॉर्ड करेगा और निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को सुधारने के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई भी करेगा।

116. प्रशिक्षकों के कर्तव्य - (1) अधीक्षक के निर्देशन में अनुदेशक -

(क) बचाव और रिकवरी कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्तियों को निर्देश और साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने और एक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रक्रियाओं का निर्देश प्रदान करेगा और; तथा

(ख) बचाव उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण और समायोजन करेगा और उसके बाद रिकॉर्ड का रख-रखाव करेगा।

(2) भूमिगत खान में, आपातकाल की स्थिति में, प्रबंधक द्वारा या सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा यथा विहित उनकी अनुपस्थिति में अनुदेशक इस तरह के बचाव और वसूली का कार्य करेंगे।

(3) अनुदेशक, अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना बचाव स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।

(4) अधीक्षक की अनुपस्थिति में, अनुदेशक बचाव स्टेशन का प्रभारी होगा।

117. बचाव कक्ष प्रभारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ - प्रत्येक बचाव कक्ष प्रभारी -

- (क) मुख्य रूप से अपने बचाव कक्ष द्वारा दी गई खानों की एक सूची प्रदर्शित करेगा;
- (ख) बचाव कक्ष में रखे गए उपकरण और तंत्र को सही बनाए रखेगा;
- (ग) बचाव कक्ष और उसके निरीक्षण में रखे गए सभी बचाव उपकरणों और उपकरणों का एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा; तथा
- (घ) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से किसी भी उपकरण या उपकरण को बाहर निकालने के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा।

118. बचाव स्टेशन पर तैनात बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के कर्तव्य - बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति -

- (क) अधीक्षक और प्रशिक्षक के आदेश का पालन करेगा और उनके कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करेगा;
- (ख) संदेश, टेलीफोन कॉल और वायरलेस को सुनेगा और उनका रिकॉर्ड बनाए रखेगा;
- (ग) बचाव स्टेशन को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा;
- (घ) बचाव स्टेशन पर रखे गए उपकरण और उपकरण को सही क्रम में बनाए रखेगा;
- (ङ.) खानों में बचाव और रिकवरी कार्य करेगा; तथा
- (च) अधीक्षक से अनुमति प्राप्त किए बिना बचाव स्टेशन नहीं छोड़ेगा।

119. बचाव कक्ष परिचर का कर्तव्य - प्रत्येक बचाव कक्ष परिचर -

- (क) एक विकल्प से राहत मिलने तक बचाव कक्ष नहीं छोड़ेगा;
- (ख) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से किसी भी उपकरण या उपकरण को अंदर ले जाने या अंदर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देगा;
- (ग) टेलीफोन कॉल को सुनेगा और उसका रिकॉर्ड बनाए रखेगा;
- (घ) बचाव कक्ष को साफ सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा; तथा
- (ङ.) बचाव कक्ष प्रभारी के आदेशों का पालन करेगा और उसके कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

120. टेलीफोन संचार - हर खदान को रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन के साथ टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। जहाँ कहीं भी व्यावहारिक हो वायरलेस संचार उपलब्ध कराया जाएगा: बशर्ते कि जहाँ कोई टेलीफोनिक संचार प्रणाली नहीं है, वहाँ मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता लिखित आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन संचार के अन्य साधनों को अनुमोदित कर सकता है।

121. बचाव ट्रेसिंग - भूमिगत खदान पर खदान के कार्य-कलाप की ट्रेसिंग के लिए पिछले तीन माह से पूर्व की तिथि वाले अधिक से अधिक तीन सुगम ट्रेसिंग रखे जाएंगे। अनुरेखण द्वारा खदान में वेंटिलेशन की प्रणाली और विशेष रूप से एयर-करंट की सामान्य दिशा वाली प्रत्येक बिंदु जहाँ हवा की मात्रा को मापा जाता है, हर एयर-क्रॉसिंग, वेंटिलेशन-डोर स्टॉपिंग, बूस्टर फैन और किसी अन्य प्रमुख को दिखाएगा विनियमन और हवा के वितरण के लिए उपकरण, फायर-डैम, तैयारी स्टॉपिंग, प्रत्येक अग्निशमन उपकरण, आयामों और निर्माण के अन्य विवरणों के साथ पानी-बांध, हर पंपिंग, टेलीफोन और एम्बुलेंस स्टेशन, भड़काऊ सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक कमरा, रिजर्व स्टेशनों और हर दुलाई और यात्रा सड़क मार्ग दर्शाया जाएगा।

122. खानों, उनके स्वभाव और आवास में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति - (1) भूमिगत खान के प्रबंधक, जहाँ 100 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप से जमीन के नीचे नियोजित किया जाता हो, वहाँ किसी भी समय सतह पर यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 5 बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हों।

(2) भूमिगत खान के प्रबंधक, जहाँ 500 से अधिक व्यक्तियों को सामान्य रूप से जमीन के नीचे नियोजित किया जाता है, यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति के पैमाने पर या उसके भाग वाले व्यक्ति बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हों।

(3) उपयुक्त आवास प्रदान करना अधिष्ठाता की जिम्मेदारी होगी: -

- (i) अधीक्षक, प्रशिक्षकों और बचाव ब्रिगेड के सदस्यों को बचाव स्टेशन के करीब;
- (ii) कमरे में बचाव के लिए बचाव कक्ष प्रभारी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों और इसमें संलग्न परिचारक; तथा
- (iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट के अलावा भूमिगत खान के प्रवेश द्वार के पास प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने के लिए।

(4) बचाव के लिए तत्काल प्रशिक्षित व्यक्तियों को बुलाने के लिए इंस्पेक्टर सह सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित जमीनी खदान प्रभावी घंटी या अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

123. बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों का चयन - बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए किसी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा, जब तक कि: -

- (i) उसकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच हो और उसके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) के मानक का वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र है;
- (ii) वह प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बचाव कार्य के लिए उसके पास पर्याप्त भूमिगत अनुभव है;
- (iii) वह एक योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो, जैसा कि अनुसूची VI में अधिसूचित किया गया है, जांच के बाद प्रबंधक द्वारा नामित किया गया है, कि वह किसी भी जैविक बीमारी या कमजोरी से मुक्त है और बचाव कार्य करने के लिए फिट है; तथा
- (iv) उसे बचाव स्टेशन के अधीक्षक द्वारा इस तरह की जांच और साक्षात्कार के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, उसे श्वास उपकरण के साथ बचाव कार्य के लिए उपयुक्त माना जाए।

124. निर्देश और अभ्यास आदि - (1) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक व्यक्ति को अनुसूची VII के भाग I में दिए गए निर्देशों और पद्धतियों से गुजरना होगा, जब तक कि वह इस प्रक्रिया से पास नहीं हो जाता है और उसे अधीक्षक द्वारा कुशल होने का प्रमाण नहीं दिया जाता।

(2) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अनुसूची VII के भाग II के रूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रक्रियाओं से गुजरेंगे।

(3) सभी व्यक्तियों का जो ऐसे अभ्यास से गुजर रहा है और निर्देश प्राप्त कर रहा है, प्रत्येक बचाव स्टेशन पर एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड में निम्न शामिल होंगे: -

(i) तिथि और प्रत्येक अभ्यास की प्रकृति :

(ii) अभ्यास के बाद प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, और अगर उसकी स्थिति में कुछ भी असामान्य देखा गया हो, चाहे वह उपकरण के दोष के कारण हो या उस व्यक्ति में पाया गया हो; और

(iii) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

125. बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की चिकित्सा जांच आदि - प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की प्रत्येक बारह महीनों में अनुसूची VI के अनुसार प्रबंधक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कम से कम एक बार एक योग्य चिकित्सक द्वारा पुनः जांच की जाएगी और यदि वह चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाता है तो वह ऐसी घोषणा किए जाने की तिथि से वह एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

126. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का निलंबन - यदि अधिष्ठाता, एजेंट, प्रबंधक या एक निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की राय में एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अक्षम है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही या कदाचार का दोषी है, तो अधिष्ठाता, एजेंट प्रबंधक या निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति को लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए जाने के बाद, उसे किसी भी बचाव और रिकवरी कार्य करने के लिए निलंबित किया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

127. आपात स्थिति में प्रबंधक आदि के कर्तव्य - (1) बचाव दल, प्रबंधक, या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रधान अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता के लिए किसी भी आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल:

(क) आवश्यक सहायता के लिए खदान की सेवा करने वाले बचाव कक्ष या बचाव स्टेशनों को सूचित करना;

(ख) खदान में कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाना;

(ग) आस-पास की खानों के अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक को सूचित करना ताकि उसमें कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं यदि आवश्यक हों, उपलब्ध हो सकें;

(घ) बचाव स्टेशन को घटना की प्रकृति के बारे में यह बताते हुए सूचित करना कि क्या बचाव स्टेशन से सहायता की आवश्यकता होगी;

(ङ.) चिकित्सा सहायता के लिए सूचित करना; तथा

(च) इंस्पेक्टर सह सुविधाप्रदाता को घटना की जानकारी भेजना।

(2) भूमिगत खान पर सभी बचाव और रिकवरी कार्य किए जाने वाले खदान के प्रबंधक के नियंत्रण, निर्देशन और देख-रेख में या उसकी अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि किसी बड़ी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि इग्निशन, विस्फोट, बड़ी भूमिगत आग या एक दुर्घटना जिसमें कई व्यक्ति शामिल हैं। प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी बचाव और रिकवरी कार्यों से संबंधित निर्णय प्रबंधन का एक वरिष्ठ अधिकारी, खान सुरक्षा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, संबंधित रेस्क्यू स्टेशन और वर्क्स की मान्यता प्राप्त यूनिट वाले एक समूह से मार्गदर्शन लेंगे, ताकि वह स्थिति को देखते हुए बिना प्रतीक्षा किए उक्त समूह के संविधान या विचार-विमर्श करने में देर किए बिना आवश्यक निर्णय लेने और कार्य के संचालन का निर्देश दे सकें।

128. बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए नीचे की जमीन की खान में आवास - जब भी बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, भूमिगत खान पर बचाव या रिकवरी के काम में लगे हों, तो ऐसे खदान में भंडारण के लिए उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना होगा और ऐसे कार्य के लिए आवश्यक उपकरण की चार्जिंग करनी होगी। उपयोग में इस तरह के आवास प्रवेश द्वार के पास एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे और उचित रूप से हवादार और प्रकाशयुक्त होंगे। बचावकर्मियों के लिए ठंडे और थोक में पेयजल और भोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

129. बचाव या वसूली कार्य के लिए नीचे की जमीन की खानों में प्रवेश - (1) किसी भी व्यक्ति को भूमिगत खान या उस हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो बचाव या रिकवरी कार्य में संलग्न होने के उद्देश्य से असुरक्षित है, जब तक कि प्रबंधक द्वारा सतह पर मौजूद

खदान के प्रमुख अधिकारी द्वारा उनकी अनुपस्थिति में इसके लिए अधिकृत नहीं किया जाता है। केवल बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-निहित श्वास उपकरण का उपयोग करने के उद्देश्य से खदान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) बचाव या रिकवरी कार्य के दौरान, भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर कुछ व्यक्ति तैनात होंगे और ऐसे सभी व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने और छोड़ने के समय का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे।

130. ताजी हवा वाले स्थान - (1) जितनी जल्दी हो सके, अश्वसनीय क्षेत्र या सुरक्षा परमिट वाले क्षेत्रों के ऐसे सभी स्थानों को ताजी हवा वाले स्थानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे स्थान को यदि संभव हो, टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा:

(i) यदि आधार सतह से भूमिगत है; या

(ii) यदि आधार सतह पर, शाफ्ट तल पर है।

(2) ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें देरी होने के कारण जीवन को खतरा हो सकता है, बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान से आगे नहीं जाएगा, जहां किसी आधार को स्थापित किया जाता है और जब तक कि ऐसे आधार उपलब्ध नहीं कराए गए हों: -

(क) दो व्यक्ति, जिनमें से एक योग्य चिकित्सक होगा और यदि व्यावहारिक हो, अन्य एक बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;

(ख) बचाव उपकरण के साथ तत्काल सेवा के लिए तैयार एक अतिरिक्त टीम;

(ग) एक या एक से अधिक पुनर्जीवित उपकरण, ऑक्सीजन रिवाइवर्स आदि,

(घ) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और स्ट्रेचर,

(ङ.) कार्बन मोनोऑक्साइड के परीक्षण का साधन;

(च) एक हाइड्रोमीटर; और

(छ) दो लौ वाला सुरक्षा दीपक।

(3) जब व्यक्ति पहले से ही ताजी हवा वाले स्थान से दूर काम कर रहे हों, तो वहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों के लिए यथाशीघ्र उपकरणों और उपस्करों को उपलब्ध कराया जाएगा।

131. अग्रणी - किसी खान में साँस लेने के उपकरण के साथ काम करने वाला प्रत्येक बचाव दल अधीक्षक द्वारा नियुक्त एक अग्रणी के अधीन होगा।

132. अग्रणी को निर्देश - बचाव दल को भूमिगत भेजने से पहले, अधीक्षक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, टीम के अग्रणी को स्पष्ट निर्देश देगा कि वह कहां जाएगा और क्या प्रयास करेगा।

133. उपकरण का परीक्षण - जमीन से नीचे जाने से पहले अग्रणी रिसाव के लिए टीम के स्व-निहित श्वास उपकरण का परीक्षण करेगा अथवा परीक्षण की निगरानी करेगा। जब तक यह उपकरण सुरक्षित नहीं पाया जाता है, तब तक ऐसे किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा। वह अपनी पार्टी के उपकरणों की जांच करेगा और गैर-श्वसनीय वातावरण में प्रवेश करने से तुरंत पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्वसन उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं।

134. जमीन के नीचे अग्रणी के कर्तव्य - (1) अग्रणी मैन्युअल काम में संलग्न नहीं होगा। वह पूरी तरह से टीम को निर्देशित करने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपना ध्यान देगा। वह यात्रा के दौरान छत और उसके स्पोर्ट की जांच करेगा और अगर सड़क के किनारे किसी भी जगह पर गिरने की संभावना है, तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि टीम ने जगह को सुरक्षित नहीं बना दिया हो।

(2) अग्रणी टीम को एक साथ रखेगा और टीम के किसी भी सदस्य को भटकने नहीं देगा।

(3) अगर वातावरण स्पष्ट है, तो अग्रणी, दो या दो से अधिक रोडवेज के जंक्शन से गुजरते समय खल्ली द्वारा तीर के निशान के माध्यम से मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यदि वातावरण धुंधला है, तो अग्रणी यह देखेगा कि एक जीवन पाईप लाइन ताजी हवा के आधार से बिछाई जाएगी और टीम के किसी भी सदस्य को उस रेखा की पहुंच से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा; या यदि वह प्रक्रिया अव्यवहारिक है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि प्रत्येक सड़क मार्ग की शाखा मार्ग को पूरी तरह से घेर नहीं दिया जाता।

(4) बचाव उपकरण का उपयोग करते हुए अग्रणी एक घड़ी रखेगा जो 20 मिनट या ऐसे अंतराल पर संकुचित ऑक्सीजन के दबाव को रिकॉर्ड करेगा और पर्याप्त समय में, वापसी की यात्रा शुरू करेगा। यात्रा के दौरान, वह सबसे धीमी चल रहे सदस्य की गति को अपनाएगा, यदि टीम का कोई भी सदस्य संकट में है, तो तुरंत पूरी टीम के साथ ताजी हवा वाले स्थान पर वापस आ जाएगा।

(5) अग्रणी टीम के किसी भी सदस्य को श्वास उपकरण का उपयोग करने के लिए खदान में किसी भी समय काम करने के लिए डेढ़ घंटे से अधिक समय तक या ऐसी अन्य किसी अवधि तक जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा श्वास-उपकरण के उपयोग के संबंध में निर्दिष्ट की गई हो, रहने की अनुमति नहीं देगा।

135. बचाव दल के सदस्य और उनके कर्तव्य - (1) किसी खदान में श्वास उपकरण का उपयोग करने वाले किसी भी बचाव दल में व्यक्तियों की संख्या नेता सहित पांच से कम और छह से अधिक नहीं होगी। (2) यदि किसी आपात स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बचाव दल के पास श्वास उपकरण का कोई प्रावधान नहीं है, तो टीम स्व-बचावकर्ता को ले जाएगी। (3) बचाव दल के सदस्य, सामान्य तौर पर, अनुसूची VIII में अधिसूचित निर्धारित संकेतों का उपयोग एक दूसरे से संपर्क करने हेतु। (4) बचाव उपकरण के साथ यात्रा

करने पर, टीम के प्रत्येक सदस्य को नंबर देते समय उसके स्थान को निर्धारित किया जाएगा। यदि गति बहुत तेज है या कोई संकट महसूस होता है, तो सदस्य एक बार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाएगा। (5) खान में सांस लेने के उपकरण के साथ काम करने वाले बचाव दल के प्रत्येक सदस्य, टीम के नेता के आदेश का पालन करेंगे।

136. काम के दूसरे पाली का प्रतिबंध - कोई भी व्यक्ति एक योग्य चिकित्सक द्वारा जांचे और बिना सही पाए जाने पर किसी अश्वसनीय वातावरण में दूसरे पाली का काम नहीं करेगा।

137. कतिपय परिस्थितियों में मालिक, एजेंट और प्रबंधक की बाध्यता - जब भी भूमिगत खान में आपात स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई हो या न कराई गई हो, मालिक, एजेंट या प्रबंधक मामले के अनुसार सहायता या अतिरिक्त सहायता निकटतम बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन से ली जा सकती है और इस तरह की घटना में: - (क) बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन द्वारा तुरंत हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी; और (ख) खदान का मालिक बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष के मालिक इस तरह की सहायता प्रदान करने हेतु बचाव सेवाओं और उधार ली गई सुविधाओं की पूरी लागत का भुगतान करेगा।

138. सामान्य प्रबंधन - इन नियमों के तहत आवश्यक रूप से बचाव कक्ष या बचाव स्टेशन की उचित स्थापना, रख-रखाव और उचित कार्यचालन सुनिश्चित करना, अधीक्षक, प्रशिक्षकों, बचाव कक्ष प्रभारी, बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करना अधिष्ठाता की जिम्मेदारी होगी और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक बचाव उपकरण और उपकरण प्रदान करना आवश्यक होगा।

139. छूट प्रदान करने की शक्ति - जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की राय में, खदान या बचाव स्टेशन या बचाव कक्ष से संबंधित शर्तें ऐसी हैं जो इन नियमों में निहित किसी भी प्रावधान के अनुपालन के लिए अनावश्यक या अव्यवहारिक हैं तो वह लिखित में एक आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन उक्त प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है।

140. धारा 72 के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण- यदि किसी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है या नहीं, ऐसे नियमों को निर्णय के लिए मुख्य निरीक्षक-सह सुविधाप्रदाता के पास भेजा जाएगा।

141. प्रशिक्षण योजना - (1) प्रत्येक खान का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि सिद्धांत एवं व्यवहार के आधार पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर अधिसूचित की जानी वाली एक प्रशिक्षण योजना कार्यशील है जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को खान में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

बशर्ते कि खान का एजेंट लिखित रूप में अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करें।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में एक आदेश द्वारा प्रशिक्षण योजना में इस तरह के संशोधन की आवश्यकता को उसमें निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित योजना में निम्नलिखित प्रावधान, आगे बढ़ाए जाने के अधीन, शामिल होंगे: -

- (i) व्यक्तियों को खानों में नियोजित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण;
- (ii) पहले से कार्यरत व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण;
- (iii) नई प्रौद्योगिकी, उपकरण या कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन की आरंभ करने के पूर्व प्रशिक्षण;
- (iv) व्यक्ति के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खान में काम करने वाले व्यक्ति की वर्तमान दक्षताओं एवं पूर्ण शिक्षा का आकलन करना;
- (v) खनन कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए खानों में काम करने वाले व्यक्तियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना;
- (vi) ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रशिक्षण देने और कर्मचारियों की क्षमता का आकलन करने में सक्षम हों;
- (vii) लगाए गए और मूल्यांकन किए गए प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना और ऑडिट करना और;
- (viii) समय-समय पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक मानक, मॉड्यूल या कोई अन्य दिशानिर्देश;
- (ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में व्याख्यान देने के लिए व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री।

142. व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल का गठन -

(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे;
- (ख) खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले तीन सदस्यों और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोयला खदानों, धातु खानों और तेल खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव;
- (ग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबद्ध इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य;

(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष स्तर पर मानव संसाधन प्रबंधन में शिक्षा प्रदान करने वाले और पंद्रह साल के अनुभव वाले संस्थान में सेवा देने वाले दो सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि वह उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का सदस्य नियुक्त न कर दे या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले, जो भी बाद में हो,:

बशर्ते कि -

(i) कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;

(ii) उप-नियम (2) के खंड (घ) के तहत नियुक्त एक सदस्य किसी भी ऐसे संस्थान में सेवा करने के लिए निषिद्ध होने पर पद धारण नहीं करेगा, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है;

(iii) किसी व्यक्ति को मृत्यु के कारण, किसी सदस्य के इस्तीफे, या उप-खण्ड (ii) के तहत ऐसा करने के लिए निषिद्ध होने के कारण रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु जिसके लिए ऐसे सदस्य के रूप में जारी रखे जाने का कारण होगा।

(3) एक व्यक्ति जो कोई पद धारण करता है या जिसने बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सदस्य के रूप में, इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए पद धारण किया हो, पात्र होगा, जो दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगा।

(4) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (अध्यक्ष के अलावा) के एक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होंगे।

(5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में नामित एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जिसे इसके बाद सचिव के रूप में इस नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) इस नियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है चाहे सभी अथवा किसी भी सदस्य के पद की अवधि समाप्त हो गई हो।

(7) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठकें, जब कभी भी आवश्यक समझें बैठकें आयोजित कर सकते हैं तथा अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान पर छह महीने में कम से कम एक बार यथाआवश्यक आयोजित की जाएंगी।

(8) (क) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष या सचिव प्रत्येक सदस्य को जो भारत में उपस्थित हो, प्रस्तावित बैठक के लिए कम से कम दस स्पष्ट दिनों में पूर्व सूचना, समय और स्थान सूचित करेगा।

(ख) नोटिस सदस्य के निवास स्थान पर ई-मेल द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा या पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा या पोस्ट किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक नोटिस में उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य के मदों की सूची संलग्न होगी।

(ग) खंड (क) और (ख) में निहित किसी भी बात के होते हुए, अध्यक्ष किसी भी समय सदस्यों को इस तरह की बैठक के समय और तारीख से केवल दो दिन पहले और बैठक में चर्चा के विषय को सूचित करते हुए एक आकस्मिक बैठक बुला सकते हैं;

बशर्ते कि अगर किसी भी बैठक में उप-नियम (12) में निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो बैठक को उस तारीख तक, जो सात दिन बाद या उस दिन से अगले कार्य दिवस के लिए, यदि सार्वजनिक अवकाश हो, के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान और एजेंडा अपरिवर्तित रहेगा।

(घ) जहां बैठक निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण स्थगित की जाती है, तो इस तरह की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की कम संख्या के बावजूद कार्य को निपटाना कानूनन उचित होगा।

(9) (क) अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में अध्यक्षता करेंगे।

(ख) यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो अध्यक्ष किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत करेगा, और इस प्रकार अधिकृत सदस्य के पास उस बैठक के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष की सारी शक्ति होगी।

(10) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में कोई भी लेन-देन का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।

(11) (क) प्रत्येक मामले जिन पर बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को विचार करने की आवश्यकता है, उसकी बैठक में यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को कागजातों के संचालन द्वारा, विचार किया जाएगा।

(ख) जब किसी मामले को पूर्वोक्त रूप में संचालन द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि इसे बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में माना जाना चाहिए और अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा माना जाएगा, लेकिन जब दो या अधिक सदस्यों का अनुरोध हो, तो अध्यक्ष यह निर्देश देगा कि इसे आयोजित की जाने वाली बैठक में माना जाए।

(12) (क) सचिव बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले बैठक में लेन-देन करने के लिए कार्यों की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

(ख) कोई भी कार्य, जो ऐसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दें।

(13) (क) ऐसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से प्रत्येक बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

(ख) उप-नियम (12) के तहत संचलन द्वारा सदस्यों को संदर्भित हर मामला उन सदस्यों के बहुमत की राय से तय किया जाएगा, जिन्हें कागजात भेजे गए थे, जब तक कि अध्यक्ष इसे बाद में आयोजित होने वाली एक नियमित बैठक में विचार के लिए आरक्षित नहीं कर लेते।

(ग) सदस्यों के मतों या मतों के समान विभाजन के मामले में, अध्यक्ष के पास एक वोट या राय होगी।

(14) (क) सचिव प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक जिल्दसाज पुस्तक में दर्ज करेगा और वह बैठक के ऐसे मिनटों की प्रतियों को भारत में मौजूद सभी सदस्यों को प्रसारित करेगा।

(ख) दर्ज किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की अगली बैठक में की जाएगी और टोकन में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(15) (क) अध्यक्ष के पास इन नियमों के तहत किसी अन्य शक्तियों और कार्यों के अलावा, इस प्रकार के कार्य होंगे: -

(i) बैठक से कम से कम दस दिन पहले सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत करना;

बशर्ते कि तात्कालिकता के मामले में, विषय को बैठक से दो दिन पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

(ii) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को जारी करने के आदेश जारी करना;

(iii) अपने विवेक से, केंद्र सरकार के पास अपने आदेशों के लिए किसी भी मामले को संदर्भित करने की शक्ति है; तथा

(iv) आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने या बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्तियां होती हैं।

(ख) अध्यक्ष, छुट्टी के कारण या अन्यथा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, बोर्ड के व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान, अध्यक्ष के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

143. बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के कार्य - बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग-

(1) किसी भी मामले को उसके समक्ष रखने के लिए सलाहकार समितियों का गठन और खदान के मालिक द्वारा स्वतंत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य स्थापना के लिए मानदंड निर्दिष्ट करना, खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को समान मानक बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण का मानक तैयार करेगा।

(2) परीक्षा या अन्यथा, व्यक्तियों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन और मूल्यांकन की प्रणाली द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के तरीके का पता लगाएगा।

(3) परीक्षा या अन्यथा, प्रशिक्षण अधिकारियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यता और प्रशिक्षण अधिकारियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन करने की योग्यता निर्दिष्ट करेगा।

(4) प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के नियुक्ति के तरीके और तरीके को निर्दिष्ट करेगा।

(5) प्रशिक्षण केंद्रों की प्रणाली और मानक, अनुमोदन और निलंबन और प्रशिक्षण केंद्र को रद्द करने और ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों के सभी पहलुओं की लेखापरीक्षा और निगरानी को निर्दिष्ट करेगा।

(6) प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।

(7) सामान्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए मानदंड निर्दिष्ट करेगा।

(8) इन नियमों के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की मंजूरी के लिए आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित करेगा।

(9) इन नियमों के तहत प्रशिक्षक, प्रशिक्षक आदि का पारिश्रमिक या भत्ते का भुगतान करेगा।

(10) खदानों में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड को संदर्भित करेगा।

144. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्कोप और मानक - (1) प्रत्येक खदान का मालिक या एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को नियोजित होने से पहले एक खदान में नियोजित किया जाए और उसे प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए।

बशर्ते कि एक व्यक्ति जो पहले से ही दूसरे खदान में नियोजित है उसके मामले में मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को इस नियम के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रशिक्षण दिया जाए।

145. पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए स्कोप और मानक - एक खदान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण योजना के अनुसार, चार साल में कम से कम एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित में आदेश दे सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन वह खान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अंतराल को बढ़ा या घटा सकता है।

146. पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था - पुनश्चर्या प्रशिक्षण इस तरह से आयोजित किया जाएगा कि व्यक्ति पूरे दिन की छूट पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्रशिक्षण से गुजरेंगे:

बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शर्तों के अधीन लिखित रूप में इस नियम के प्रावधानों से किसी भी खदान को छूट दे सकता है।

147. विशेष प्रशिक्षण - (1) नई तकनीक, उपकरण और कार्य प्रणाली को खान में आरंभ किया जाता है, मालिक या एजेंट या प्रबंधक, प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करेगा और इस तरह के कार्य की शुरुआत के कम से कम साठ दिन पहले निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को सौंपेगा जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल में इस तरह के संशोधन आवश्यकतानुसार कर सकता है।

(2) पूर्वोक्त प्रौद्योगिकी, उपकरण और कार्य प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को पूर्वोक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर इस नियम के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण देना होगा।

148. लंबी अनुपस्थिति के बाद या नौकरी बदलने के बाद व्यक्तियों का प्रशिक्षण - जहां भी कोई व्यक्ति खदान में रोजगार के लिए लौटता है, एक अवधि के लिए काम से अनुपस्थिति के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक काम करता है या गंभीर दुर्घटना में शामिल होने के बाद काम पर लौटता है या एक खतरनाक घटना में जिसके परिणामस्वरूप जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है या एक नौकरी पर फिर से नियोजित किया जा सकता है, जो इस बात से अलग है कि वह पहले जो कार्य निष्पादन कर रहा था, उसे इस नियम के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार रोजगार से पहले प्रशिक्षण लेना होगा।

149. प्रशिक्षण केन्द्र (1) प्रत्येक खदान का अधिष्ठाता एक प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करेगा और उसका रख-रखाव करेगा, जो खान में नियोजित या कार्यरत होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा।

बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, प्राधिकृत करे कि एक ही अधिष्ठाता के दो से अधिक खदानों होने पर एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रावधान किया जा सकता है:

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन, अनुमति दे सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र जिसका स्वामित्व और रख-रखाव एक समूह द्वारा एक से अधिक खदानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

बशर्ते कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र अधिष्ठाता के एक समूह द्वारा स्थापित और रख-रखाव किया जाता है, उन खानों के अधिष्ठाता प्रबंधन, पर्यवेक्षण, दिशा और नियंत्रण चिकित्सा और नामित के लिए सामान्य प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठाता की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनमें से एक को नामित करेंगे। अधिष्ठाता मुख्य मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को लिखित रूप से सूचना देगा।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निहित किन्हीं बातों के होते हुए, मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा अनुमोदन कर सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि किसी अन्य नियम के तहत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र में इन नियमों के तहत अधिसूचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के समान सुविधाएं होंगी।

(4) उप नियम (3) के तहत अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन एक प्रोफार्मा में किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

150. प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था - प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में ऐसे कर्मचारी, उपकरण और अन्य सुविधाएं होंगी जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित हैं।

151. प्रशिक्षण अधिकारी - (1) प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र को एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण अधिकारी के पद के अधीन रखा जाएगा, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव के अनुसार समय-समय पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(2) यह खदान के अधिष्ठाता या एजेंट या सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिष्ठाता की जिम्मेदारी होगी क्योंकि मामला उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण अधिकारी को नियुक्त करने का हो सकता है।

बशर्ते कि अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के मामले में, प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या दिशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इसके बाद अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठाता के रूप में संदर्भित, प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां प्रशिक्षण अधिकारी अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, अधिष्ठाता, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, उनके स्थान पर कार्य करने के लिए समान योग्यता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में प्राधिकृत करेगा।

बशर्ते कि कोई भी प्राधिकरण मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को लिखित में पिछली सहमति के अलावा तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन इसमें निर्दिष्ट कर सकता है;

(4) किसी प्रशिक्षण अधिकारी की सेवा के लिए हर नियुक्ति, छुट्टी, बर्खास्तगी, त्यागपत्र या पदत्याग की लिखित सूचना और उसके प्रमाण पत्र अधिष्ठाता या एजेंट द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता और निरीक्षण को भेजे जाएंगे।

152. प्रशिक्षण अधिकारी के कर्तव्य - (1) प्रशिक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा:

- (i) इन नियमों के पालन में उसके अधीन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना और उसका पर्यवेक्षण करना;
- (ii) प्रशिक्षण की जरूरतों को स्थापित करने में वर्तमान योग्यता और पूर्व शिक्षा को पहचानना;
- (iii) विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना के तहत तैयार किए गए मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षक मानक पाठ्यक्रम सामग्री पर व्याख्यान देते हैं;
- (iv) प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रशिक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (v) वास्तविक संचालन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में पर्यवेक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और
- (vi) इन नियमों के उचित अनुपालन के लिए आवश्यक अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कार्य का रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता जिसका अधिकार क्षेत्र हो, उसके पास, प्रशिक्षण केंद्र के मालिक, एजेंट के माध्यम से या खान के प्रबंधक या एक सामान्य या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र के मालिक के रूप में जैसा भी मामला हो, वर्ष के दौरान अपने काम की रिपोर्ट का सारांश अग्रेषित करेगा।

153. प्रशिक्षक - एक खदान के मालिक या एजेंट या जैसा भी मामला हो, एक सामान्य या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र का मालिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्यता और अनुभव रखने वाले पर्याप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा।

वशर्ते, विशेष परिस्थितियों में, प्रशिक्षण केंद्र में व्याख्यान और प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को खानों से बुलाया जा सकता है।

154. प्रशिक्षक - इन नियमों में उल्लिखित व्यावहारिक प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक खदान में नियोजित किया जाना चाहिए, जिसे एक उपयुक्त श्रेणी के अनुभवी संचालन पर नियोजित और इसके बाद प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत रखा जाएगा, जिसे एतदपरान्त ट्रेनर प्रशिक्षण कहा जाएगा।

155. प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों की योग्यता —

(1) कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव का अधिकारी न हो और इसके विमित्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो।

(2) प्रशिक्षक और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्य के लिए आवश्यक कुशल और अनुभवी होंगे।

156. प्रशिक्षक के कर्तव्य - प्रशिक्षक: -

- (i) कर्मचारियों की योग्यता का आकलन करना और मानक पाठ्यक्रम सामग्री पर व्याख्यान देना;
- (ii) प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रशिक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखना और प्रशिक्षण से गुजरने वाले व्यक्तियों की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

157. प्रशिक्षक और प्रशिक्षण के दौर से गुजरने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य -

- (1) प्रशिक्षक उसके अधीन प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (2) प्रशिक्षक यह देखेगा कि वे व्यक्ति जो प्रशिक्षण के लिए उसके अधीन हैं, कार्यभार संभालेंगे, नौकरी में निहित खतरों को समझेंगे और ऐसी आदतों को विकसित करेंगे, जिससे खानों में सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- (3) प्रशिक्षक यह देखेगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसके साथ खदान के भीतर जाएँ।
- (4) प्रत्येक प्रशिक्षक यह देखेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कार्य स्थल से निकलने वाले मार्ग के बारे में जानते हैं जहाँ उनके काम करने की संभावना है और प्रशिक्षु के लिए लागू अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं।
- (5) प्रशिक्षण से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रशिक्षण के दौरान, प्रभारी प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करेगा।

158. प्रशिक्षण भत्ता -

(1) प्रत्येक प्रशिक्षक को अपने सामान्य वेतन के अलावा खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित और मुख्य निरीक्षक - सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित, किए गए अनुसार उसके पर्यवेक्षण में काम करने वाले किसी प्रशिक्षु के लिए प्रत्येक दिन प्रशिक्षण भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षक, प्रशिक्षण केंद्र में नियमित नियुक्ति के तहत प्रशिक्षक के अलावा, को अपने सामान्य वेतन के अलावा, प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

159. प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र-

(1) कोई व्यक्ति जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण से गुजरता है, प्रशिक्षण पूरा होने पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और प्रशिक्षु के स्वीकार्य प्रदर्शन के अधीन उसे प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(2) जहां प्रशिक्षण अधिकारी किसी प्रशिक्षु की प्रगति या निष्पादन से संतुष्ट नहीं है, तो वह खदान के प्रबंधक को इसकी रिपोर्ट देंगे, जो उसे आगे का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे।

(3) प्रत्येक खदान का प्रबंधक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्ति से संतुष्ट होने के बाद प्रमाण-पत्र पर प्रति-हस्ताक्षर और तिथि निर्दिष्ट करेगा।

160. प्रबंधन को प्रदान किए जाने वाला प्रमाण-पत्र— (1) खदान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति –

(i) यदि वह ऐसे रोजगार के पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; और

(ii) यदि वह खदान के प्रबंधक द्वारा ऐसे यथा विनिर्दिष्ट समय में रोजगार के दौरान प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

इन नियमों के अंतर्गत उन्हें जारी किए गए प्रमाण पत्र को उस खदान के प्रबंधक को वितरित करेगा, जो प्रमाण पत्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उसके लिए रसीद जारी करेगा।

(2) रोजगार की समाप्ति पर उप-नियम (1) के अंतर्गत जमा किया गया प्रमाण-पत्र कर्मचारी को वापस लौटा दिया जाएगा।

161. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण—मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या उनके द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत अन्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी भी प्रशिक्षण केंद्र या उसके किसी भी भाग में प्रवेश, निरीक्षण और जांच कर सकते हैं और ऐसी जांच या पूछताछ कर सकते हैं, जैसा कि वह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त समझते हो कि क्या इन नियमों के प्रावधानों और इसके तहत किए गए आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

162. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने या समापन करने की सूचना—जब इन नियमों के अंतर्गत स्थापित एक प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने या साठ दिनों से अधिक की अवधि हेतु उसके कार्य को समाप्त करने का आशय हो तब, खदान का स्वामी, एजेंट या प्रबंधक अथवा सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के स्वामी, जैसा भी मामला हो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा प्रयोजनार्थ यथा अधिसूचित पद्धति या रूप में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को ऐसे बंद या समापन, जो ऐसे बंद या समापन से पहले तीस दिनों से कम न हो, के कारणों को अभिव्यक्त करते हुए नोटिस प्रदान करेगा:

बशर्ते कि, खदानों के स्वामी या एजेंट या प्रबंधक तत्काल नोटिस देगा जब अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उक्त नोटिस दिए जाने से पहले किसी प्रशिक्षण केंद्र को बंद या समाप्त कर दिया जाता है या पूर्व मंशा के बिना समापन, जो साठ दिनों की अवधि तक चलती है।

163. धारा 117 के अंतर्गत आयु से संबंधित कर्तव्य- चिकित्सा प्राधिकारी संहिता की धारा 42 के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सक होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखता हो और संहिता की धारा 35, 36, 37 और 40 के खंड (ड) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में और खंड (ठ) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

164. धारा 121 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सर्वेक्षण और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने की पद्धति-

(1) किसी कार्यस्थल में किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर रूप से शारीरिक चोट लगती है या कोई खतरनाक घटना घटित होती है या तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय जनित रोग के मामले को दर्ज किया गया है या उन्हें अनुबंधित किया गया है, केंद्र सरकार जैसा भी मामला हो, दुर्घटना या व्यवसाय जनित रोग के कारणों की जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से ऐसी जांच-पड़ताल में आकलन करने वाले या सक्षम व्यक्तियों के रूप में पेश आने के लिए विधिक या विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सक्षम व्यक्ति जोखिमकारी दशाओं की पहचान करने के साथ दुर्घटना या खतरनाक घटनाओं के कारणों की जांच-पड़ताल करेगा जिसे निश्चित करने हेतु उसके पास पर्याप्त प्रमाण होगा और उसे जांच रिपोर्ट में लिखित में दर्ज करेगा कि इसके कारण दुर्घटनाएं या खतरनाक घटनाएं घटी हैं और अपने निष्कर्षों के आधार पर जैसा की उसका मानना है, उस व्यक्ति की पहचान भी करेगा जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) दोबारा घटना को रोकने के लिए कार्यावयन हेतु सुझावों के साथ ऐसे दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं या व्यवसायजनित रोग की रोकथाम के लिए सिफारिशों सहित जांच के निर्णायक निष्कर्ष जांच रिपोर्ट में शामिल होंगे।

(4) गोदी कार्य के मामले में संहिता की धारा 121 के प्रावधानों के अंतर्गत गोदी कार्य से संबंधित किसी दुर्घटना, खतरनाक घटना या व्यवसायजनित रोगों के कारणों की जांच करने के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से जांच करेगा।

(क) जांच करने की तारीख, समय और स्थान तय की जाएगी और यह परिवर्तित भी हो सकता है, जिसकी सूचना (नोटिस) जांच में पेश होने के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति, जिसका नाम और पता सक्षम व्यक्ति को विदित है, को ऐसे तारीख, समय और स्थान की लिखित सूचना 30 दिनों से कम में नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि,—

- (i) ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्मति के साथ, सक्षम व्यक्ति नोटिस की ऐसी कम अवधि दे सकता है, जैसा उन व्यक्तियों के साथ सहमति हुई होगी; और
- (ii) जहां यह जांच के लिए आवश्यक होता है या समय परिवर्तन हेतु उचित होता है या स्थान तय होता है, सक्षम व्यक्ति को जैसा यह प्रकट होता है वैसे बदलाव की सूचना देनी होगी, जो परिस्थितियों में उचित हो।
- (ख) इस नियम के अनुच्छेद (क) के अंतर्गत दी गई नोटिस में सक्षम व्यक्ति का नाम और जांच में सक्षम व्यक्ति को सहायता करने वाले निर्धारकों का नाम, यदि कोई हो, उल्लेखित होगा।
- (ग) इस नियम के पूर्वगामी प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, सक्षम व्यक्ति भी उन व्यक्तियों को, जिसका जांच की विषय-वस्तु से किसी भी प्रकार का सरोकार है, को सूचित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कार्यों में से एक या उससे अधिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात्-
 - (i) एक या अधिक समाचार पत्रों में जांच की सूचना प्रकाशित करना, जहां स्थानीय/ क्षेत्र में परिचालित करने वाले उपयुक्त समाचार पत्र जिसमें विषय-वस्तु की जांच की गई; और
 - (ii) जांच के ऐसे अन्य सूचना दें जैसा कि सक्षम व्यक्ति को उचित प्रतीत होता है; और इस नियम के अनुच्छेद (क) में निहित सूचना की अवधि से संबंधित आवश्यकताएं ऐसी किसी भी नोटिस पर लागू नहीं होगी।

165. जांच हेतु प्रस्तुत होने वाले व्यक्ति— (1) जांच हेतु प्रस्तुत होने वाले पात्र व्यक्ति होंगे—

- (क) धारा 2(उ) के अंतर्गत कोई सक्षम व्यक्ति;
- (ख) कोई संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी;
- (ग) कोई नियोक्ता संघ या कर्मचारी ट्रेड यूनियन;
- (घ) कोई व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि किसी दुर्घटना, घटना, परिस्थिति, बीमारी या कोई अन्य मामला जो जांच का विषय है, के कारण घायल हुआ हो या उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा हो;
- (ङ) किसी भी परिसर का स्वामी जहां दुर्घटना, घटना, परिस्थिति या अन्य मामला घटित या उत्पन्न हुई हो;
- (च) गोदी पर काम करने वाला कोई व्यक्ति दुर्घटना, घटना, परिस्थिति या अन्य मामले जो जांच का विषय है, को जन्म दे रही है; और
- (छ) नियुक्त सक्षम व्यक्ति के विवेकाधीन कोई अन्य व्यक्ति।

(2) जांच में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात्:—

- (क) किसी निगम निकाय का प्रतिनिधित्व उसके सचिव या प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई अन्य अधिकारी या परामर्शदाता या न्यायवादी द्वारा किया जा सकता है;
- (ख) कोई सरकारी विभाग, कर्मचारी संघ या ट्रेड यूनियन किसी परामर्शदाता या न्यायवादी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है;
- (ग) जहां जांच के अंतर्गत मामले में एक समान सरोकार रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति इच्छुक होने वाले कुछ या सभी व्यक्तियों के लाभ हेतु उपस्थित होने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को अनुमति दे सकता है।
- (3) संहिता की धारा 121 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति या तो स्वयं के इच्छानुसार या किसी पात्र या पेश होने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा भौतिक साक्ष्य दिए जाने अथवा कोई भौतिक साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की संभावना है, को नोटिस दे सकता है जिसमें उस व्यक्ति को उस नोटिस में निर्धारित समय और स्थान पर साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए जांच में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है।
- (4) कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (3) के अंतर्गत कोई नोटिस दिया जाता है, वह अपेक्षाओं में परिवर्तन या खारिज करने के लिए या तो जांच में या पहले सक्षम व्यक्ति को अपील कर सकता है और जहां वह जांच से पहले ऐसा करता है तो, वह उस व्यक्ति को अपने आवेदन का नोटिस देगा, यदि कोई हो, जिन्होंने उप-नियम (3) के अंतर्गत नोटिस दिए जाने हेतु आवेदन किया था।
- (5) इन नियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, किसी जांच के संबंध में प्रक्रिया सक्षम व्यक्ति के विवेकाधीन होगा, जो प्रक्रिया की सुनवाई आरंभ होने का उल्लेख करेगा, बशर्ते कि जांच में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तियों द्वारा निवेदन किया गया हो कि, उसने अपनाने हेतु प्रस्ताव किया है और सुनवाई के दौरान किसी स्थल निरीक्षण के संबंध में उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव के विषय ने उन व्यक्तियों को सूचित करेगा।

(6) खदानों के मामले में, धारा 121 के अंतर्गत जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से, जैसा न्यायालय दुर्घटना या अन्य घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी समझता है, जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करने हेतु जांच न्यायालय की मदद करेगा।

(7) यदि जांच न्यायालय पाता है कि प्रबंधन की ओर से किसी लापरवाही या उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है, तो न्यायालय के पूर्व संस्वीकृति के साथ होने वाले किसी भी व्यय सहित ऐसे न्यायालय के व्ययों की वसूली हेतु न्यायालय निदेशित कर सकता है और जांच से संबंधित किसी

अन्य व्ययों, जिसे न्यायालय ऐसे तरीके से और न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसे समय के भीतर संबंधित खदान के स्वामी से वसूली करने हेतु निदेशित कर सकता है।

(8) उप-नियम (1) के अंतर्गत वसूली करने के लिए निदेशित राशि, संबंधित प्राधिकारी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा आवेदन पर, स्वामी या नियोक्ता या अधिभोक्ता से वसूल किया जा सकता है।

(9) केंद्र सरकार द्वारा अपनी ओर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में से नामित व्यक्ति जांच न्यायालय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(10) आदेश या सर्वेक्षण जैसा भी मामला हो आदेश के गठन की तारीख तीन माह के भीतर पूरा कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

166. धारा 121 की उपधारा (4) के अंतर्गत सर्वेक्षण की पद्धति और अन्य संबंधित मामले- केंद्र सरकार डीजीओएसएच या डीजीएमएस या केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन कोई अन्य संस्थापन को निम्नलिखित पद्धति से कार्य परिसर में और इसमें कार्यरत कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य हेतु किसी कार्यस्थल या कार्यस्थल के वर्ग या क्रियाकलाप के प्रभाव में सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति पर एक सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त करने हेतु निदेश कर सकती है:

(क) सर्वेक्षण के संचालन हेतु डीजीओएसएच या डीजीओएसएच की अध्यक्षता में किसी संस्थापन द्वारा एक समिति गठित की जाएगी।

(ख) समिति कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति और कामगारों पर उसके प्रभाव का पता लगाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करेगी।

समिति की रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के समान होगी और दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं या व्यवसायजनित रोगों की रोकथाम के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए सिफारिशों के साथ सर्वेक्षण के निर्णायक निष्कर्ष और कार्यावयन हेतु सुझाव शामिल होंगे अतएव जिसका अनुपालन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अध्याय XII

अपराध और दंड

167. धारा 114 की उपधारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराध शमन करने की पद्धति- (1) धारा 114 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराधों के शमन के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी अपराधों के लिए कम्पाउन्डिंग नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करेगा, जो कि धारा 114 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन योग्य है।

(2) जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है तथा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, सम्पूर्ण कम्पाउन्डिंग राशि इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अथवा अन्य किसी रूप से जमा कर सकता है।

(3) कंपाउन्डिंग अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जिससे कंपोजीशन नोटिस से संबंधित ऐसी राशि प्राप्त हुई हो, को कंपोजीशन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर एक कंपोजीशन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा नोटिस दिए गया, अभियोजन के प्रारंभ से पहले एक महीने के भीतर कंपोजीशन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

(5) धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक के अध्यक्षीन और धारा 114 के अंतर्गत शमन करने वाले ऐसे प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा।

प्रपत्र-I

(नियम 3 देखें)

मौजूदा प्रतिष्ठानों/ नए प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु/ पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

क. प्रतिष्ठान के विवरण

1. एलआईएन के माध्यम से प्रतिष्ठान के विवरणों का पता लगाना:
2. प्रतिष्ठान का नाम:
3. प्रतिष्ठान का स्थान और पता:
4. प्रतिष्ठान के अन्य विवरण:

क. प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख. कार्यरत ठेका कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. नियोजित अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या:

5 (क) कारखानों के लिए:

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

5 (ख) खदानों के लिए:

खनिजों के नाम	खदानों की लीज सीमा (एकड़ में)	स्वामी का नाम और पता	लक्षित औसत मासिक उत्पादन (टन)	किसी भी दिवस में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5

5 (ग) गोदी कार्य हेतु:

गोदी कार्य/ मुख्य पत्तन का नाम	गोदी कार्य के प्रकार	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत करने वाले कार्गो का नाम	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत करने वाले रसायनों का नाम	मात्रा सहित संचालित व संग्रहीत करने वाले जोखिमकारी रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

5 (घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य हेतु:

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

6. स्वामित्व प्रकार/ क्षेत्र:

7. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि:

8. चयनित एनआईसी कोड के विवरण:

9. प्रतिष्ठान की पहचान, नियोक्ता/ प्रतिनिधि का ई-हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर:

ख. नियोक्ता का विवरण:-

1. नियोक्ता/ अधिभोगी/ स्वामी/ एजेंट/ मुख्य कार्यपालक/ पत्तन प्राधिकारी आदि का नाम और पता:
2. पदनाम:
3. नियोक्ता के पिता/ पति का नाम:
4. ई-मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं.:

ग. प्रबंधक/ एजेंट का विवरण

1. प्रबंधक/ एजेंट या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता
2. प्रबंधक/ एजेंट का पता:
3. ई-मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं.:

घ. ठेकेदार कर विवरण

ठेकेदार का नाम और पता	ठेकेदार का ई-मेल पता और मोबाईल	कार्य का नाम	कार्यरत ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	कार्य के आरंभ होने/ समाप्ति की संभावित तारीख
1	2	3	4	5

ड. अन्य विवरण:-

नियोक्ता का हस्ताक्षर/ ई-हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

प्रपत्र-II**(नियम-3(1) देखें)****प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र**

पंजीकरण संख्या

दिनांक

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों से अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र एतद्वारा.....(प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया निशान लगाएं)

- | | |
|----------------------------------|---|
| (क) कारखाना | (ख) खनन |
| (ग) गोदी कार्य | (घ) ठेका कार्य |
| (ङ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य | (च) कोई अन्य कार्य (जो ऊपर शामिल नहीं किए गए हैं) |

2. प्रतिष्ठान के विवरण:

क. प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख. ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरण:

घ. नियोजित अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्या:

3 (क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	अधिभोक्ता और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

3 (ख) खदानों के लिए

खनिजों के नाम	खदानों की लीज सीमा (एकड़ में)	स्वामी का नाम और पता	लक्षित औसत मासिक उत्पादन (टन)	किसी भी दिवस में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5

3 (ग) गोदी कार्य के लिए

गोदी कार्य/ मुख्य पत्तन का नाम	गोदी कार्य के प्रकार	संचालन और मात्रा सहित संग्रहीत करने वाले कार्गो का नाम	संचालन और मात्रा सहित संग्रहीत करने वाले रसायनों का नाम	संचालन और मात्रा सहित संग्रहीत करने वाले जोखिमकारी रसायनों का नाम
1	2	3	4	5

3 (घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

4. भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क की राशि.....

5. पंजीयन अधिकारी की टिप्पणी

पदनाम सहित पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर/ ई-हस्ताक्षर/ डीएससी

स्थान:

दिनांक:

पंजीकरण की शर्तें

(1). नियम 4 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:

(क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा;

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(ग) इन नियमों में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई शुल्क गैर-प्रतिदेय होगी।

(2) नियोजित कामगारों की संख्या या पंजीयन अधिकारी के कार्य शर्तों के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो,

(3) नियोजित किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता को जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्ति की वास्तविक तिथि, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है।

प्रपत्र-III**(नियम-3(8) देखें)****प्रतिष्ठान का पंजीकरण**

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	पंजीकरण सं. और तारीख	पंजीकृत प्रतिष्ठान का नाम और पता एवं स्थान	नियोजित का नाम, पता, और संपर्क विवरण	कामगारों की कुल संख्या और कुल हॉर्सपावर (यदि कोई हो)	ठेका कामगारों की कुल संख्या	टिप्पणी
1	2	2	3	4	5	6	
	(a) कारखाना (b) खदान (c) गोदी कार्य (d) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य (e) ठेका कार्य (f) अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य (g) अन्य कोई कार्य (जो उपर शामिल नहीं किए गए हैं)						

प्रपत्र-IV

(नियम-3(9) और नियम- 5 देखें)

क- प्रतिष्ठान के आरंभ/ समाप्ति का नोटिस:

1. पंजीकरण सं:
2. प्रतिष्ठान का नाम और पता:-
3. नियोक्ता/ पत्तन प्राधिकारी का नाम और पदनाम (जिनका प्रतिष्ठान के मामलों के ऊपर अंतिम नियंत्रण है):-
4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार किया जाना है:-
5. प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृति:-
6. कार्य आरंभ करने हेतु नोटिस के मामले में कार्य की अनुमानित अवधि:-
7. समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख:

मैं/ हम एतद्वारा यह सूचित करता हूँ/ करते हैं कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीकरण संख्या

.....दिनांक का

कार्य आरंभ/ होने की संभावना है/ समाप्ति(दिनांक)/.....(दिनांक) से प्रभावी होने की संभावना है।

कार्य समाप्ति के मामले में:

मैं/ हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

प्रपत्र-V

(नियम-6)

निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार किसी योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच संचालित किया जाएगा:

क. जनसांख्यिकीय:

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणी
दिनांक:		
कामगार का नाम:		
आयु:		
स्थायी पता:		
लिंग:		
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या:		
परिवार की कुल मासिक आय:		
क्या कर्मचारी ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना के अंतर्गत है, यदि हां तो, आईपी संख्या उपलब्ध करें।	हां/ नहीं	
क्या कर्मचारी ईएसआई योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत है? (यदि हां तो, योजना का नाम उपलब्ध करें)	हां/ नहीं	

ख. व्यावसायिक इतिहास

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणी
वर्तमान पदनाम:		
कार्य प्रोफाइल:		
वर्तमान कार्य प्रोफाइल में सेवा की अवधि:		
प्रति पाली कार्य घंटे:		
प्रति सप्ताह रात की पाली:		
प्रति सप्ताह रात की पाली:		

ग. चिकित्सा इतिहास की संक्षिप्त समीक्षा: पहले से रोग की पहचान या वर्तमान में उपचाराधीन या वर्तमान में निम्नलिखित से पीड़ित

प्रश्न	उत्तर (हां/नहीं)	टिप्पणी
रक्तहीनता		
पीलिया		
दमा		
सीओपीडी		
किसी अन्य फेफड़े के रोग का इतिहास: (यदि हाँ, तो कृपया निर्दिष्ट करें)		
सर घूमना/ चक्कर आना		
मधुमेह संबंधी रोग		
उच्च रक्तचाप		
कोई कर्क रोग (यदि हाँ, तो कृपया कर्क रोग का उल्लेख करें)		
पीठ के निचले भाग में दीर्घकालिक दर्द		
हाँथ या कुहनी में दीर्घकालिक दर्द		
हर्निया		
हाइड्रोसील		
अपस्फीत नस		
बवासीर		
कार्य के दौरान अंग-विच्छेद/ फ्रैक्चर/ हड्डी या जोड़ का उखड़ जाने वाली चोट का इतिहास (यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें)		
त्वचाशोथ (यदि हाँ, तो जगह का उल्लेख करें)		
श्रवण दोष		
दृष्टि दोष		
पिछले 1 वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोई बड़ी बीमारी (यदि हाँ तो, रोग का नाम)		
गत 1 वर्ष में व्यवसायजनित चोट: यदि हाँ तो, चोट का स्थान और उसकी बारंबारता को उल्लेख करें।		

घ. वर्तमान लक्षण-रोग मॉड्यूल

प्रश्न	उत्तर (हां/ नहीं)	टिप्पणी
धूम्रपान की आदत		
चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा:		

शराब की लत		
त्वचा रोग (इरिटेड कांटेक्ट डर्मेटाइटिस/ एक्जिमा/ क्लोरैने/एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस):		
रासायनिक एजेंट या जैविक एजेंट की प्रतिक्रिया के कारण आंख/ नाक/ गला की जलन:		
पाली के आरंभ होते ही श्वसन संबंधी कठिनाई/ सीने में जकड़न /सूखी खांसी जैसे लक्षण:		
वर्तमान में टीबी से पीड़ित:		
पीलिया या हेपेटाइटिस:		
वर्तमान में पीठ के निचले भाग में दर्द से पीड़ित		
वर्तमान में हाँथ या कुहनी के दर्द से पीड़ित		
वर्तमान में दृष्टि दोष से पीड़ित		
वर्तमान में श्रवण दोष से पीड़ित		
कोई मौजूदा चोट (अंग-विच्छेद/ फ्रैक्चर/ हड्डी या जोड़ का उखड़ जाने वाली चोट)		
किसी भी मौजूदा मांशपेशी संबंधी मोच/ खिंचाव		

ड. शारीरिक जांच

जांच की तारीख:

प्रश्न	उत्तर (हां/नहीं) या यथा उपयुक्त	टिप्पणी
सामान्य त्वचा की स्थिति: (यदि कोई त्वचाशोथ है, तो कृपया उसके स्थान का उल्लेख करें)		
भार (किलोग्राम में):		
कद (मीटर में)		
तापमान (°एफ) :		
रक्तचाप:		
नब्ज:		
एसपीओ2:		
श्वसन दर:		
महिला कर्मचारी की स्तन जांच		

च. अन्वेषण रिपोर्ट

- नियमित रक्त जांच: रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें
- जीवनकाल में एक बार रक्त समूहन और आरएच टाइपिंग और एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस

मानदंड	उत्तर (सामान्य/ वृद्धि/ कमी)	मान
हीमोग्लोबिन %:		
कुल डब्ल्यूबीसी गणना और अंतर गणना:		
प्लेटलेट गणना:		
ईएसआर:		
एफबीएस:		
पीपीबीएस:		

एचबीए1सी स्तर		
बीयूएन:		
क्रिएटिनिन:		
कुल प्रोटीन		
एल्बुमिन		
ग्लोबुलिन		
एसजीओटी		
एसजीपीटी		
बिलिरूबिन		
युरिन आरई		
युरिन एमई		
प्रोस्टेट विशिष्ट एंन्टिजन (पीएसए)		

छ. मानक छाती का एक्स रे (पीए): रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें

दिनांक:

मानदंड	उत्तर (सामान्य/ असामान्य)	मान (यदि कोई महत्व है)
रिपोर्ट		

रिपोर्ट:

ज. स्पिरोमेट्री: रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें (खदान के कर्मचारी के लिए)

दिनांक:

मानदंड	उत्तर (सामान्य/ वृद्धि/ कमी)	मान
पीईएफआर:		
एफईवी ₁ :		
पाया गया:		
पूर्वानुमान:		
एफवीसी:		
पाया गया:		
पूर्वानुमान:		
एफईवी ₁ / एफवीसी:		
अंतिम रिपोर्ट: सामान्य/ प्रतिरोधी फेफड़े का रोग/ प्रतिबंधित फेफड़े का रोग/ मिश्रित फेफड़े का रोग		

झ. श्रव्यतामिति (शुद्ध टोन/ बेरा): रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें (खदान कर्मचारी के लिए)

दिनांक:

मानदंड	मान/ परिणाम/ विवेचन
बाहरी कान में वैक्स, संक्रमण आदि जैसे किसी भी व्यतिक्रम के लिए कान का दृश्य निरीक्षण	
दाएं कान में सुनने की सीमा:	

बाएं कान में सुनने की सीमा:	
बेरा पर आधारित वांछनीय अंतिम रिपोर्ट:	
दायां कान:	
बायां कान:	

ख- नेत्र की जांच: रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें

दिनांक:

मानदंड	मान/ परिणाम/ विवेचन
कॉर्नियल अपारदर्शिता / स्कारिंग आदि जैसे किसी भी व्यतिक्रम के लिए नेत्र का दृश्य निरीक्षण	
दृश्य तीक्ष्णता: दायें	
दृश्य तीक्ष्णता: बायां	
वर्ण दर्शन	
दृष्टि का दायरा	
बाइनोकुलरिटी	
लैटरल फोरिया	
वर्टिकल फोरिया	
एस्टेरिओस्कोपिक विज़न और डेप्थ पर्सपेक्शन टेस्टिंग	
फुनडस (रेटिना) जांच	

ट. 12 लीड ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी:

अंतिम रिपोर्ट:

ठ. ऊंचाई पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा फिटनेस जांच (जैसा प्रयोज्य हो):

1. विस्तृत मेडिकल इतिहास और इन-डेप्थ जनरल मेडिकल परीक्षा जिसमें विजन, हियरिंग, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम आदि के परीक्षण शामिल हैं।

सभी कर्मचारियों को यथा अनुप्रयोज्य

2. विशेष जांच

क) कार्डियोवास्कुलर

अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या इस्केमिक हृदय रोग में अंतर्विरोध होगा। उच्च रक्तचाप और असामान्य ईसीजी निष्कर्षों की उपस्थिति में, कर्मचारी को फिटनेस के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को भेजा जाना चाहिए।

ख) लैब्रिथिन कार्यों के लिए और स्थिति के बोध के लिए नेत्र जांच द्विपक्षीय नेत्रगोलक, रोमबर्ग संकेत के लिए जांच। द्विपक्षीय निस्टागमस की उपस्थिति और एक सकारात्मक रोमबर्ग संकेत एक पूर्ण विपरीत संकेत होगा।

ग) न्यूरोलॉजिकल जांच सीज़र विकारों का मूल्यांकन करें: मस्तिष्क का सीटी स्कैन और ई.ई.जी. यदि सूचित किया गया है।

घ) मधुमेह नियंत्रण स्थिति का आकलन:

(मधुमेह से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में)

ड) फोबिया (एक्रॉफोबिया) और चिंता या अवसाद जैसे किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार का आकलन

च) वर्टिगो और चक्कर आने का मूल्यांकन

औद्योगिक सुरक्षा खंड के प्रयोग हेतु:

एक फुट उंची क्षैतिज पट्टी बार पर स्वतंत्र रूप से चलना: उत्तिर्ण/ अनुत्तिर्ण

सुरक्षा बेल्ट पहनकर रस्सी के गांठ को बांधना: उत्तिर्ण/ अनुत्तिर्ण

बेल्ट पहनकर 9 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्षैतिज संरचना पर चलना: उत्तिर्ण/ अनुत्तिर्ण

सामान्य शारीरिक गठन (ठीक/ ठीक नहीं): उत्तिर्ण/ अनुत्तिर्ण

ड. नियोक्ता और योग्य चिकित्सक द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के रूप में किसी अन्य सूचना/ जांच/ जैविक जांच

प्रपत्र-VI

(नियम-8 देखें)

दुर्घटना या खतरनाक घटना की नोटिस

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता का कोड संख्या:

ई.एस.आई.सी. बीमा

बीमित व्यक्ति का नाम:

1. नियोक्ता का नाम:

2. कार्य/ परिसर का पता

जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है:

3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन:

4. शाखा या विभाग और

सटीक स्थान जहां दुर्घटना या

खतरनाक घटना घटी है :

5. घायल व्यक्ति का नाम और पता :

6. (क) लिंग :

(ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर) :

(ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय :

7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संलग्न है:

8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि, पाली, और घंटा:

9. (क) किस घंटे घायल व्यक्ति ने दुर्घटना

या खतरनाक घटना के दिन कार्य आरंभ किया था:

(ख) क्या दुर्घटना

या खतरनाक घटना के दिन के लिए

उसे पूर्ण या भाग में मजदूरी देय हैं :

10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति:

(ख) यदि मशीनरी के कारण-

(i) मशीन का नाम और उसके

भाग का नाम बताएं जिससे दुर्घटना

या खतरनाक घटना घट रही हैं:

(ii) उल्लेख करें कि क्या दुर्घटना या खतरनाक

घटना के समय यह यांत्रिक शक्ति द्वारा

ले जाया गया था:

(ग) सटीक रूप से उल्लेख करें कि

दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय

घायल व्यक्ति क्या कर रहा था:

(घ) आपकी राय में, क्या घायल

व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक

घटना के समय-

(i) किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था; या

(ii) अपने नियोक्ता की ओर से या द्वारा दिए

गए किसी भी आदेश के उल्लंघन कर रहा था; या

(iii) अपने नियोक्ता के अनुदेश के बिना कार्य कर रहा था?

(ङ) यदि (घ) (i), (ii) या (iii) का उत्तर सकारात्मक है,

तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के

ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ और संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना

नियोक्ता के परिवहन में यात्रा करने

के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या-

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से

आना जाना यात्री के रूप में कर रहा था:

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता

के व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा था:

(ग) नियोक्ता द्वारा या उनके पक्ष में किसी

और व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है

जिसे नियोक्ता के साथ किए गए व्यवस्थाओं के अनुसरण

में प्रदान किया जाता है; और :

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा के

सामान्य अवधि में परिचालन किया/ नहीं किया जा रहा है:

12. यदि आपातकालीन के दौरान दुर्घटना

या खतरनाक घटना घटती है, तो उल्लेख

करें- (क) इसकी प्रकृति; और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के

समय घायल व्यक्ति जहां दुर्घटना या खतरनाक

घटना घटी है उस परिसर में या आस-पास अपने

नियोक्ता के ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था। :

13. संक्षेप में वर्णन करें कि कैसे

दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी:

14. साक्ष्यों का नाम और पता : (1)

(2)

15. (क) चोट की प्रकृति और विस्तार

(जैसे घातक, उंगली खोना,

पैर का फ्रैक्चर, स्कॉलड, स्ट्रैच के बाद सेप्सिस आदि) :

(ख) चोट की जगह (जैसे दायाँ पैर, बायाँ हाँथ, बायीं आँख आदि)

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना

घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या

घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम नहीं कर पा रहा था :

(ख) कार्य से वापसी की तारीख और घंटे :

17. (क) फिजिशियन, डिस्पेंसरी या अस्पताल जहां से

घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है:

(ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित दवाखाना/ पैनल चिकित्सक का नाम :

18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई? :

(ख) यदि हाँ, मृत्यु की तारीख :

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण हर लिहाज से सही हैं।

स्वामी/ नियोक्ता/ प्रबंधक/ एजेंट का हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि:

स्थान:

प्रपत्र-VII

[नियम-57 देखें]

कार्य अवधि का नोटिस

प्रतिष्ठान का नाम.....स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरुष												महिला												समूह का विवरण, कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	नियोजित पुरुषों की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या													
	क			ख			ग			घ			ङ			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों पर

से..

तक ..

से ..

तक ..

से ..

तक ..

आंशिक कार्य दिवसों पर

से ..

तक ..

से ..

तक ..

वह दिनांक जब यह सूचना पहले प्रदर्शित की गई है :

दिनांक:

प्रबंधक या एजेंट का हस्ताक्षर:

प्रपत्र-VIII

(नियम-58 देखें)

किसी प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों, मजदूरी, समयोपरि भत्तों, जुर्माना, क्षति या नुकसान हेतु कटौती का रजिस्टर

मजदूरी, समयोपरि भत्तों, जुर्माना, क्षति या नुकसान हेतु कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम:

नियोक्ता का नाम:

स्वामी का नाम:

नियोक्ता का पैन/ टैन:

श्रमिक पहचान संख्या(एलआईएन):

कर्मचारी पंजी में क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ विभाग	मजदूरी के भुगतान की अवधि (मासिक/ पाक्षिक/ साप्ताहिक/ दैनिक/ मात्रा अनुपाती दर)	मजदूरी की अवधि से - तक	अवधि के दौरान कार्य किए गए कुल दिवसों की संख्या	कुल समयोपरि भत्ते (पीस कामगारों के मामले में किए गए कार्य घंटे या उत्पादन)	मजदूरी की दरें		
							मूल वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

समयोपरि आय	कार्य की प्रकृति और तिथि के साथ चूक जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है	लगाए गए जुर्माना की राशि	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक से नियोक्ता को क्षति या नुकसान	मजदूरी से कटौती की राशि	भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	भुगतान की तारीख	उपस्थिति	
							दिनांक	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रपत्र-IX

(नियम-60 देखें)

वार्षिक विवरणी

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रपत्र

.....को समाप्त वर्ष हेतु

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत ऑन-लाइन भरे जाने हेतु एकल समेकित विवरणी

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

- (1) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और जमा किया जाना अपेक्षित है।
- (2) विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I सभी प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाने के लिए है।
- (3) भाग-II प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाने के लिए है, जो भाग-I के अतिरिक्त केवल खदान हैं।
- (4) प्रतिष्ठान और खदानों का व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य और दशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत एक ही अर्थ होगा।
- (5) यह विवरणी ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में भर जाएगा, जिसने 50 से अधिक कामगारों को नियोजित किया हो और खदान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक कर्मचारी कार्यरत हो।

सभी प्रतिष्ठानों के लिए लागू- भाग-I										
क. सामान्य सूचना:										
क्र. सं.			कोष्ठक भरे जाने के लिए अनुदेश							
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)							
2.	विवरणी की अवधि	से – तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए							
3.	प्रतिष्ठान का नाम									
4.	ई-मेल आईडी									
5.	दूरभाष संख्या									
6.	मोबाईल संख्या									
7.	परिसर का नाम									
8.	उप-मोहल्ला									
9.	जिला									
10.	राज्य									
11.	पिन-कोड									
12.	भू-निर्देशांक									
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे									
ख(ख).	पालियों की संख्या									
ग. तैनात श्रमबाल का विवरण										
विवरण		सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				महा योग
कौशल श्रेणी		अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
(i) वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या		पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	
(ii) वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या		पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	
(iii) उपरोक्त (ii) में से प्रवासी कामगार		पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	
(iv) कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या		पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	पुरुष	महिला	उभयलिंगी	कुल	
घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण										
क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम				कार्यरत ठेका श्रमिक की संख्या					
ड. प्रदान किए गए विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण										
क्र. सं.	प्रदान किए गए विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति			वैधानिक (विधान निर्दिष्ट करें)		भरने हेतु अनुदेश				
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(फ) के अनुसार)			बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं		उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रम सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था				

2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं
3.	एम्बुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	खदान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है
4.	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं पर निशान लगाएं	500 कामगारों या अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और वीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या अधिक कामगार कार्यरत हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू हैं।
5.	सुरक्षा अधिकारी (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खदान के मामले में 100 या अधिक कामगारों और वीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों के मामले में सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त योग्यता प्राप्त चिकित्सक की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम चिकित्सक की संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:					भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (आईआर संहिता, 2020 की धारा 3)	हां/ नहीं			औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत हैं
(क)	गठन की तारीख				
2.	क्या शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 4)	हां/ नहीं			20 या अधिक कामगारों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में कामगार नियोजित हैं
3.	प्रतिष्ठानों में यूनियनों की संख्या				
4.	क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं			
5.	क्या किसी भी वार्ता परिषद का गठन किया गया है (आईआर संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं			
6.	वर्ष के दौरान खारिज किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:				
	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	छंटनी किए गए	सेवा समाप्त या हटाए गए	कुल योग
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रमदिन				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ दिनांक	व्यर्थ गए श्रमदिनों की संख्या	धन संबंधी हानि	
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				

8.	छटनी/ कामबंदी के विवरण				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छटनी किए गए कर्मचारियों को भुगतान किए गए का विवरण	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिन की संख्या	

छ. प्रसूति प्रसूविधा से संबंधित विवरण:

महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की मजदूरी में कटौती की गई की संख्या	

ज. बोनस के भुगतान का विवरण:

क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और अधिसूचनीय रोगों का विवरण:

क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके द्वारा घायल व्यक्ति को ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतक के नाम।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ ओएसएच संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिसूचना रोगों के मामलों की कुल संख्या

ञ- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रमदिन और उत्पादन

क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रमदिन	खोया हुआ उत्पादन

केवल खदानों के मामले में वार्षिक विवरणी प्रपत्र, भाग II

31 दिसंबर को वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक विवरणी.....

1. खदान के विवरण

(i)	संगठन का प्रकार*	
(ii)	स्वामित्व का प्रकार**	
(iii)	कंपनी का नाम/ स्वामी का नाम	
(iv)	खनिज का प्रकार#	
(v)	खनिज का नाम	

(vi)	खदान का प्रकार##	
(vii)	गैस्सीनेस की डिग्री***	
(viii)	कार्य की गहराई (विभिन्न कामकाज के लिए चयन करें)	
(ix)	खोलने की तिथि	
(x)	समापन की तिथि (यदि कोई हो)	
(xi)	फिर से खोलने की तिथि (यदि कोई हो)	

नोट: * उल्लेख करें: पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ निजी; ** उल्लेख करें: फर्म/ संघ/ व्यक्तिगत/

कंपनी; *** उल्लेख करें: I या II या III या उपलब्ध नहीं; # उल्लेख करें: कोयला/ धातु/ तेल; ## उल्लेख करें: भूमि के नीचे/ ओपन कास्ट/ भूमि के ऊपर/ तटवर्ती/ अपतट।

2. खदान में नियोजित सांविधिक कार्मिक

क्र.सं.	पदनाम#	अपेक्षित नहीं	उपलब्ध नहीं	कमी/ अधिकता

संबंधित विनियमों में यथा उल्लेखित सभी अधिकारियों का पदनाम चयन करें।

3. रोजगार विवरण (प्रत्येक खदान को खदान के प्रकार के अनुसार केवल एक सारणी भरना होगा; सारणी 'क' कोयला खदानों द्वारा भरा जाएगा, सारणी 'ख' धातु खदानों द्वारा भरा जाएगा, सारणी 'ग' तेल खदानों द्वारा भरा जाएगा)

सारणी क: कोयला खदान

[illegible]

[illegible]

[illegible]

तालिका ग : तेल की खाने

[illegible]

तालिका क : कोयला खान

* खनिज का उल्लेख करे: कोयला या लिग्नाइट

[illegible]

तालिका ग: तेल की खान

मद संख्या	उत्पादक का प्रकार	जनवरी के अनुसार आरंभिक भण्डार	उत्पादन	मूल्य (रूपये में)	भेजा गया			31 दिसंबर के अनुसार समाप्ति भंडार
					रिफाइनरी को	बाजार में	घरेलु खपत के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	तेल (मेट्रिक टन में)							
2.	गैस (मेट्रिक टन में)							

5. प्रयोग किए गए विस्फोटक:

विस्फोटकों की खपत	जमीन के नीचे	ऑपनकास्ट	कुल
(क) स्वीकृत विस्फोटक (किलोग्राम)			
(ii) गैर-स्वीकृत विस्फोटक (किलोग्राम)			
(iii) कुल (i+ii)			
(iv) डेटोनेटर्स (संख्या में)			

6. मशीनरी और उपकरण

क. खान में इंस्टॉल की गई मशीनरी और उपकरण की समुचित हार्स-पावर

स्थान	विद्युत संचालित मशीनरी (के.डब्ल्यू/एचपी)	तेल/प्राकृतिक गैस/भाप/अन्य कोई (के.डब्ल्यू/ एचपी)	संकुचित वायु संचालित मशीनरी (के.डब्ल्यू/ एचपी)	Total (के.डब्ल्यू एचपी)
भूमिगत*				
ऑपनकास्ट*				
जमीन के ऊपर*				
तटवर्ती*				
अपतटीय*				
कुल (एचपी)				

*- जो लागू न हो काट दें

ख. वाल्टेज जिस पर रोशनी और मशीनरी के लिए विद्युत उपयोग की गई

क्रम संख्या	वाल्तेज	स्थापित क्षमता(के.डब्ल्यू)

ग. भूमिगत खानों में उपयोग की गई मशीनरी (कोयला और धातु खानों के लिए)

वाइन्डिंग इंजन	वाइन्डिंग के अलावा मेन राइडिंग	अन्य परिवहन	कोयला / अयस्क काटना / तराशना / कतरना	ट्रीलिंग और लोडिंग मशीन	कम्प्रसर्स और पंपिंग	वाहक पट्टा	मैकेनिकल वेंटीलेटर (भूमिगत) / जमीन के ऊपर	कोयला का प्रयोग / खनिज ड्रेसिंग प्लांट	अन्य मशीनरी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या	एचपी संख्या

*- जो लागू न हो काट दें

घ. ऑपनकास्ट खानों में उपयोग की गई मशीनरी (कोयला और धातु खानों के लिए)

परिवहन सामग्री	अन्य परिवहन	कोयला / अयस्क काटना / तराशना / कतरना	ट्रीलिंग मशीन	लोडिंग मशीन	कम्प्रसर्स	वाहक पट्टा	पंपिंग	कोयला का प्रयोग / खनिज ड्रेसिंग प्लांट (जमीन के ऊपर)	अन्य मशीनरी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी	संख्या हचपी

*- जो लागू न हो काट दें

7. ड्रिलिंग और अन्य रिग्स, तेल कुओं और गैस कुओं और पाइपलाइनों का विवरण; अन्वेषण रिग्स और वर्कओवर रिग्स (तेल खान के लिए)

क. ड्रिलिंग और अन्य रिग्स, तेल कुओं और गैस कुओं और पाइपलाइन

मद संख्या	वर्गीकरण	रिग की संख्या			उपयोग की गई रिग की कुल संख्या
		कंपनी की अपनी	किराए पर	ओ और एम आधार पर	
1.0	ड्रिलिंग वर्कओवर और अन्य रिग्स				
1.1	ड्रिलिंग				
1.2	वर्कओवर				
2.0	तेल, गैस और अन्य कुएं				
2.1	खोदे गए कुएं				
2.2	छोड़े गए कुएं				
2.3	गैस कुओं का कार्य पूरा हुआ				
2.4	तेल कुओं का कार्य पूरा हुआ				
2.5	गैस के कुएं जिसमें उत्पादन चल रहा है				
2.6	तेल के कुएं जिसमें उत्पादन चल रहा है				
2.7	तेल के कुएं जिसमें उत्पादन बंद है				
3.0	पाइपलाइने	लंबाई (मीटर में)			व्यास (मीटर में)
3.1	कुओं से लेकर एकत्रित स्टेशन तक प्रवाह लाइनें				
3.2	एकत्रित स्टेशन से केंद्रीय प्रसंस्करण और भंडारण टैंक तक बिछाई गई पाइपलाइन				
3.3	अन्य(स्पष्ट करें)				

अन्वेषण रिग्स:				वर्कओवर रिग्स:		
ड्रिलिंग-रिग का नाम	प्रवर्तन में लाने की तारीख	वर्ष के दौरान खौदे गए कुओं की संख्या	उस के प्रवर्तन में लाने से कुल मीटर खोदा गया	वर्कओवर रिग का नाम	प्रवर्तन में लाने की तारीख	वर्ष के दौरान किए गए कार्य का विवरण

[illegible]

क्रम सं.	रोग का नाम	मामलों की संख्या	
		विभीगीय	संविदा पर
1.	*		
2.	*		
कुल			

[illegible]

9.0 दुर्घटना और जोखिमकारी घटनाओं के आंकड़ें

	घातक दुर्घटनाएं			गंभीर दुर्घटनाएं		रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं		छोटी दुर्घटनाएं		जोखिमकारी घटनाएं	
	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	घटनाओं की संख्या	घटना की प्रकृति [#]
भूमिगत*											
ओपनकास्ट*											
जमीन के ऊपर*											
तटवर्ती*											
अपतटीय*											
कुल											

*- जो लागू न हो हटा दें; #- खान विनियमन में दी गई जोखिमकारी घटनाओं की सूची से चयनित

10. सुरक्षा प्रबंधन योजना:

क. समीक्षा, लेखापरीक्षा और एसओपी:

(i) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम:

(ii) सुरक्षा प्रबंधन योजना की लेखापरीक्षा की अंतिम तारीख:

(iii) सुरक्षा प्रबंधन योजना के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की गई एसओपी की संख्या:

ख. मुख्य जोखिम प्रबंधन योजना:

क्रम संख्या	पहचाने गए मुख्य जोखिमों की सूची	सुरक्षा प्रबंधन योजना के अनुसार मुख्य जोखिम शमन की तारीख	31 दिसंबर के अनुसार मुख्य जोखिम की स्थिति**	आदिनांक मुख्य जोखिम शमन न होने के मामले में शमन की असफलता के कारणों के साथ टिप्पणियां
1.	*			
2.	*			
3.	*			

नोट: आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ें; * मुख्य जोखिमों का उल्लेख करें; ** "शमन" या "अशमन" लिखें

11. खान रेस्क्यू स्टेशन:

(i) खान रेस्क्यू स्टेशन का स्थान:

(ii) खान रेस्क्यू स्टेशन का पता:

(iii) खान रेस्क्यू स्टेशन के अधीक्षक का नाम:

(iv) खान रेस्क्यू स्टेशन के अधीक्षक का डाक पता, ई मेल आईडी और मोबाइल संख्या:

(v) उपकरण / औजार और व्यक्तिगण का विवरण:

खान रेस्क्यू स्टेशन / खान रेस्क्यू रूम में प्रदान किए गए उपकरण / औजार	प्रदान की गई संख्या	व्यक्तिगण	प्रदान की गई संख्या
		अधीक्षक	
		अनुदेशक	
		बचाव कर्मी	

		रेस्क्यू कमरों की संख्या	
		रेस्क्यू रूम प्रभारी	
		रेस्क्यू स्टेशन द्वारा सेवा दी गई भूमिगत खानों की संख्या	
		बचाव प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	
		पुनश्चर्या अभ्यास दिए गए बचाव प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	
		चिकित्सीय जांच किए गए बचाव प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	

(vi) आपात स्थितियों में उपस्थिति का विवरण:

प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में तालिकाएँ विधिवत रूप से भरी हुई हैं और सभी तालिकाओं में दी गई जानकारी और/ आंकड़े मेरे ज्ञान अनुसार सही हैं।

मालिक/एजेंट/प्रबंधक का मुहर सहित हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

फार्म-X

(नियम 61 देखें)

दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को रिपोर्ट की गई तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की कार्य वापसी की तारीख	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

फार्म-XI
[नियम-62 देखें]
वेतन सहित अवकाश रजिस्टर

भाग I - व्यस्क

भाग II - किशोर

प्रतिष्ठान:

कामगार का नाम :

विभाग :

पिता का नाम:

क्रम संख्या	कामगार के रजिस्टर में क्रम संख्या	सेवा में आने की तारीख	व्यवधान					से प्रभावी छुट्टी	क्या अगले 12 महीनों के दौरान छुट्टी इच्छित नहीं है	जिस तारीख से कामगार को छुट्टी की स्वीकृति दी गई है।	अवकाश जिस के लिए भुगतान किया गया	डिस्चार्ज किया गया कामगार		टिप्पणियां
			बीमारी और दुर्घटनाएं	अधिकृत छुट्टी	तालाबंदी या वैध हड़ताल	अनैच्छित बेरोजगारी	अन्य					डिस्चार्ज की तारीख	बकाया छुट्टी के बदले भुगतान की गई राशि और तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट:- प्रत्येक कामगार को अलग पृष्ठ आवंटित कराया जाएगा।

फार्म-XII**(नियम-64)****सुधार नोटिस और निषेध आदेश****भाग I****निषेध आदेश**

प्रतिष्ठान, इंस्टॉलेशन, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर्स और अन्य ऐसे गियर, उपकरण, सीढ़ी और स्टेजिंग के निरीक्षण पर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का नोटिस निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिभोगी, नियोक्ता, मालिक, मास्टर, प्रभारी अधिकारी, लिफ्टिंग उपकरण के मालिक, ढीले गियर्स और लिफ्टिंग यंत्र या व्यक्ति, पाड़ बांधने वाले या उस व्यक्ति को, जो स्वयं, उसके एजेंटों, या अपने नियोक्ताओं को जैसा भी मामला हो को नोटिस है।

प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, लिफ्टिंग यंत्र, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मंचान का नाम	कहां स्थित है/ प्रयोग में/ स्थान पर है	प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	प्रतिष्ठान की एलआईएन संख्या
1	2	3	4

उपर्युक्त नामित प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर, लिफ्टिंग यंत्र, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मंचान का निरीक्षण _____ पर किया गया था।

प्रतिष्ठान से जुड़े कार्यकलाप जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं / आपके द्वारा किए जाने हैं/ आपके नियंत्रणाधीन है जिसमें जीवन के लिए जोखिम या खतरा है। कर्मचारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य और निम्नलिखित उल्लंघन शामिल हैं:

उल्लंघन

इसलिए, मैं एतद्वारा निर्देशित करता हूं कि उक्त कार्यकलाप आपके द्वारा या आपके नियंत्रण में नहीं किया जाएगा जब तक कि उल्लिखित उल्लंघनों और मामलों के लिए गए उपाय से निरीक्षण निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की संतुष्टि नहीं हो जाते। यह आदेश बिना किसी पूर्वाग्रह या किसी कानूनी कार्यवाई के जारी किया जा रहा है, जो इन उल्लंघनों के लिए लिया गया है।

आपसे यह सुनने पर कि आवश्यकताओं का अनुपालन प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या इसी तरह के गियर / परिवहन उपकरण / सीढ़ी / स्टेजिंग, पाड बांधने के साथ किया गया है को फिर से निरीक्षण पूरा होने के दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा।

संख्या. _____

20 _____ के _____ के इस दिन _____ पर दिनांकित किया है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

आवश्यकताएं

उपरोक्त सभी या किसी भी उल्लंघन के अनुपालन पर, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निर्धारित तिथि और स्थान पर पूर्वोक्त निर्धारित तरीके से सूचित किया जाएगा, जहां प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या उसी प्रकार के गियर, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान बनाना, पाड बांधना का पुनः निरीक्षण किया जाना है।

महोदय,

आपके द्वारा अधिसूचित उल्लंघन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की गई है। प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या उसी प्रकार के गियर, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान बनाना, पाड बांधना निम्नानुसार तारीख और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार होंगे:

महोदय,

आपके द्वारा अधिसूचित उल्लंघन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की गई है। प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या उसी प्रकार के गियर, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान बनाना, पाड बांधना निम्नानुसार तारीख और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार होंगे:

निरीक्षण की तारीख	स्थान
20 _____ के _____ के इस दिन _____ पर दिनांकित किया है।	नियोक्ता, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, प्रभारी अधिकारी या एजेंट, मशीनरी और गियर का मालिक या वह व्यक्ति जो स्वयं, अपने एजेंटों या अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रतिष्ठान का संचालन किया गया।

सेवा में

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

भाग- II

सुधार नोटिस

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता नियोक्ता, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, प्रभारी अधिकारी या एजेंट, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर, लिफ्टिंग यंत्र, पाड बांधना के मालिक या वह व्यक्ति जो स्वयं, अपने एजेंटों या अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रतिष्ठान का संचालन किया है, जैसा भी मामला हो _____

प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर, लिफ्टिंग यंत्र, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान, पाड बांधने का नाम	कहां स्थित है/ प्रयोग में/ स्थान पर है	रजिस्ट्री का बंदरगाह	जहाज की अधिकारिक संख्या (यदि कोई हो)

उपर्युक्त प्रतिष्ठान, बॉक्स, जहाज, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर, लिफ्टिंग यंत्र, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान, पाड बांधने का निरीक्षण पर किया गया था।

निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए थे। आपको उक्त उल्लंघनों के लिए उपाय करने और दिनों के भीतर लिखित रूप में अनुपालन रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है।

यह नोटिस बिना किसी पूर्वाग्रह या किसी कानूनी कार्रवाई के जारी किया जा रहा है, जो आपके द्वारा सुनवाई पर उक्त उल्लंघनों का समाधान किया जाएगा तथा आवश्यकताओं का अनुपालन में प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या इसी तरह के गियर / परिवहन उपकरण / सीढ़ी / मचान बनाने, पाड बांधने वालों का पुनः दौरा किया जाएगा कि निरीक्षण पूरा हो सके।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लंघन संख्या _____

दिनांक _____ वर्ष 20 _____ के _____ इस दिन _____ पर।

आवश्यकताएँ: उपरोक्त सभी या किसी भी उल्लंघन के अनुपालन पर, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निर्धारित तिथि और स्थान पर पूर्वोक्त निर्धारित तरीके से सूचित किया जाएगा, कि किस प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर या उसी प्रकार के गियर, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान बनाना, पाड बांधना का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। अधिसूचित आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से पूरा किया गया है। प्रतिष्ठान, लिफ्टिंग उपकरण, ढीले गियर, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान बनाना, पाड बांधना निम्नानुसार तारीख और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार होंगे:

निरीक्षण की तारीख	स्थान
20 _____ के _____ के इस दिन _____ पर दिनांकित किया है।	नियोक्ता, अभिग्राही, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, प्रभारी अधिकारी या एजेंट, मशीनरी और गियर का मालिक या वह व्यक्ति जो स्वयं, अपने एजेंटों या अपने नियोक्ताओं जिन्होंने प्रतिष्ठान को चलाया है।

सेवा में

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

प्रपत्र-XIII

(नियम 71-72 देखें)

लाइसेंस के लिए आवेदन

लाइसेंस/लाइसेंस का नवीकरण/लाइसेंस में संशोधन (कॉमन/सिंगल लाइसेंस सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन	
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
प्रतिष्ठान की रूपरेखा:	
श्रम पहचान संख्या	दिनांक
पावती सं. आवेदन की तिथि:	
I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है:	
1. प्रतिष्ठान का नाम:	
2. प्रतिष्ठान का पता	
(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पता :	
(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का पता:	
3. दूरभाष संख्या:	
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप: (दी गई सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)	
5. विशिष्ट एनआईसी संहिता का ब्यौरा:	
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति:	
7. प्रतिष्ठान के पहचानकर्ता का: (चुने) : ई- हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर	
II. नियोक्ता का ब्यौरा:	
1. नियोक्ता का पूरा नाम: प्रतिष्ठान के साथ संबंध.	
2. नियोक्ता का पूरा पता:	
3. नियोक्ता की ईमेल आईडी:	
4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर:	
III. नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (कार्यवार यदि लाइसेंस अपेक्षित है)	

कार्यक्षेत्रों का स्थान	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित हैं/होने के लिए प्रस्तावित हैं	साइट प्रभारी का नाम, पता, ईमेल आईडी
1	2		3	4	5	6

5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या: **24**

6. लाइसेंस शुल्क की राशि: आईएनआर (लेनदेन आईडी :)

7. सुरक्षा जमा राशि: आईएनआर (लेन-देन आईडी :)

IV प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए कॉमन लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5	6	7

V. प्रतिष्ठान का ब्यौरा जिसके लिए एकल लाइसेंस अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

राज्य का नाम जहां प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिन्हें नियोजित किए जाएंगे/नियोजित हैं II	आरंभ की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की तारीख	नियोजित/नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7

ठेकेदार के हस्ताक्षर
(ई-हस्ताक्षर/डीएससी)

टिप्पणी : यह श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का सारांश है।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

- लाइसेंस संख्या: दिनांक:
- एलआईएन और पैन :
- प्रतिष्ठान का नाम और पता:
- पूर्व लाइसेंस की समाप्ति की तिथि
- क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित किया गया था:
- जमा किए गए शुल्क का ब्यौरा: (ई भुगतान प्राप्ति संलग्न करें) : राशि..... भुगतान की तारीख :

नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन : 1. लाइसेंस संख्या दिनांक: 2. एल आई एन और पेन 3. प्रतिष्ठान का नाम और पता: 4. देवराज जिसके लिए संशोधन मांगा गया है: (क). वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्या : (नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी) (ख). ई भुगतान के माध्यम से किए गए भुगतान शुल्क की तारीख का ब्यौरा : ©. जारी किए गए लाइसेंस में अपेक्षित संशोधन का विवरण (अपेक्षित संशोधन के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए)	दिनांक:
---	---------

नियोक्ता ठेकेदार का ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

दिनांक

प्रपत्र-XIV**(नियम 73 देखें)****लाइसेंस का प्रपत्र**

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और इसके अनतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अध्वधीन उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए

लाइसेंस संख्या. -----

पंजीकरण संख्या -----

पंजीकरण की तारीख. -----

-----को एतद्वारा लाइसेंस दिया जाता है

जिसे -----परिसर के रूप में जाना जाता है

जो -----में स्थित है।

----- 20..

जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध	शुल्क	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या					

संशोधन:

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-XV

(नियम-83 देखें)

ठेका का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी संबंधित हो

(a) ठेका/नियोक्ता का नाम *:

2. ठेका/नियोक्ता की एलआईएन/पैन की संख्या*:

3. ठेका/नियोक्ता की ई-मेल आईडी *:

4. ठेका/नियोक्ता की मोबाइल संख्या *:

5. कार्य की प्रकृति और स्थान:

6. मुख्य नियोक्ता का नाम*:

7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएन/पैन की संख्या.:

8. मुख्य नियोक्ता की ई-मेल आईडी: *

9. मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या: *

10. कामगार का नाम*:

11. यूएएन/आधार संख्या.:

12. मोबाइल संख्या.:

13. कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या :

14. बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है:

15. रोजगार की अवधि:

16. पद:

ठेकादार की मुहर सहित हस्ताक्षर

*जो भी लागू नहीं हो वो काट दें।

प्रपत्र -XVI

(नियम-88 देखें)

निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के मध्य समझौता

प्रथम भाग में मैसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन.....माह.....वर्ष('निर्माता' के रूप में इसके बाद संदर्भित किया जाता है) समझौता किया जाता है और दूसरे भाग में श्री.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(बाद में 'श्रव्य-दृश्य कामगार' के रूप में संदर्भित) निवास.....में रहते हैं। 'निर्माता' और 'श्रव्य-दृश्य कामगार' शब्द उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होंगे।

अब, इसलिए यह समझौता इस प्रकार है:

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि श्रव्य-दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह अवधि अनुगामी महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. यह श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल में, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उसकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर, उसके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उसकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।

3. यह श्रव्य-दृश्य सेवाओं के विसंगति के रूप में, पूर्वोक्त रूप में, निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और श्रव्य-दृश्य कामगाररुपये (रुपये) की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत है और समान किश्तों में..... रुपये का अग्रिम शेष..... देय है।

4. यह कि श्रव्य-दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होने पर और निर्माता को अभी भी श्रव्य-दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है ताकि श्रव्य-दृश्य उत्पादन को पूरा किया जा सके और निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है तथा श्रव्य-दृश्य कामगार प्रो-राहा के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, ऊपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।

5. यदि कि उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य-दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा री-रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. यदि आवश्यक हो तो श्रव्य-दृश्य कामगार

(क) जैसा मामला हो प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य-स्थान में आना और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग..... रु. की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि वह एक घंटे के विराम के साथ, कार्यदिवस से परे काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता को सुविधाओं के अतिरिक्त घंटों के दौरान काम के लिए उसेरूपये की दर से मजदूरी का भुगतान और जलपान, और परिवहन सुविधा प्रदान किया जाएगा।

8. यह कि निर्माता और श्रव्य -दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित के अनुसार निर्माता झूटी पर रिपोर्ट करने के लिए परिवहन और भोजन या यात्रा भत्ते का भुगतान और झूटी पर भोजन भत्ते उपलब्ध करेगा।

9. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्तों का भुगतान करेगा जब श्रव्य-दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होती है।

10. इस समझौते के तहत, निर्माता को श्रव्य-दृश्य कामगार उसके रोजगार /कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

11. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य -दृश्य के उत्पादन बढ़ने से रोका जाता है:-

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने ऊपरसभव देय का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड 1 में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

12. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

13. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान, श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य-दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य-दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य-दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

14. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य-दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

15. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल और श्रव्य-दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

16. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य-दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

17. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों जो प्रथागत होते हैं के लिए भी भुगतान करना होगा, , जब श्रव्य-दृश्य कामगार को स्थान पर काम करना आवश्यक होता है।

18. इस समझौते के तहत निर्माता को श्रव्य-दृश्य कामगार उसके रोजगार उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

19. जहां निर्माता को आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से श्रव्य-दृश्य के प्रोडक्शन को आगे बढ़ने से रोका जाता है: -

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में, उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान, उसे इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने सभी भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड I में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

20. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

21. निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान, श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य-दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य-दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य-दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

22. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य-दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

23. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल और श्रव्य-दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

24. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य-दृश्य के निदेशक निर्देश देता है और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

25. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल के सभी नियमों का जैसा भी मामला हो पालन करेगा।

26. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा।

27. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे।

28. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत श्रव्य-दृश्य कामगार के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य-दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है।

1. साक्षी

निर्माता

नाम और पता

2. साक्षी

श्रव्य-दृश्य कामगार

नाम और पता

[फा. सं. एस-65025/01/2020-आईएसएच-II]

गोपाल प्रसाद, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

G.S.R. 729(E).—The following draft rules, which the Central Government proposed to make in exercise of powers conferred by Sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) read with section 24 of General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and in supersession of the-

1. The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990;
2. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Rules, 1998;
3. The Model Factories Rules;
4. The Mines Rules, 1955;
5. The Mines Rescue Rules, 1985;
6. The Mines Vocational Training Rules, 1966;
7. The Pithead Bath Rules, 1959;
8. The Mines Crèche Rules, 1966;
9. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;
10. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1979.
11. The Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957;
12. The Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Rules, 1984;
13. The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976.

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by sub-section (1) of said Section 133 and sub-section (1) of sub section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Shivakant Kumar, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fasli@dgfasli.nic.in and shivkant.kr@gov.in) the objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore;

Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title, extant and commencement.— (1) These rules may be called the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2020.

(2) They extend to whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;
- (b) “Section” means the Section of the Code.
- (c) “Form” means a form annexed to these rules;

(d) “Registering Officer” means the registering officer appointed by the Central Government for purpose of these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and are not defined therein , but are not in the Code, shall have respectively meaning assigned to them in the Code.

Chapter-II

Registration

3. Application for registration under Section 3.-

(1) (i) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in **Form-I** on the Shram Suvidha Portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(ii) The Permanent Account Number (PAN) of the applicant or the establishment allotted under Income Tax Act, 1961 or any other unique number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.

(iii) The certificate of registration shall be issued in **Form-II** electronically immediately if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated:

Provided that in exceptional circumstances the Central Government may, for such period, by notification, dispense with requirement of electronic registration, in respect of establishment or class of establishment, for part or whole of India, and submission of application in the form so provided, may be allowed.

(iv) The certificate of registration shall be non-transferable and a copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at the conspicuous place in hard copy or electronically.

(2) The registering officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other central labour law for the time being in force shall, update the registration particulars on the Shram Suvidha Portal, within six months from the date on which the Code comes into force.

(4) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that establishment has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the Registration Number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Rules or the Regulations or the Scheme, as the case may be, and in all correspondence with the office concerned.

(6) Any change in the ownership, management or any particular furnished in Registration Form submitted on the specified portal, shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change.

(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in process of closure, may apply for cancellation of registration online on the Shram Suvidha Portal after giving complete details of the dues payable under the Central Labour Codes:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central labour Codes and any other Central labour law in force in accordance with the law applicable for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(8) The registering officer shall maintain a register of establishment electronically in **Form-III** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(9) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment, as the case may be, in **Form-IV** annexed to these rules electronically and the same shall be auto-shared to EPFO and ESIC.

4. Appeal under Section 3.- (i) The employer aggrieved by the order of Registering Officer, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the Central Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer, against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order to the applicant electronically.

(vi) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(vii) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

5. Notice of commencement and cessation of operation under Section 5.- The employer of every establishment being factory or mine or relating to contract labour or building or other construction works shall within thirty days of the commencement or cessation of operation, submit to the Registering Officer in **Form-IV**, electronically and the notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Chapter-III

Duties of Employer and Employee.

6. Annual Health Examination of employees under clause (c) of sub-section (1) of Section 6.- Every employer of factory, dock, mine and building or other construction work shall arrange to conduct free of cost, medical examination for every worker annually i.e. within 120 days from the commencement of the every calendar year who has completed 45 years of age. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per proforma in the **Form-V**. The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee.

7. Letter of appointment to employee under clause (f) of sub-section (1) of Section 6.- No employee shall be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment in the prescribed format as appended to this Rule:

Provided that, an employee who has not been issued an appointment letter containing the required particulars, shall be issued an appointment letter within three months of coming into force of this rule.

Format

- (i) Name of employee:
- (ii) Father's name:
- (iii) Aadhar number:
- (iv) Labour Identification Number (LIN) of the establishment:
- (v) Universal Account Number (UAN)/Insurance Number (ESIC):
- (vi) Designation:
- (vii) Category of skill:
- (viii) Date of joining:
- (ix) Wages, Basic Pay & Dearness Allowance:
- (x) Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:
- (xi) Avenue for achieving higher wages/higher position:

- (xii) Applicability of social security EPFO and ESIC benefits applicable:
- (xiii) Health check-up:
- (xiv) Broad Nature of duties to be performed:
- (xv) Any other information:

Signature

Occupier/employer/owner/agent/manager

8. Notice of accidents and dangerous occurrences under sub-section (1) Section 10 and Section 11.-

(1) Where at any place in an establishment which is factory, dock work, mines, building or other construction, an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in **Form-VI** electronically and inform by telephone to the Inspector-cum-facilitator and Chief Inspector-cum Facilitator and District Magistrate or Sub-divisional Officer, the officer-in-charge of the nearest police station; and the family members /kin of the injured or deceased person.

(2) Where at any place in an establishment which is factory, dock work, mines, building or other construction work, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in **Form-VI** within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Wherein an establishment there is any dangerous occurrence as specified in the schedule annexed hereto, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in **Form-VI** shall within twelve hours be sent to:

- (a) The Inspector-cum-facilitator;
- (b) District Magistrate or Sub-divisional Officer;

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices and reports referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within 12 hours of the death.

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later, or occurs in more than one spell, the report referred to shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator in the prescribed form within 24 Hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

SCHEDULE

The following classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:-

- (i) Bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;
- (ii) Collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane.
- (iii) Explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;
- (iv) Explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas.
- (v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;
- (vi) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;
- (vii) Spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;

- (viii) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;
- (ix) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;
- (x) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (i.e., a 'bump') in working below ground;
- (xi) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;
- (xii) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;
- (xiii) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;
- (xiv) failure of dump or side in opencast working; a blowout;
- (xv) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;
- (xvi) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

9. Notice of disease under sub-section (1) and (2) of Section 12.- (1) A notice in the following format shall be sent forthwith electronically, to the Inspector-Cum Facilitator or Chief Inspector-cum-facilitator, by the employer or occupier or manager of an establishment in which there occurs any disease as notified under the Third Schedule of the Code.

NOTICE OF DISEASE

- (1) Name of establishment:
- (2) Nature of establishment:
- (3) In case of Mines the Name of the Mineral:
- (4) Details of Patient:
 - (a) Name of Patient:
 - (b) Works number of Patient:
 - (c) Address of Patient:
 - (d) Precise occupation of patient:
- (5) Nature of disease from which patient is suffering:
- (6) Date of Detection of Disease:
- (7) Details of Medical Practitioner:
- (8) Has the case been reported to the Medical Officer :

Signature of employer or occupier or manager

Date:

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule, the qualified medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector-cum-facilitator stating-

- (a) the name and full postal address of the patient,
- (b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and
- (c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

10. Duties of employee under clause (d) and (g) of Section 13.- If an employee comes to know that of any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the employer, health and safety representative or safety officer or agent or manager in case of mine, as soon as practicable, electronically or in writing or telephonically.

11. Rights of Employee under sub-section (3) of Section 14.- On receipt of information from the employee relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in this regard. The employer, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector-cum-facilitator electronically or by registered post or speed post.

Chapter-IV

Occupational Safety and Health

12. National Occupational Safety and Health Advisory Board under sub-sections (3), (4) and (5) of Section 16.-

- (1) the members of the National Board as specified in Section 16(2)(g), (j), (k), (l), (m) and (n) shall be nominated and approved by the Central Government.
- (2) The National Board may meet as often as necessary to discharge the functions as specified in Section 16(1) of the Code.

13. Resignation.- (1) A member of the National Board, not being an ex-officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the National Board.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the Central Government whichever is earlier.

14. Cessation of membership.- If any member of the National Board, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the National Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of such National Board for such absence, he shall cease to be a member of National Board:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of National Board.

15. Disqualification for membership.- A person shall be disqualified for being a member of the National Board—

- (i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if he has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

16. Removal from membership.- The Central Government may remove any member of the National Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such National Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

17. Travelling Allowance for members.- (i) the travelling allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(ii) the non-official members of the National Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the National Board at such places as per the instructions issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India from time to time.

18. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers under sub-sections (1) and (2) of Section 21.- The employer shall submit the details of occupational safety and health statistics electronically on web portal designated for the purpose.

19. Safety Committee and Safety officers under Section 22.- (1) Every establishment employing 500 or more workers except for the establishment prescribed under sub-section (1) of Section 22 shall constitute a safety committee consisting of representatives of employers and workers.

(2) The tenure of the safety committee shall be for three years. The safety committee shall meet atleast once in every quarter. In case of mines, the safety committee shall meet atleast once in a month.

(3) The representative of the workers shall be chosen by the registered trade Union. In case where there is no registered trade union the members may be chosen by the workers of the establishment.

Provided that there shall be adequate representation of the women workers in the committee.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

- (a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;
- (b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees, conducted at such establishments.

(5) The owner, employer, occupier, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee shall take action to implement the recommendations.

20. Composition of Safety Committee.- (1) The representatives of the management on Safety Committee, except in mine, shall consist of –

- (a) A senior official, who by his position in the organisation can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;
 - (b) A Safety Officer and Medical Officer wherever available and the Safety Officer in such a case shall be the Secretary of the Committee ; and
 - (c) A representative each from the production, maintenance and purchase departments.
- (2) The workers' representatives on the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be chosen by the workers.
- (3) The minutes of the meeting of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be recorded.
- (4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –
- (a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;
 - (b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of workers exposed to hazardous substances.
- (5) Function and duties of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall include –
- (a) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Safety and Health Policy';
 - (b) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;
 - (c) creating safety awareness amongst all workers;
 - (d) undertaking educational, training and promotional activities;
 - (e) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;
 - (f) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggest corrective measures; and
 - (g) reviewing the implementation of the recommendations made by it.

21. Composition of Safety Committee in case of mines.- (a) the manager referred to in section 67 of the Code shall be the Chairman;

- (b) five officials or competent persons of the mine nominated by the Chairman;
- (c) five workers, including proportionate number of contractor's employee, engaged in mining operation, nominated by the employees of the mine.
- (d) Worker's representative where so designated, one each from mining, electrical and mechanical discipline;
- (e) the safety officer, or where there is no safety officer, the senior most mine official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee; and
- (f) qualified medical practitioner of the mine.

22. Functions of Safety Committee.— The functions of the Committee shall be-

- (a) to discuss remedial measures against the unsafe conditions and practices in the mine as pointed out in the reports of worker's representative brought to the notice of the Committee and make appropriate recommendations;
- (b) to consider, before commencement of operations in any, new area of the mine or installations of oil mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed Safety and health measures including related codes of practice and to make appropriate recommendations;
- (c) to discuss the report of inquiry into accident, dangerous occurrences etc., and make appropriate recommendations;
- (d) to formulate and implement appropriate Safety campaign based on analysis of accidents and dangerous occurrences;
- (e) to serve as a forum for communication on Safety and occupational health matters; and

- (f) to discuss the standard operating procedures (SOP) prepared for different plant, equipment, installations and methods at the mine and make appropriate recommendations.

23. Recommendations of the Safety Committee.- (i) to assist the manager in any other matter relating to safety in the mine.

(ii) The safety officer shall ensure that an appropriate emergency plan as required under these regulations is put in place and the requirements of the same are implemented.

(iii) Except in an emergency, no duties other than those specified above shall be assigned to the Safety officer.

(iv) The safety officer shall maintain in a bound paged book a detailed record of the work performed by him.

24. Safety Officer for Dock Works and Building or Other Construction Works.- (1) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer relating to dock work or building or other construction work unless he possesses –

(i) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years; or

(ii) a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years; or

(ii) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years;

(iii) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the State Government in this behalf; and

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any person who - (i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years in a department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories, Building or other Construction works and Dock works or

(ii) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years, full time, on training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution;

shall also be eligible for appointment as a safety officers :

25. Duties of Safety Officers in case of Dock Works.- The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfillment of its obligations, statutory, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment and such duties shall include the following, namely. - (i) to advise the concerned departments in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;

(ii) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;

(iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(iv) to provide advice on matters related to carrying out plant safety inspections;

(v) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

(vi) to render advice on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(vii) to investigate selected accidents;

(viii) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;

(ix) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures; and

(x) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

26. Safety officer in case of mines.— At every mine, wherein 100 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer(s) shall be appointed on a scale of one up to a total manpower of 500 and additional one for every additional 500 manpower or part thereof, who shall hold following qualifications namely :-

(a) in case of coal mine.-

(i) For belowground Mines, Person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal), granted by Directorate General of Mines Safety;

(ii) For Opencast Mines, Person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or First Class Manager's Certificate of Competency(coal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety.

(b) In case of Metalliferous Mines

(i) For belowground Mines, person holding Manager's Certificate of Competency (Metal), granted by Directorate General of Mines Safety,

(ii) For Opencast Mines, person holding Manager's Certificate of Competency (Metal) or Manager's Certificate of Competency (Metal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety.

(c) For oil mines, a degree in engineering or in industrial safety of an educational institution recognised by the Central Government or post-graduate diploma in industrial safety from Central Labour Institute or Regional Labour Institutes and having experience in the management or supervision of operations in oil mines for a period of not less than five years.

27. Duties of safety officer in case of mines.—(1) The duties of the safety officer in case of mines shall be-

(a) to visit surface, aboveground, underground parts of mine, installations of oil mine, with a view to meet the employees on the spot, to talk to them on matters of safety and invite suggestions thereon;

(b) to take charge of the newly recruited staff and show them around the mine pointing out the safe and unsafe acts during the course of their work in the mine;

(c) to investigate all types of accidents and incidents in the mine including minor accidents and analyze the same with a view to pinpoint the nature and common causes of accidents in the mine;

(d) to maintain detailed statistics about mine accidents and to analyze the same with a view to pinpoint the nature and common causes of the accidents in the mine;

(e) to study and apprise the manager referred to in section 67 of the Code, of all possible sources of danger such as inundation, fire, coal dust, blowout in oil mines and others;

(f) to hold safety classes and give safety talks and lectures to the members of the supervisory staff;

(g) to organize safety weeks and other safety education and propaganda programme in mine;

(h) to see that all concerned mine employees are fully conversant with various standing orders, codes of practices, support plan, etc;

(i) to provide assistance in the formulation of programme for training at the mine level, including vocational training, training in gas testing, fire fighting and first aid, etc;

(j) to report to the manager referred to in section 67 of the Code as a result of his visits to the various parts of mine, as to whether the provisions of the code, and the rules and regulations made there under are being complied with in the mine;

(k) to promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliance.

Chapter-V

Hours of Work and Annual Leave with Wages

28. Daily and weekly working hours under clause (b) of sub-section (1) of Section 25.-

(1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in any week.

(2) the period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, shall not spread over for more than twelve hours in a day.

(3) the period of works of workers shall not exceed five hours and that no worker shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of atleast half an hour.

(4) the working hours in a day may be modified subject to sub-rules (1), (2) and (3), so that the total number of working hours in a week shall be so fixed and followed.

29. Interruption period allowed in running time under Explanation (a) of sub-section (1) of Section 25.- A maximum of fifteen minutes interruption shall be allowed any time during which the running of the transport vehicle is interrupted.

30. Working hours of working journalist under sub-section (2) of Section 25.—(1) The provisions under this rule shall apply to working journalist but not apply to editors, or to correspondents, reporters or news photographers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the following provisions shall apply to every correspondent, reporter or news photographer stationed at the place at which the newspaper establishment (in relation to which any such person is employed) is situated, namely:

- (a) Subject to such agreement as may be arrived at either collectively or individually between the parties concerned, every such correspondent, reporter or news photographer shall, once he enters upon duty on any day, be deemed to be on duty throughout that day till he finishes all the work assigned to him during that day:

Provided that if such correspondent, reporter or news photographer has had at his disposal for rest any interval or intervals for a total period of two hours or less between any two or more assignments of work, he shall not be deemed to be on duty during such period:

Provided further that where the total period of such interval or intervals exceeds two hours, he shall be deemed to be on duty during the period which is in excess of the said period of two hours.

- (b) Any period of working in excess of thirty-six hours during any week, which shall be considered as a unit of work for the purposes of this sub-rule, shall be compensated by rest during the succeeding week and shall be given in one or more spells of not less than three hours each:

Provided that where the aggregate of the excess hours worked falls short of three hours, the duration of rest shall be limited only to such excess.

31. Normal working day for working journalist. - The number of hours which shall constitute a normal working day for a working journalist exclusive of the time for meals shall exceed six hours per day in the case of a day shift and five and a half hours per day in the case of a night shift and no working journalist shall ordinarily be required or allowed to work for longer than the number of hours constituting a normal working day.

32. Interval for rest for working journalist. -Subject to such agreement as may be arrived at between a newspaper establishment and working journalists employed in that establishment, the periods of work for working journalist shall be so fixed that no working journalist shall work for more than four hours in the case of a day shift and three hours in the case of a night shift before he had an interval of rest, in the case of the day shift for one hour, and in the case of the night shift for half an hour.

33. Compensation for overtime work. -When a working journalist work for more than six hours on any day in the case of a day shift and more than five and a half-hours in the case of a night shift, he shall, in respect of that overtime work, be compensated in the form of hours of rest equal in number to the hours for which he has worked overtime.

34. Conditions governing night shifts. -No working journalist shall be employed on a night shift continuously for more than one week at a time or for more than one week in any period of fourteen days.

35. Interval preceding change of shift. -In the case of change of shift from night to day shift or vice versa, there shall be an interval of not less than twenty-four consecutive hours between the two shifts and in the case of a change from one day shift to another day shift or from one night shift to another night shift there shall be interval of not less than twelve consecutive hours.

Provided that no such interval may be allowed if such interval either coincides with or falls within, the interval enjoyed by a working journalist under sub-section (2) of Section 25 of the Code.

36. Number of holidays in a year for sales promotion employee or working journalist. -A working journalist or Sales promotion employee shall be entitled to ten holidays in a calendar year.

37. Compensatory holidays for sales promotion employee or working journalist. -If a working journalist or Sales promotion employee is required to attend on a holiday, a compensatory holiday shall be given to him, within thirty days immediately following the holiday, on a day mutually agreed upon by him and his employer.

38. Wages for holidays. - A working journalist or Sales promotion employee shall be entitled to wages on all holidays as if he was on duty.

39. Wages for weekly day of rest. -

A working journalist and Sales promotion shall be entitled to wages for the weekly day of rest as if he was on duty.

40. Competent officers. -Every newspaper establishment may designate one or more officers in that establishment as competent officers for the purposes of rules under this Chapter.

41. Procedure for availing leave by working journalist or sales promotion employee .- (1)A working journalist or sales promotion employee who desire to obtain leave shall apply in writing to the competent officer of the establishment.

(2) Application for leave under sub-rule (1), other than casual leave, leave on medical certificate and quarantine leave, shall be made not less than one month before the date of commencement of leave, except in urgent or unforeseen circumstances.

(3) If leave is refused or postponed, the competent officer of the establishment shall record the reasons for such refusal or postponement, as the case may be, and send a copy of the order to the working journalist or sales promotion employee as the case may be.

(4) Holidays, other than weekly days of rest, shall not be prefixed or suffixed to any leave without the prior sanction of the competent officer of the establishment.

(5) A holiday including a weekly rest day, intervening during any leave granted under these rules, shall form part of the period of leave.

42. Recall a working journalist or sales promotion employee before expiry of leave. -(1) A newspaper establishment may recall a working journalist or sales promotion employee on leave, if that establishment considers it necessary to do so. In the event of such recall, such working journalist or sales promotion employee shall be entitled to traveling allowance, if at the time of recall he is spending his leave at a place other than his headquarters.

(2) The traveling allowance, which shall be paid to a working journalist under sub rule(1) shall be determined in accordance with the rules of the establishment governing traveling allowance for journeys undertaken by the working journalists or sales promotion employee in the course of their duties.

43. Production of medical certificate of fitness before resumption of duty. -A working journalist or sales promotion employee who has availed himself of leave for reasons of health may, before he resumes duty, be required by his employer to produce a medical certificate of fitness from the qualified medical practitioner or medical officer who issued the medical certificate.

44. Designation of Medical Officer. -Every establishment employing working journalist or sales promotion employee may designate one or more qualified medical practitioners in conformance with Section 42 of the Code.

45. Earned leave. -(1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to earned leave on full wages for a period not less than one month for every eleven months spent on duty.

Provided that he shall cease to earn further such leave when the earned leave due amounts to ninety days.

(2) The period spent on duty shall include the weekly days of rest, holidays, casual leave and quarantine leave.

46. Wages during earned leave. - A working journalist or sales promotion employee on earned leave shall draw wages equal to his average monthly wages earned during the period of twelve complete months spent on duty, or if the period is less than twelve complete months, during the entire such period, immediately preceding the month in which the leave commences.

47. Cash compensation for earned leave not availed of.-(1) When a working journalist or sales promotion employee voluntarily relinquishes his post or retires from service on reaching the age of superannuation, he shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of thirty days :

Provided that a working journalist or sales promotion employee who has been refused earned leave due to him shall be entitled to get cash compensation for the earned leave so refused:

Provided further that in the case of a working journalist who dies while in service and who has not availed himself of the earned leave due to him immediately preceding the date of his death, his heirs shall be entitled to cash compensation for the leave not so availed of.

(2) When a working journalist's or sales promotion employee's services are terminated for any reason whatsoever, other than as punishment inflicted by way of disciplinary action, he shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of ninety days.

(3) Such cash compensation shall not be less than the amount of wages due to a working journalist or sales promotion employee for the period of leave not availed of, the relevant wage being that which would have been payable to him had he actually proceeded on leave on the day immediately preceding the occurrence of any of the events specified in sub-rule (1) or (2), as the case may be.

48. Leave on medical certificate. -

(1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to leave on medical certificate on one-half of the wages at the rate of not less than one month for every eighteen months of service:

Provided that he shall cease to earn such leave when the leave on medical certificate amounts to ninety days.

(2) Such medical certificate shall be from a medical officer:

Provided that when a working journalist has proceeded to a place other than his headquarters with the permission of his employer and falls ill, he may produce a medical certificate from any registered medical officer:

Provided further that the employer may, when the qualified medical practitioner is not in the service of the Government, arrange at his own expense, the medical examination of the working journalist or sales promotion employee concerned by any Medical Officer.

- (3) Leave on medical certificate may be taken in continuation with earned leave provided that the total of duration earned leave and leave on medical certificate taken together shall not exceed a hundred and twenty days at any one time.
- (4) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled at his option to convert leave on medical certificate on one-half of the wages to half the amount of leave of full wages.
- (5) The ceiling laid down in the provision to sub-rule (1) and sub-rule (3) on the accumulation and total duration of leave may be relaxed by the competent officer in the cases of working journalists or sales promotion employees suffering from lingering illness such as tuberculosis.
- (6) Leave on medical certificate or converted leave on medical certificate referred to in sub-rules (1) and (4) may be granted to a working journalist at his request notwithstanding that earned leave is due to him.

49. Quarantine leave. -Quarantine leave on full wage shall be granted by the newspaper establishment on the certificate of the authorized medical practitioner designated as such under Section 42, for a period not exceeding twenty-one days or, in exceptional circumstances, thirty-days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of that period shall be adjusted against any other leave that may be due to the working journalist or sales promotion employee.

50. Extraordinary leave. -A working journalist or sales promotion employee who has no leave to his credit may be granted extraordinary leave without wages at the discretion of the newspaper establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.

51. Leave not due. -A working journalist or sales promotion employee who has no leave to his credit may be granted at the discretion of the newspaper establishment in which such working journalist is employed.

52. Study leave. -A working journalist or sales promotion employee may be granted study leave with or without wages at the discretion of the newspaper establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.

53. Casual leave. -(1) A working journalist or sales promotion employee shall be eligible for casual leave at the discretion of the newspaper establishment for fifteen days in a calendar year:

Provided that no more than five day's casual leave shall be taken at any one time and such leave shall not be combined with any other leave.

- (2) Casual leave not availed of during a calendar year will not be carried forward to the following year.

54. Weekly day of rest under sub-section (2) of Section 26.

(1) For the purpose of section 26, there shall be posted up in a conspicuous place outside the office of every establishment a notice showing the weekly day of rest. Where the weekly day of rest is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the day of rest allowed to each relay, or set of persons or individual.

55. Compensatory holidays.-(1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 of the Code shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

- (2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works prescribed under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.
- (3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

56. Extra Wages for overtime under Section 27.-(1) In pursuance of Section 27 of Code, where in an establishment a worker works for more than eight hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) the spread over for the workers shall exceed twelve hours in any one day under the following works and circumstances in factories, dock works, mines and building or other construction, namely;

- (a) urgent repairs;
- (b) work in the nature of preparatory or complimentary work;
- (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;
- (d) work which for technical reasons must be carried on continuously;
- (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day,
- (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;
- (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;
- (h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;
- (i) engaged in process on account of the break-down of machinery;
- (j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;
- (k) exceptional press of work and
- (l) engaged in any work, which is notified by the Central Government in the Official Gazette as a work of national importance;

Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred twenty five hours in any quarter of a year.

Chapter-VI-

Maintenance of Registers, Records and Returns:

57. Notice of periods of work under sub-section (2) of Section 31.- (1) The notice referred to in sub-section (2) of section 31 shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board and maintained in **Form-VII** and copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-facilitator electronically or by registered post.

58. Maintenance and production of reports, registers and other records under Section 33.- Every employer shall-

- (a) maintain register of workers, wages, overtime, fine, deduction for damage or loss in **Form-VIII** electronically and shall be kept available at an office or the nearest convenient building within the precincts of the establishment;
- (b) in case of manual registers and other records, be legibly entered in ink in English and Hindi or the language understood by a majority of the persons employed;
- (c) be preserved in original for a period of one calendar year after the date of the last report or entry;

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of one year period, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

- (d) be produced, electronically or by registered post, on demand before the Chief Inspector-cum-facilitator or an Inspector-cum-facilitator or any person authorized in that behalf of the Central Government.

59. Display of notice board.- Every employer shall cause to display at the conspicuous place of the workplace of the establishment under his control, notice showing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English, Hindi and in the Local Language understood by the majority of the workers.

60. Return.- Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in duplicate in **Form-IX** to the Inspector-cum-facilitator having jurisdiction so as to reach him not later than 1st February following the end of each calendar year with a copy to Director General, Labour Bureau electronically.

61. Register of accident and dangerous occurrences.— The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 of the Code shall be maintained in a **Form-X**.

62. Register of leave with wages under clause (a) of section 33.-

(1) The owner, agent or manager of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or manually in **Form-XI**.

(2) The register mentioned in sub-rule (1) shall be preserved for a period of two years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

Chapter-VII

Inspector-cum-facilitator and Other Authority

63. Power to take samples of any articles or substances under clause (x) of sub-section (1) of section 35.-

(1) An Inspector-cum-facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment after informing the employer of the establishment, taken in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being—

(a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of this code or the rules made thereunder, or

(b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-section unless such person willfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-facilitator so requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(4) The Inspector-cum-facilitator shall—

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

(b) forthwith send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or NABL accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

64. Powers and duties of Inspector-cum-facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of Section 35.-

(1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice in the **Form-XII** pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations framed thereunder, to the employer or occupier or owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent.

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with. His findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code or the regulations made thereunder shall be recorded and maintained.

65. Appointment of Medical officer under sub-section (1) of Section 42.-The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019(30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, 36, 37 and 40 of the Act.

66. Duties of Medical Officer under sub-section (2) of Section 42.-(1) On receipt of a reference under clause (c) sub-section (2) of section 42 of the code, the Medical Officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place

for medical examination and upon examining the person sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopaedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as central government may direct:

- (a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;
- (b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to arduous nature of any process carried on or hazardous condition of work;
- (c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;
- (d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as prescribed in Third Schedule of the code.
- (e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

67. Employment of Women in establishment under Section 43.- (1) The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m in any day, namely:-

- (a) the consent of women employ shall be taken;
- (b) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020 (36 f 2020);
- (c) adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;
- (d) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit;
- (e) the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed; and
- (f) Provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.
- (g) in case of below ground mine not less than 3 women employees shall be on duty at any place.
- (h) The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

68. Adequate Safety of employment of women in dangerous operations under Section 44.-The central government may declare by notification the class of establishments and the scheme, and standards for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes.

Chapter-VIII

Contract Labour

69. Qualification and Criteria of the Contractor under sub-section (1) of Section 47.-For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual should not be an un-discharged insolvent or convicted any time during the last two years of an offence which is criminal in nature involving offences which are liable for punishment for more than three months of imprisonment.

70. Conditions of License under sub-section (3) of section 47.- (1).The contractor shall ensure that:

- (a) the hours of work shall conform to the rules made under Section 25 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).
- (b) the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2020).
- (c) if the contract worker of the contractor is working at the premises of the principal employer then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, Canteen and Crèche and
- (d) all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

- (e) in case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract worker, then the Chief Labour Commissioner (Central) or his representative, who shall cause such payment to be made to the contract workers who have not been paid out of the security deposit maintained under rule 76 including by invoking the bank guarantee; and
- (f) he shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details the contract work order and in the manner as under rule 78.

71. Form and manner of application for contractor license under of sub-section (1) of Section 48.-Every application by a contractor for the grant of a license shall be made on-line electronically through Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment in **Form-XIII** to the licensing authority.

72. Single Licence for Contractor in more than one States or for whole of India under -(1) If a contractor desirous of obtaining licence for:-

- (i) supplying or engaging contract labour or
- (ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 in more than one States or for the whole of India, then he shall apply electronically on the Shram Suvidha portal of Ministry of Labour and Employment in **Form-XIII** to the licensing authority as notified by the central government :-
- (2) Application for single licence shall be submitted electronically to the authority notified in this behalf under sub-section (1) of section 119 of this code.
- (3) The concerned State government shall be consulted electronically. If no response is received within thirty days from the date of issue of such communication the consultation process is deemed to have been complied with.
- (4) License issued under this rule shall be valid for five years.
- (5) Copy or copies of the licence so issued shall be sent to the State Government in whose jurisdiction, the contract work or works for which licence is issued, falls.

73. Forms, terms and conditions of license.- (1) Every license granted shall be in **Form-XIV**.

(2) Every license granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

- (i) the license shall be non-transferable;
- (ii) the number of workers employed as contract labour by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;
- (iii) save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;
- (iv) the rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

74. Procedure for issue of license under sub-section (2) of section 48.- (1) Before a license is issued under any rule of these rules, bank guarantee for an amount calculated at the rate of Rupees 1000 for each of the worker to be employed as contract labour, in respect of which the application for license has been made, shall be deposited by the contractor for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code or the rules made thereunder.

(2) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in Form, the licensing officer may adjust the security deposit in respect of his application for new license.

(3) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the table below, namely;

(a)	No license is required up to 49 contract labour	Nil.
(b)	50 but does not exceed 100 contract labour	Rs. 1000
(c)	101 but does not exceed 300 contract labour	Rs. 2000
(d)	301 but does not exceed 500 contract labour	Rs. 3000
(e)	501 but not exceeding 1000 contract labour	Rs. 5000
(f)	1001 but not exceeding 5000 contract labour	Rs. 10000
(g)	5001 but not exceeding 10000 contract labour	Rs 20000
(h)	10001 but not exceeding 20000 contract labour	Rs 30000
(i)	20001 and above contract labour	Rs.40000

75. Renewal of license under Section 48.-(1) Every contractor shall apply electronically on the Shram Suvidha portal of the Ministry of Labour & Employment to the licensing authority for renewal of the license.

(2) Every such application shall be submitted on the said portal at least 30 days prior to expiry of license period but not before 90 days of such expiry of license.

(3) The security deposit and the fee chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant of license under rule 74.

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew license within 30 days.

76. Refund of security deposit .-(1) On expiry of the period of license the contractor may, if he does not intend to have his license renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by him(in form of bank guarantee) along with copy of licence and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the Licensing authority is satisfied that there is no breach of the conditions of license or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor's security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor.

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within 30days of the receipt of the application.

77. Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48.-(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 (...of 2019) and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.

(2) In case where the worker employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workers of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work. In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the Inspector-Cum Facilitator whose decision shall be final.

(3)In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workers of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made thereunder.

(4)All contract labour shall be made member of EPFO and ESIC subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020.

(5)The contractor shall notify any change in the number of workers or conditions of work to the Licensing Authority, electronically.

78. Intimation of work order and time limit for intimation under section 50.-(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders.

(2) the details of work order shall be sent by the contractor or his authorized representative.

(3) The intimation shall be sent electronically on the Shram Suvidha portal or e-mail of the Chief Labour Commissioner or his representative as may be notified on the website of Chief Labour Commissioner (Central).

79. Revocation or suspension of license under section 51.-

- (1) If the Licensing Authority is satisfied that the licence has been obtained by mis-representation or suppression of any material fact or if the contractor has failed to comply with the conditions subject to which licence was granted or the contractor has contravened any provision of the Part-I, Chapter-XI of the Code or rules made thereunder, the Licensing Authority shall issue a show cause notice of 15 days to the contractor electronically. On receipt of the reply if any, from the contractor within 15 days, the Licensing Authority shall examine the same and in case the licensing authority feels that the continuation of contract business by the contractor is going to lead to grave harm to the workers, he may pass a Speaking Order recording the reasons for revocation or suspension or otherwise and communicate to the contractor electronically. A copy of the Order shall be endorsed to the Chief Labour Commissioner (C), Labour Enforcement Officer (C) and concerned State Authorities.

- (2) If the contractor has complied with the said provisions of the code and rules made thereunder within the stipulated time period, the Licensing Authority shall revoke the suspension giving a Speaking Order or else the suspension may be continued.
- (3) If the contractor fails to comply with the directions as in sub-rule (1), the Licensing Authority may forthwith pass an order of revocation of license, recording the reasons thereof and communicate to the contractor electronically. The copy of the order shall be endorsed electronically to Chief Labour Commissioner (C), Labour Enforcement Officer (C) and the concerned State Authority.

80. Appeal under sub-section (1) of section 52: The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code shall be Chief Labour Commissioner (Central).

81. Responsibility of Payment of wages under Section 55.- (1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

- (1) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

82. Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of section 55 .-

If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the Chief Labour Commissioner (Central) or his representative or the competent officer as may be notified shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

83. Experience Certificate under section 56.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **Form-XV** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

84. Prohibition of employment of contract labour under clause (b) of sub-section (2) of section 57.-

If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Joint Secretary Government of India, Ministry of Labour and Employment giving reasons along with supporting documents.

CHAPTER-IX

INTER-STATE MIGRANT WORKER

85. Journey allowance to Inter-State Migrant Worker under Section 61.- The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to & fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home-state in the event of the following, namely:

if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment(s) in preceding twelve months;

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-state migrant worker during the middle of the employment period and has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-state migrant worker, the employer where the inter-state migrant worker is now working and the such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the employer shall give journey allowance.

86. Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker under Section 63.- A Toll-Free help-line number shall be provided by Ministry of Labour and Employment, to address queries and grievances of the inter-state migrant workers.

87. Study of inter-state migrant workers under Section 64.- The Central Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-state migrant workers. Wherever required the Central Government may also consult the State Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-state migrant workers.

CHAPTER-X

AUDIO- VISUAL WORKER

88. Agreement for audio-visual worker under clause (a) of sub-section (2) of section 66.- (1) The Form of agreement for the audio-visual workers with the producer is given in **Form-XVI**.

(2) The agreement shall be registered with the competent authority as may be notified by the Central Government.

89. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal under sub-section (1) section 66.—The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be in conformity with the Industrial Relation, Code 2020 and Rules framed thereunder.

CHAPTER-XI

MINES

90. Qualification and appointment of manager under sub-section (1) of section 67.—No mine shall be opened, re-opened or worked unless it has a duly appointed manager, who has the following qualifications:

Type of mine	Average material handled/output/production of the mine	Essential Qualification for the manager
Underground Coal Mines	(a) Production in excess of 2,500 tonnes per month.	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal).
	(b) Production not exceeding 2,500 tonnes per month.	A First Class Manager's Certificate (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Coal).
Opencast Coal Mines:	(a) In excess of 20,000 cubic metre per month of material handled	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Coal) .
	(b) Not exceeding 20,000 cubic metre material handled per month	A First Class Manager's Certificate of competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Coal) or Second Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Coal).
Underground Metalliferous mines:	(a) Average output in excess of 1,250 tonnes.	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal).
	(b) Average output not exceeding 1,250 tonnes.	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Metal).
Opencast Metalliferous mines:	(a) Average monthly material handled in excess of 20,000 cubic meter.	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Metal).
	(b) Average monthly material handled not exceeding 20,000 cubic meter.	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Metal) or Second Class Manager's Certificate of competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having opencast workings only (Metal).
Mine having both opencast and underground workings	All coal and metal mines	First Class Manager's Certificate of competency (Coal or Metal as the case may be)
Oil Mines	All Oil Mines	A degree or diploma in engineering or post-graduation in physics or geophysics or geology or chemistry of an educational institution recognised by the Central Government and has experience in the management and supervision of operations in oil mines for a period of not less than fifteen years in case of diploma in engineering and ten years in other cases.

91. Code not to apply in certain mines under section 68.—The provision of the code, except those contained in section 35, 38, 40, 41 and 44 shall not apply to –

(i) any mine or part thereof in which excavation is being made for prospecting purposes only and not for the purpose of obtaining minerals for use and sale:

Provided that –

- (a) not more than twenty persons are employed on any one day in connection with any such excavation;
- (b) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters or, in the cases of an excavation in coal, fifteen meters; and
- (c) no part of such excavation extends below superjacent ground; or

(ii) any mine engaged in the extraction of kankar, murrum, laterite, boulder, gravel, shingle, ordinary sand (excluding moulding sand, glass sand and other mineral sands), ordinary clay (excluding kaolin, china clay, white clay or fire clay), building stone, slate, road metal, earth, fullers earth, marl, chalk and limestone:

Provided that-

- (a) the working do not extend below superjacent ground; or
- (b) where it is an opencast workings-
 - (i) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters;
 - (ii) the number of persons employed on any one day does not exceed fifty; and
 - (iii) explosives are not used in connection with the excavation.

(2) As soon as an establishment becomes a mine, the employer of the mine shall give notice electronically to the Inspector cum facilitator within seven days from the date it becomes a mine.

(3) Notwithstanding anything contained in sub Rule (1) and (2), the Central Government may by an order in writing requires all provisions of the Code shall be applicable, in such mine or part thereof subject to such conditions as he may specify therein.

92. Initial and periodical medical examinations under sub-section (3) of section 70:

(1) the owner, agent or manager of every mine shall make arrangements for –

- (a) Initial medical examination of every person seeking employment in a mine.
- (b) Periodical medical examination of every person employed in a mine annually.

(2) The periodical medical examination or the X- Ray examination or both, shall be conducted at more frequent intervals if the medical examining authority deems it necessary to confirm a suspected case of a dust related disease.

93. Examining authorities.—

(1) The medical examination aforesaid shall be carried out by a qualified medical practitioner in the employment of the owner of the mine or duly assigned for this purpose by the owners of group of mines, or by any Government medical officer.

(2) The examining authority shall be trained in Occupational Health course including ILO Classification of chest Radiograph duly recognized by the central government.

94. Notice of medical examination.— (1) In respect of initial medical examination the owner, agent or manager shall give at least seven days' prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator. A copy of every such notice issued shall be sent by the owner, agent or manager to the examining authority.

(2) In respect of periodical medical examination the manager shall give at least twenty days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator. A copy of every such notice issued shall be sent by the owner, agent or manager to the examining authority along with previous medical certificates issued, pertaining to the persons concerned.

(3) A person, who for any reasonable cause, fails to submit himself for the medical examination in accordance with the notice issued to him, shall be given a second notice of a minimum period of ten days in Form to be notified by the Chief cum Facilitator, by the manager and a copy of every such notice shall be sent by the manager to the examining authority.

(4) The examining authority shall inform the manager whether the person concerned has appeared for medical examination or not within one week.

95. Failure to undergo medical examination.— A person who without reasonable cause, fails to submit himself for medical examination in accordance with the notice issued to him shall be liable to be discharged from service;

Provided that a person who renders himself so liable to be discharged for failure to submit himself for medical examination shall be required to show cause why he could not comply with the notice within the time specified therein. If his explanation is found satisfactory by the management; he shall be given another chance to appear for medical examination. In case his explanation is not found satisfactory by the management, his service shall be terminated by the management;

96. Standard and report of medical examination.—(1) The examining authority holding initial medical examination shall examine a person according to the standards laid down in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator.

(2) The examining authority holding periodical medical examination shall examine a person according to the standard laid down in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator.

(3) As soon as may be, after examinations, copy of the medical certificate in Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator, shall be issued by the examining authority to the person concerned electronically or by Registered post or delivered under receipt and another copy sent to the owner, agent or manager of the mine concerned electronically or by Registered post or delivered under receipt.

(4) The examining authority shall retain the third copy of the medical certificate in physical and in electronic format.

(5) In the case of periodical medical examination of person, the examining authority shall also send the copy of previous medical certificates of the person concerned, back to the manager of the mine concerned.

97. Retention and transfer of medical certificates.—(1) All medical certificates including all medical examination records with medical history and job details to depict the occupational dust exposure profile of persons employed or to be employed in a mine shall be retained in the possession of the manager of the mine so long as the person is employed in the mine and for a period of five years thereafter:

Provided that the manager of a mine where such person is or was employed shall, if so requested by the manager of any other mine where the person is to be employed, send to him all medical certificates with respect to such person.

(2) If the examining authority who conducts medical examination of persons employed or to be employed in any mine is relieved of his duties regarding medical examination, the medical practitioner shall transfer all records of medical examination in his possession to the manager of the mine concerned.

98. Identity of candidates.—The examining authority, shall record the Aadhar number and signature of every candidate appearing before it for medical examination on the copies of the medical certificate.

99. Medical Examination of women — A woman employee shall preferably be examined by a female medical practitioner. In case a female qualified medical practitioner is not available, the woman employee shall be medically examined by a male qualified medical practitioner only in the presence of another woman.

100. Appeal for re-examination.—(1) Where as a result of an initial medical examination, or of periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in particular category of mines or in any specified operations in mine, he may, within thirty days of the receipt by him of a copy of the certificate, file an appeal with the owner, agent or manager in case of Initial Medical Examination and the manager of the mine in case of Periodical Medical Examination, against the declaration aforesaid, and request for a medical re-examination by an Appellate Medical Board.

(2) (a) the owner, agent or manager in case of initial medical examination and manager of the mine in case of periodical medical examination shall forward the appeal to the convener of the appellate medical board within fifteen days of the receipt of the Appeal.

(b) The convener of the appellate medical board shall give at least fifteen days prior notice to the owner, agent or manager and also the appellant, of the medical re-examination.

(c) A person, who for any reasonable cause, fails to submit himself for a medical re-examination shall be given another notice at least seven days in advance.

(3) In respect of every medical re-examination by the appellate medical board, the appellant shall pay such fees and the medical examination shall be conducted in such manner as may be determined by the appellate medical board. In case the appellate medical board finds him fit for employment in mines, the fees shall be reimbursed in full to the appellant by the owner of the mine where he is employed.

101. Constitution of Appellate Medical Board.—For the purpose of medical re-examination on appeal, the Appellate Medical Board shall be constituted in the following manner, namely;

(1) An Inspector cum Facilitator (Occupational Health), who shall also act as the Convener of the Board.

(2) Two Qualified medical practitioners duly qualified in allopathic system of medicine and in the employment of the State or Central Government or in a Government Undertaking, as nominated by the Chief Inspector cum Facilitator.

Provided that, the Convener can co-opt any specialist doctor if the Appellate medical board is of the opinion that such specialist is required to be consulted for specific issues.

102. Standard and report of medical re-examination by the Appellate Medical Board.— (1) The Appellate Medical Board shall medically examine the appellant -

- (a) in accordance with the standard laid down in the Form as notified by Chief Inspector Cum Facilitator for initial medical examination.
- (b) in accordance with the standard laid down in the Form as notified by Chief Inspector Cum Facilitator for periodical medical examination;

(2) The certificate of medical re-examination in the Form to be notified by the Chief Inspector cum Facilitator, shall be issued to -

- (a) the manager of the mine, in case of periodical medical examination;
- (b) the owner, agent or manager in case of initial medical examination;
- (c) the appellant;

(3) a copy of the medical certificate shall be retained with the Convenor;

103. Unfit persons not to be employed.—(1) Where, as a result of an initial medical examination or a periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in a particular category of mines or in any specified operations in mine, the person, shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of his medical examination unless he has filed an appeal against the declaration.

(2) Where the person concerned has filed an appeal, but has been declared by the Appellate Medical Board, after a medical re-examination, to be unfit for employment in mines or in a particular category of mines or on any specified operations in mines, he shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of his medical re-examination by the Appellate Medical Board:

Provided that, if the qualified medical practitioner carrying out the initial medical examination, or the periodical medical examination, the Appellate Medical Board carrying out the medical re-examination of persons already in employment is of the opinion that the disability of the person examined is of such a nature and degree that it will not seriously affect or interfere with the normal discharge of his duties, it may recommend his continuation in employment in the mine for a period not exceeding six months, during which such person may get his disability cured or controlled and submit himself for another medical examination and be declared fit.

104. Cost of medical examination.—The full cost of every medical examination under these rules, shall be borne by the owner of the mine concerned except in case the person is declared unfit for employment in mines after re-examination by Appellate Medical Board.

105. Exemptions from hours and limitation of employment under Section 25.-

(1) For the purpose of Section 71 of the Code, the following persons shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 25, sub-section (1) of section 26, section 30 and sub-section (1) of section 31 of the code, namely.-

- (a) Person holding position of supervision or management etc, employed in a confidential capacity;
- (b) manager, deputy manager, installation manager, fire officer, under manager, underground manager, assistant manager, ventilation officer, Safety officer, Information Technology, Instrumentation & Communication Officials;
- (c) mining, electrical and mechanical engineer;
- (d) overman, foreman, sirdar, mate and supervisor in oil mines;
- (e) mechanical and electrical foreman and electrical supervisor;
- (f) surveyor and assistant surveyor;
- (g) qualified medical practitioner, dresser, compounder, chemist, assayer, metallurgist and welfare or personnel officer; and

- (h) any other person who in the opinion of the Chief Inspector cum Facilitator holds a position of supervision or management.

106. Establishment and location of rescue station under section 72:(1) The Chief Inspector cum Facilitator may permit or require the owner of a below ground mine or a group of below ground mines to establish and maintain rescue station, stations with such designs and specifications and at; such place/ places as may be considered necessary in consultation with the owner: Provided that where there are below ground mines belonging to more than one owner, the Chief Inspector cum Facilitator may permit or require two or more owners to jointly establish a common rescue station: Provided further that all the existing rescue stations as on the date of ;coming into force of these rule, shall continue to function for a period of three years from that date.

(2) At every rescue station there shall be appointed one Superintendent and at least two instructors and also, there shall be maintained a rescue brigade of not less than eighteen rescue trained persons.

(3) In case where the absence of the Superintendent at a rescue station exceeds 60 days, the owner shall appoint another Superintendent.

(4)The owner shall, on the same day of assumption or relinquishment of charge by the Superintendent, inform the Chief Inspector cum Facilitator and the Inspector cum Facilitator of the region where the mine is situated.

107. Functions of rescue stations.- The functions of rescue station shall include:-

- (i) imparting initial training in rescue and recovery work;
- (ii) imparting refresher training to rescue trained persons;
- (iii) providing support by its own rescue teams and equipment in case of major accidents or long lasting rescue and recovery operations; and
- (iv) carrying out the functions of rescue room in respect of these below ground mines where there is no rescue room.

108. Establishment and location of rescue rooms.- (1) At every below ground mine where, more than 100 persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within its radius of 35 kms, the owner, shall establish and maintain on surface close to mine entrance a rescue room:

Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mines belonging to the same owner where:-

- (a) the total number of persons ordinarily employed in below ground workings of all such mines does not exceed 5000; and
- (b) The mines are situated within radius of 35 kms from and connected by road with the rescue room :

Provided further that the Chief Inspector cum Facilitator may permit the owner of a group of mines having the total number of persons ordinarily employed below ground in excess of 5000, to use the rescue room as a rescue station excepting the functions of imparting initial training in rescue work, if such rescue room is .-

- (i) equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of two hour self- contained breathing apparatus; and
- (ii) placed under the charge of a person holding the qualifications, experience etc., of Instructors and minimum of five rescue trained persons of whom at least one shall hold the Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge are posted thereat.

(2) At each rescue room, there shall be appointed such number of rescue trained persons as may be necessary and one of them possessing the Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge shall be made in-charge of the rescue room. At least one rescue trained person shall always be in attendance at the rescue room.

109. Functions of rescue room.- A rescue room shall provide facilities for the storage, assembly, testing and adjustments of breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transport to mines.

110. Qualifications, experience etc. of Superintendent.- No person shall be appointed as Superintendent unless he:-

- (i) is a rescue trained person ;
- (ii) has 5 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a First Class Manager's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

111. Qualifications, experience etc., of Instructors.- After; the coming into force of these rules no person shall be appointed as Instructor unless he:-

- (i) is a rescue trained person;

- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a Manager's certificate of a type not restricted to open cast workings.

112. Selection of rescue trained persons for posting at rescue stations.- (1) After coming into force of these rules the rescue trained persons for posting at a rescue station shall be selected, from amongst the rescue trained persons employed in mines served by the rescue station, by the Superintendent in consultation with the managers of such mines. (2) A person selected under sub-rule (1) shall be posted for not less than one year and not more than five years at a rescue station at any one time.

113. Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge.- No person shall be appointed as rescue room in-charge unless he:-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines ; and
- (iii) holds a Manager's, Overman's or Foreman's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

114. Equipments.- (1) At every rescue station there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as specified in Schedule I, as may be notified.

(2) At every rescue room there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as specified in Schedule II, as may be notified.

(3) At a below ground mine, where no rescue room is located, apparatus and equipment as specified in Schedule III, as may be notified and shall be maintained at the entrance of such mine.

(4) Self- contained breathing apparatus provided at a rescue station and that at rescue rooms under it shall be of the same type and make.

(5) The following apparatus and equipments provided in pursuance of sub-rules (1), (2) and (3), shall be of a type or standard approved by the Chief Inspector cum Facilitator, namely:-

- (a) breathing apparatus;
- (b) smoke helmets and apparatus serving the same purpose;
- (c) reviving apparatus;
- (d) electric safety lamps and flame safety lamps;
- (e) gas detector; and
- (f) self-rescuers.

(6) All breathing apparatus and every flow meter shall be adjusted; and tested and the purity of oxygen for use in breathing apparatus shall be tested in such manners as are laid down in Schedule IV, as may be notified.

(7) In case of an accident in a below ground mine arising out of the use of any rescue apparatus, a written report thereof shall be sent, within 24 hours of such accident, by the manager of the mine to the Chief Inspector cum Facilitator and Inspector cum Facilitator in the form, as may be notified.

(8) In case of an accident in a rescue station or rescue room arising out of the use of any rescue apparatus a written report thereof shall be sent electronically , within 24 hours of such accident, by the Superintendent to the Chief Inspector cum Facilitator and Inspector Cum Facilitator in the form, as may be notified.

(9) No absorbent charges, chemicals, self-rescuer and gas detector tubes shall be kept at any rescue station, rescue room or below ground mine for use beyond the expiry date, which shall be legibly marked on the boxes thereof.

115. Duties and responsibilities of Superintendent.- (1) The Superintendent shall be in overall control of the rescue station and the rescue rooms served by such rescue station.

(2) The Superintendent shall ensure that all the rescue equipment and apparatus kept at the rescue station, rescue rooms and at the entrance of the below ground mines under his control are- (a) maintained in perfect working order; (b) inspected by Instructors at specified intervals; and (c) tested and adjustments are made accordingly.

(3) The Superintendent shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies are kept for maintaining rescue equipment and apparatus in perfect working order.

(4) The Superintendent shall countersign the records maintained.

(5) The Superintendent shall ensure that persons selected for initial training and those undergoing refresher training receive the prescribed course of instructions and practices and are issued the credit certificates for the same.

(6) The Superintendent shall make periodical inspection of rescue rooms and the apparatus and equipment under his control.

(7) In the event of an emergency at a below ground mine, Superintendent shall perform such rescue and recovery work as may be assigned to him by the manager or in his absence by the principal official present at the surface. He shall send a daily report and a complete report within twenty four hours after completion of the rescue or recovery work to the Inspector cum Facilitator or the Chief Inspector cum Facilitator.

(8) The Superintendent shall maintain in a bound paged book a diary and shall record therein the results of each of his inspections and also the action taken by him to rectify the defects observed during inspection.

116. Duties of Instructors.- (1) Under the direction of Superintendent the Instructor shall-

(a) impart course of instructions and practices to persons selected for training in rescue and recovery work as well as to rescue trained persons and maintain a record thereof; and

(b) make inspection, test and adjustment of rescue equipment and apparatus and maintain a record thereof.

(2) In the event of an emergency at a below ground mine, Instructors shall perform such rescue and recovery work as may be assigned to him by the manager or in his absence by the principal official present at the surface.

(3) Instructor shall not leave the rescue station without prior permission of the Superintendent.

(4) In the absence of the Superintendent, the Instructor shall be in-charge of the rescue station.

117. Duties and responsibilities of rescue room in-charge.- Every rescue room in-charge shall-

(a) display prominently a list of mines served by his rescue room;

(b) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue room in perfect ;order;

(c) maintain a proper record of all rescue equipment and apparatus kept at the rescue room and inspection thereof; and

(d) not allow any unauthorised person; to enter into, or permit any unauthorised person to take out any apparatus or equipment from the rescue room.

118. Duties of rescue trained persons posted at rescue station.- The rescue trained person shall-

(a) obey order of the Superintendent and Instructor and assist them in discharge of their functions;

(b) attend to messages, telephone calls and wireless and maintain record thereof;

(c) maintain the rescue station in neat and tidy condition;

(d) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue station in perfect order;

(e) perform rescue and recovery work in mines; and

(f) not leave rescue station without obtaining permission from the Superintendent.

119. Duties of rescue room attendant .- Every rescue room attendant shall-

(a) not leave the rescue room until relieved by a substitute;

(b) not allow any unauthorised person to enter in or to take out any apparatus or equipment from the rescue room;

(c) attend to telephone calls and maintain a record thereof;

(d) maintain the rescue room in neat and tidy condition; and

(e) obey orders of the rescue room incharge and assist him in discharge of his functions.

120. Telephone Communication. – Every mine shall be connected telephonically with the rescue room and rescue station serving the mine. Wherever practicable wireless communication shall also be provided: Provided that where there is no telephonic communication system, the Chief Inspector cum Facilitator may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, approve any other means of communication.

121. Rescue tracings.- There shall be kept at a below ground mine, more than three legible tracings of the working of the mine upto a date not before three preceding months. The tracing shall show the system of ventilation in the mine, and in particulars, the general direction of air-current, every point where the quantity of air is measured, every air-crossing, ventilation-door stopping, booster fan and any other principal device for regulation and distribution of air, fire-dams, preparatory stoppings , every fire-fighting equipment, every water-dam with dimensions and other particulars of construction, every pumping, telephone and ambulance station, every room used for storing inflammable material, reserve stations and every haulage and travelling roadway.

122. Appointment of rescue trained persons in mines, their disposition and accommodation.- (1) The manager of a below ground mine, where more than 100 persons are ordinarily employed below ground, shall ensure that at least 5 rescue trained persons are readily available at surface at any time.

(2) The manager of a below ground mine, where more than 500 persons are ordinarily employed below ground, shall also ensure that persons on a scale of one man for every 100 persons or part thereof are rescue trained persons.

(3) It shall be the responsibility of the owner to provide suitable accommodation:-

(i) close to the rescue station to the Superintendent, Instructors and members of rescue brigade;

(ii) close to rescue room to rescue room in-charge rescue trained persons and attendants attached to it; and

(iii) close to below ground mine entrance to rescue trained persons other than those specified in (i) and (ii). (4) There shall be provided at a below ground mine effective bell or other arrangements, as may be approved by the Inspector cum Facilitator, for immediate summoning of rescue trained persons.

123. Selection of persons for training in rescue work.- No person shall be selected for training in rescue work, unless:-

(i) he is between 21 and 30 years of age and holds a valid First-aid certificate of the standard of the St. John Ambulance Association (India);

(ii) he is certified by the Manager that he has sufficient underground experience for the purpose of rescue work;

(iii) he is certified by a qualified medical practitioner, as may be designated by the Manager after examination in accordance with Schedule VI, as may be notified, to be free from any organic disease or weakness and to be fit for undertaking rescue work; and

(iv) he is considered by the Superintendent of Rescue Station, after such examination and interview as he considers necessary, to be suitable for rescue work with breathing apparatus.

124. Instructions and practices etc.-(1) Every person selected for training in rescue work shall undergo the course of instructions and practices as set out in Part I of Schedule VII as may be notified, until he has passed and has been certified as efficient by the Superintendent.

(2) Rescue trained person shall undergo practices and receive instructions as set out in Part II of Schedule VII as may be notified.

(3) A record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices and receiving instructions. Such record shall contain:-

(i) the date and the character of each practice;

(ii) the condition of each person after the practice, and if anything abnormal was observed in his condition, whether it was due to a defect of the apparatus or to that person; and

(iii) any other relevant information.

125. Medical examination etc. of rescue trained person.- Every rescue trained person shall be re-examined once at least in every twelve months by a qualified medical practitioner as may be designated by the manager in accordance with Schedule VI, and in case he is declared medically unfit, he shall cease to be a rescue trained person with effect from the date he has been so declared.

126. Suspension of rescue trained persons.- If in the opinion of the owner, agent, manager or an Inspector cum Facilitator a rescue trained person is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties, the owner, agent, manager or Inspector cum Facilitator as the case may be, may after giving such person an opportunity to give a written explanation, suspend him from or debar him for, undertaking any rescue and recovery work.

127. Duties of Manager etc. in emergency.- (1) On receiving information of any emergency likely to require the services of a rescue team, the manager, or in his absence the Principal Official present at the surface, shall immediately:-

(a) inform the rescue room or the rescue stations serving the mine for necessary assistance;

(b) summon rescue trained person employed in the mine;

(c) inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue trained persons employed therein: if so required;

(d) inform the rescue station about the nature of the occurrence; stating whether assistance would be needed from the rescue station;

(e) summon medical assistance; and

(f) send information of the occurrence to the Inspector cum Facilitator.

(2) All rescue and recovery work at a below ground mine shall be conducted under the control, direction and supervision of the manager of the mine or in his absence the principal official present at the surface. Provided that in the event of a major emergency, such as ignition, explosion, big underground fire or an accident involving a number of persons, the manager or the principal official shall, in taking decisions regarding rescue and recovery operations, take guidance from a group consisting of a Senior Official of the management, a representative each from the Director General of Mines Safety, concerned rescue station and the recognised Union of the Workers, so however that he must take necessary decisions and direct the operations as the situation warrants, without waiting for the constitution or deliberations of the said group.

128. Accommodation at the below ground mine for persons engaged in rescue work.- Whenever rescue trained persons are engaged in rescue or recovery work at a below ground mine, there shall be provided at such mine suitable accommodation for storage and charging of apparatus required for that work. Such accommodation shall be situated at a convenient place near the entrance in use, and shall be properly ventilated and lighted. Adequate quantity of cool and wholesome drinking water and food shall be provided for the rescue workers.

129. Entry into below ground mines for rescue or recovery work.- (1) No person shall be allowed to enter a below ground mine or part thereof which is unsafe for the purpose of engaging in rescue or recovery work, unless authorised by the manager or in his absence by the principal official of the mine present at the surface. Only rescue trained persons shall be permitted to enter the mine for the purpose of using self-contained breathing apparatus. (2) During the Course of rescue or recovery work, person or persons shall be stationed at the entrance to the below ground mine and shall keep a written record of all persons entering and leaving such mine, and the time thereof.

130. Fresh air bases.- (1) As soon as possible, base or bases shall be established in fresh air, as near to the irrespirable zone or zones as safety permits, Every such base shall, if possible be connected by telephone:

(i) if the base is below ground to the surface; or

(ii) if the base is on the surface, to the shaft bottom.

(2) Except in cases where the delay involved may result in danger to life, rescue trained persons shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base:-

(a) two persons, of whom one shall be a qualified medical practitioner if practicable, and other shall be a rescue trained person;

(b) a spare team; with rescue apparatus, ready for immediate service;

(c) one or more reviving apparatus, oxygen revivers etc,

(d) first aid box and stretcher,

(e) means of testing for carbon monoxide;

(f) a hygrometer; and (g) two flame safety lamp.

(3) Whenever men are already at work beyond the fresh air base, there shall be provided at the base as soon as possible the persons, apparatus and equipments.

131. Leader.- Every rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the Superintendent.

132. Instructions to leader.- Prior to sending a rescue team underground, the Superintendent or a person authorised by him shall give clear instructions to the leader of the team as to where it shall go and what it shall attempt.

133. Test of apparatus.- Before proceeding below ground the leader shall test or witness the testing of self-contained breathing apparatus of the team for leakage. No such apparatus shall be used unless it is found safe. He shall check the equipment of his party, and immediately before entering irrespirable atmosphere shall make sure that all breathing apparatus are working properly.

134. Duties of leader below ground .- (1) The leader shall not engage in manual work. He shall give his attention solely to directing the team and to maintaining its safety. He shall examine the roof and supports during the journey, and if there is any likelihood of fall at any place along the roadway, shall not proceed further until the team has made the place secure.

(2) The leader shall keep the team together and shall not allow any member of the team to stray.

(3) If the atmosphere is clear, the leader shall, when passing the junction of two or more roadways, clearly indicate the route by means of arrow marks in chalk. If the atmosphere is obscure, the leader shall see that a life line is laid in from

the fresh air base, and shall not allow any member of the team to move out of reach of that line; or, if that course is impracticable, he shall not proceed until every roadway branching off from the route is fenced across the whole opening.

(4) When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch, shall record the pressure of the compressed oxygen at intervals of 20 minutes or so, and shall commence the return journey in ample time. During travelling he shall adopt the pace of slowest member, if any member of the team is in distress, shall immediately return to the fresh air base with the whole team.

(5) The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than one and half hours or such other period as may be specified by the Chief Inspector-cum-facilitator in respect of the breathing apparatus being used.

135. Rescue team members and their duties.- (1) The number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than five nor more than six, including the leader. (2) In case there is no provision in any of the breathing apparatus carried by the rescue team for an extension for supply of oxygen to another person in an emergency, the team shall carry a self-rescuer. (3) Members of rescue team shall in general, use the signals prescribed in Schedule VIII as may be notified, in communicating to one another. (4) In travelling with rescue apparatus on, every member of the team shall keep the place given to him when numbering off. If the pace is too quick or if distress is felt, the member shall at once call attention to the fact. (5) Every member of a rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall obey the order of the leader of the team.

136. Restriction of second spell of works.- No person shall commence a second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined and found fit by a qualified medical practitioner.

137. Obligation of owner, agent and manager in certain situations.- Whenever emergency arises at a below ground mine, whether served by a rescue room or rescue station or not, the owner, agent or manager may seek assistance or additional assistance as the case may be from the nearest rescue room or rescue station and in such an event:- (a) all possible assistance shall be promptly rendered by the rescue room or rescue station; and (b) the owner of the mine shall pay to the owner of the rescue station or rescue room, rendering such assistance, the full cost of rescue services and facilities borrowed.

138. General management.- It shall be the responsibility of the owner to establish, maintain and ensure proper functioning of rescue room or rescue station as required under these rules, to appoint Superintendent, instructors, rescue room in-charge, rescue trained persons, and to provide necessary rescue equipment and apparatus as may be necessary for compliance with the provisions of these rules.

139. Power to relax.- Where in the opinion of the Chief Inspector-cum-facilitator, the conditions pertaining to a mine or rescue station or rescue room are such as to render compliance with any provisions contained in these rules, unnecessary or impracticable, he may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein grant exemption from the said provisions.

140. Vocational Training under Section 72.- If any question or dispute arises as to whether a particular person or class or category of persons is required by these rules to undergo training or not, the same shall be referred to the Chief Inspector-cum-facilitator for decision.

141. Training Scheme.— (1) The Owner of every mine shall ensure that a training scheme comprising of theory and practical, based on the guidelines on the scheme of training, notified by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time, is prepared and submitted to the Chief Inspector-cum-facilitator and Inspector-cum-facilitator for persons employed or to be employed in the mine.

Provided that the agent of the mine may submit the training scheme approved by the owner in writing.

(2) The Chief Inspector-cum-facilitator or Inspector-cum-facilitator may by an order in writing, require such modification in the training scheme as he may specify therein.

(3) The scheme referred to in sub-rule (1) shall include, but not limited to, the following provisions, namely:-

- (i) initial training for the persons to be employed in the mines;
- (ii) refresher training for the persons already employed;
- (iii) training in case of introduction of new technology, equipment or change in work procedure;
- (iv) assessing current competencies of a person employed in the mine and prior learning, in establishing the person's training needs;
- (v) assessing the training needs of persons working in mines for the safe performance of the mining operations;
- (vi) appointing persons who are competent to give training and assess employees' competencies;

- (vii) keeping and auditing records of assessment undertaken and training imparted and;
- (viii) the relevant standards, modules or any other guidelines issued in this behalf by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time;
- (ix) course material on various topics for different categories of persons for delivering lectures in vocational training centre.

142. Constitution of the Board of Vocational training.—

(1) The Board of Vocational training shall consist of –

- (a) the Chief Inspector-cum-facilitator, who shall be its Chairperson, ex-officio ;
- (b) three members possessing technical qualifications in Mining or Petroleum engineering and having at least twenty years practical experience one each in coal mines, metal mines, and oil mines to represent each sector appointed by central Government;
- (c) two members possessing technical qualifications in Electrical engineering or Mechanical engineering or Allied engineering and having at least twenty years of practical experience in mines, appointed by Central Government;
- (d) two members serving in an institution imparting education in human resource management at graduation, post-graduation or equivalent level and having fifteen years of experience, appointed by central Government.

(2) Every member (other than the Chairperson) of the Board of Vocational training shall hold office for a period of three years from the date of the notification appointing him a member of the Board of Vocational training or until his successor is appointed and takes charge, whichever is later :

Provided that –

- (i) a member may at any time resign his office;
- (ii) a member appointed under clause (d) of sub-rule (2) shall cease to hold office upon his ceasing to serve in any such institution, as is referred to in that clause;
- (iii) a person appointed to fill a vacancy caused by reason of the death, resignation of a member, or by reason of ceasing of office under sub-clause (ii), shall hold office for the remaining period for which such member would have, but for such reason, continued as member.

(3) A person who holds, or who has held, office as member of the Board of Vocational training shall, subject to the other provisions of this rule, be eligible for re-appointment to that office not more than two terms.

(4) A member of the Board of Vocational training (other than the Chairperson) shall receive such remunerations as the Central Government may fix.

(5) An Inspector-cum-facilitator nominated in this behalf by the Chief Inspector-cum-facilitator shall act as Secretary to the Board of Vocational training, hereinafter referred to in this rules as the Secretary.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may, if satisfied that it is necessary so to do in the public interest, re-constitute the Board of Vocational training even though the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end.

(7) Meetings of the Board of Vocational training shall be held as and when the Chairperson considers them necessary and at least once in six months at a place decided by the Chairperson.

(8)(a) For every meeting of the Board of Vocational training, the Chairperson or Secretary shall give to every member who is not absent from India, a prior notice of not less than ten clear days, intimating the time and place of the proposed meeting.

- (b) The notice shall be sent by e mail or delivered at, or posted to the usual place of residence of the member, and each such notice shall be accompanied by a list of items of business to be disposed of at that meeting.
- (c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), in case of urgency the Chairperson may call at any time, an emergent meeting by intimating the members, only two days in advance, of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion at such meeting;

Provided that if at any meeting there is no quorum as specified in Sub-rule (12), the meeting shall stand adjourned to a date which is seven days later or if that day is a public holiday to the next working day. The time, place and agenda for the adjourned meeting shall remain unchanged.

- (d) Where the meeting stands adjourned for lack of quorum, it shall be lawful to dispose of the business at such meeting irrespective of the number of members attending.

- (9) (a) The Chairperson shall preside at every meeting of the Board of Vocational training.
- (b) If the Chairperson is absent for any reason, the Chairperson shall authorise a member to preside over the meeting, and the members so authorised shall, for the purposes of that meeting, have all power of the Chairperson.
- (10) No business shall be transacted at a meeting of the Board of Vocational training unless at least four members, including the Chairperson, are present.
- (11) (a) Every matter which the Board of Vocational training is required to consider shall be considered at its meeting, or, if the Chairperson so decides, by circulation of the papers, to every member who is not absent from India.
- (b) When any matter is referred to by circulation as aforesaid, any member may request that it should be considered at a meeting of the Board of Vocational training and the Chairperson may direct that it shall be so considered but when two or more members so request, the Chairperson shall direct that it shall be so considered at a meeting to be held.
- (12) (a) The Secretary shall place before the Board of Vocational training, a list of business to be transacted at the meeting.
- (b) No business which is not included in such list shall be considered unless the Chairperson permits.
- (13) (a) Every matter at a meeting shall be decided by the majority of votes of the members present at such meeting.
- (b) Every matter referred to the members by circulation under sub-rule (12) shall be decided by the majority opinion of the members to whom the papers were circulated, unless the Chairperson reserves it for consideration at a regular meeting to be held later.
- (c) In case of equal division of votes or opinions of the members, the Chairperson shall have a casting vote or opinion.
- (14) (a) The Secretary shall record the minutes of each meeting in a bound-paged book kept for the purpose and he shall circulate to all members present in India the copies of such minutes of the meeting.
- (b) The minutes so recorded shall be confirmed at the next meeting of the Board of Vocational training and signed by the Chairperson in token thereof.
- (15) (a) The Chairperson in addition to any other powers and functions conferred upon him under these rules, shall:-
- (i) present all important papers and matters to the Board of Vocational training at least ten days before the meeting;
- Provided that in case of urgency, the subject matter may be placed before the Board of Vocational training two days before the meeting.
- (ii) issue orders for carrying out the decisions of the Board of Vocational training;
- (iii) have power to refer, in his discretion, any matter to the Central Government for its orders; and
- (iv) have powers generally to take such action or pass such orders necessary to implement the decisions of the Board of Vocational training.
- (b) The Chairperson may, during his temporary absence by reason of leave or otherwise, authorize any member of the Board of Vocational training to perform all or any of the functions of the Chairperson during such absence.

143. Functions of the Board of Vocational training.— The Board of Vocational training may-

- (1) Constitute advisory committees to address any matter put before it and for specifying criteria for the mandatory establishment of independent vocational training centre by the owner of a mine, standard of training to the persons working in mines to maintain uniform standards.
- (2) Specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the quality of training to the persons, granting certificates by a system of assessment and evaluation.
- (3) Specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the competency of training officers, instructors, trainers and persons acting under them and specifying qualification and experience of training officers, instructors, trainers and persons acting under them.
- (4) Specify the scale of appointment and manner of training of Instructors and trainers.
- (5) Specify the system and standard of training centres, criteria for approval and suspension or cancellation of training centre and auditing and monitoring of all aspects of such training centers.

- (6) Specifying the manner of assessing training requirement of trainees and their post-training evaluation process.
- (7) Specify criteria for establishment of common training centre.
- (8) Prescribe fees required to be paid along with the application for approval of vocational training centre under these rules.
- (9) Prescribe remuneration or allowances to be paid to an Instructor, Trainer etc. under these rules.
- (10) Make provisions for any other matter concerning training of persons employed in mines, referred to the Board of Vocational training.

144. Scope and Standard for Vocational Training.— (1) The owner or agent of every mine shall ensure that every person to be employed in a mine shall, before he is employed, be imparted training as per the training scheme under this rule.

Provided that in case of a person who is already in employment in other mine, the owner shall ensure that such person is imparted training covering such additional course of training as specified under this rule.

145. Scope and standard for Refresher Training.— Every person in employment in a mine shall undergo the refresher training at least once in four years, as per training scheme.

Provided that the Chief Inspector-cum-facilitator may by order in writing and subject to such conditions as he may specify therein increase or decrease the interval of Refresher training at a mine.

146. Arrangement for refresher training.— The refresher training shall be so arranged that the persons shall undergo training during normal working hours on full day release system:

Provided that the Chief Inspector-cum-facilitator may by general or special order in writing subject to conditions as may be specified may exempt any mine from the provisions of this rule.

147. Special Training.— (1) In case new technology, equipment and system of work is introduced in the mine, the owner or agent or manager shall prepare and submit the training module, at least sixty days before such introduction, to the Chief Inspector-cum-facilitator, who may at any time, by an order in writing, require such modification in the training module as he may specify therein.

(2) Persons to be employed in aforesaid technology, equipment and system of work shall undergo training as per the training scheme specified under this rule, based on the aforesaid training module.

148. Training of persons after long absence or after an accident or change of job.— Wherever a person returns to employment in a mine, after an absence from work for a period exceeding one year or returns to work after being involved in a serious accident or in a dangerous occurrence which could have resulted in threat to life and safety, or is re-employed on a job which is different from what he had been performing earlier he shall undergo training before employment as per the training scheme specified under this rule.

149. Training Centre.—(1) The owner of every mine shall provide and maintain a training centre which shall be adequate for the purpose of imparting the training required to be undergone by the persons who are employed or to be employed in the mine:

Provided that the Chief Inspector-cum-facilitator may, by an order and for the reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as he may specify therein, authorize that a common training Centre may be provided and maintained in respect of two or more mines belonging to the same owner:

(2) The Chief Inspector-cum-facilitator may permit in writing, subject to such conditions as he may specify therein, a common training Centre owned and maintained by a group of owners for imparting training in more than one mine.

Provided that where a common training centre is established and maintained by a group of owner, the owners of those mines shall nominate one among them to assume the responsibility of owner of the common training centre for management, supervision, direction and control thereof and the nominated owner shall submit notice in writing to the Chief Inspector-cum-facilitator and the Inspector-cum-facilitator.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (2), the Chief Inspector-cum-facilitator may approve in writing, subject to such conditions as he may specify therein, a training Centre established under any other law for the time being in force subject to having such infrastructure and facilities as notified by the Chief Inspector-cum-facilitator for imparting training under these rules.

(4) Every application for approval under sub rule (3) shall be made in a proforma and accompanied by a fee prescribed by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-facilitator.

150. Arrangements for the training centre.— Every training centre shall have such staff, equipment's and other facilities as notified by the Chief Inspector-cum-facilitator.

151. Training Officer.— (1) Every training centre shall be placed under the charge of a whole time training officer, possessing qualification and experience, as specified by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time.

(2) It shall be the responsibility of the owner or agent of the mine or the owner of common vocational training as the case may be to appoint the training officer specified under sub-rule(1).

Provided that in case of an approved training centre, the person responsible for the management, control, supervision or direction of the training centre hereinafter referred to as owner of approved training centre, shall appoint the training officer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the training officer is unable to perform his duties by reason of temporary absence, illness or other cause, the owner, agent or manager, as the case may be, shall authorize in writing any other person having similar qualifications to act in his place.

Provided that no such authorisation shall have effect for a period exceeding thirty days, except with the previous consent in writing of the Chief Inspector-cum-facilitator and subject to such conditions as he may specify therein;

(4) A written notice of every appointment, discharge, dismissal, resignation or termination of service of a Training officer and of the date thereof shall be sent by the owner or agent to the Chief Inspector-cum-facilitator and the Inspector-cum-facilitator within seven days from the date of such appointment, authorization, discharge, dismissal, resignation or termination of service as the case may be.

152. Duties of Training Officer.— (1) It shall be the duty of the training officer:

- (i) to organise and supervise the training of every person undergoing training under him in pursuance of these rules;
- (ii) to recognize current competency and prior learning in establishing the training needs;
- (iii) to ensure training as per the modules or curriculum prepared under the training scheme for different categories of persons and ensure that the instructors deliver lectures on standard course material;
- (iv) to maintain records of the training given to every person and to furnish monthly reports to the mine manager on the progress of the persons undergoing training;
- (v) to maintain records of the supervision in respect of the practical training on actual operations and
- (vi) to discharge such other duties as may be necessary for the proper compliance of these rules.

(2) Every training officer shall keep a record of his work and shall, at the end of every year, forward to the Chief Inspector-cum-facilitator or Inspector-cum-facilitator having jurisdiction over the training centre, through the owner, agent or manager of the mine or the owner of a common or approved training centre as the case may be, a summary of the report of his work during the year.

153. Instructors.— The owner or agent of a mine or the owner of a common or approved training centre as the case may be, shall appoint sufficient number of instructors having qualification and experience to impart training in Vocational Training Centre.

Provided that, in special circumstances, officials may be called for from the mines, to deliver lectures and demonstrations at the training centre.

154. Trainers.— For the purpose of the practical training referred to in these rules, every person to be employed in a mine shall be placed under the direct supervision of an experienced person of an appropriate category, employed on operations and authorized by manager hereinafter referred to as trainer.

155. Qualification of instructors and trainers.—

- (1) No person shall function as an instructor or trainer unless he possesses qualification, training and experience as specified by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-facilitator from time to time.
- (2) Instructors and Trainers shall be skilled and experienced having aptitude required for training job.

156. Duties of Instructor.— The instructor shall:-

- (i) assess employees competency and deliver lecture on standard course material;
- (ii) maintain records of training given to every person and to furnish weekly report to the training officer on the progress of the persons undergoing training.

157. Duties of trainer and persons undergoing training.—

- (1) The trainers shall be responsible for the safety of the persons undergoing training under him.

- (2) The trainer shall see that the persons put under his charge for training, pick up work, understand the dangers inherent in the job and develop habits, which would ensure safety in mines.
- (3) The trainer shall see that the persons undergoing training, move within the mine along with him.
- (4) Every trainer shall see that the persons undergoing training under him, is aware of escape route from the sections where he is likely to work and other emergency response applicable to the trainee.
- (5) Every person undergoing training shall, whilst under training, comply with the directions of the trainer under whom he is put in charge.

158. Training allowance.—

- (1) Every trainer shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, a training allowance for every day a trainee has worked under his supervision as prescribed by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-facilitator.
- (2) Every Instructor, other than the instructor under regular appointment at the training centre shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager a training allowance for every day he has imparted training in Vocational Training Centre, as prescribed by the Board of Vocational training and notified by the Chief Inspector-cum-facilitator.

159. Certificate of training.—

- (1) Every person who undergoes a course of training specified in these rules shall, on completion of the training be assessed and subject to acceptable performance of the trainee, he shall be granted a certificate duly signed by the training officer, in form to be notified by the Chief Inspector-cum-facilitator.
- (2) Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any trainee, he shall report the same to the manager of the Mine, who may arrange to give him further training.
- (3) The Manager of every mine shall counter sign and specify date on the certificate after being satisfied of the successful completion of training.

160. Certificate to be delivered to the Management.— (1) Every person employed in a mine shall –

- (i) if he has obtained training certificates prior to such employment; and
- (ii) if he has obtained certificates during the course of employment, within such time as may be specified by the manager of the mine, deliver the certificate issued to him under these rules, to the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and issue a receipt for the same.

- (2) On the termination of employment, certificate deposited under sub-rule (1) shall be returned to the employee.

161. Inspection of Vocational Training Centre.— The Chief Inspector-cum-facilitator or other Inspector-cum-facilitator, authorised by him in his behalf or the Inspector-cum-facilitator may enter, inspect and examine any training centre or any part thereof and make such examination or inquiry as he thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made there under are being complied with.

162. Notice of closure or discontinuance of Vocational Training Centre.— When it is intended to close a training centre established under these rules or to discontinue the working thereof for a period exceeding sixty days, the owner, agent or manager of a mine or the owner of a common vocational training centre as the case may be, shall give a notice in the manner and form as may be notified by the Chief Inspector-cum-facilitator for the purpose, to the Chief Inspector-cum-facilitator and the Inspector-cum-facilitator stating the reasons for such closure or discontinuance, not less than thirty days before such closure or discontinuance:

Provided that the owner or the agent or the manager of the mines shall give notice forthwith when on account of unforeseen circumstances a training centre is closed or discontinued before the said notice has been given or without previous intention the discontinuance extends a period of sixty days.

163. Onus as to age under Section 117.—The Medical Authority shall be a medical practitioner as defined under Section 42 of the Code, who possesses any recognised medical qualification as defined in THE NATIONAL MEDICAL COMMISSION ACT, 2019 (30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, 36, 37 and 40 of the Code.

164. Procedure of inquiry and other related matters under sub-section (4) of section 121.—

- (1) Wherein any workplace an accident causing death or serious bodily injury takes place or there is an occurrence of any dangerous occurrence or cases of any occupational disease as specified in the Third Schedule to the code has been reported or is suspected to have been contracted, the central government, as the case may be, appoint one or more persons possessing legal or special knowledge to act as assessors or competent persons in such inquiry in order to inquire into the causes of the accident or occupational disease.

(2) The competent person appointed under sub-rule (1) shall carry out the inquiry into the causes of the accident or dangerous occurrence alongwith identification of the hazardous condition for which he has reasonable evidence to conclude and to be recorded in writing in the inquiry report, has caused the accident or the dangerous occurrence and also identify the persons which he believes, based on his findings, to be responsible for such occurrence.

(3) The inquiry report shall contain conclusive findings of the inquiry alongwith the recommendations for prevention of such accidents or dangerous occurrences or occupational diseases containing suggestions for implementation to prevent re-occurrence.

(4) In case of dock work, any competent person appointed by the Central Government for the purposes of inquiring into the causes of any accident, dangerous occurrence or occupational diseases connected with the dock work under the provision of section 121 of the Code shall make the inquiry in the following manner:

(a) date, time and place of holding the inquiry shall be fixed and may be varied, notice of which shall be given not less than 30 days in writing of such date, time and place to every person entitled to appear at the inquiry whose name and address are known to the competent person:

Provided that,—

(i) with the consent of all such persons, the competent person may give such lesser period of notice as shall be agreed to with those persons; and

(ii) where it becomes necessary or advisable to vary the time or place fixed for the inquiry, the competent person shall give such notice of the variation as may appear to it to be reasonable in the circumstances.

(b) The notice given under paragraph (a) of this rule shall state the name of the competent person and the names of assessors, if any, appointed to assist the competent person in the inquiry.

(c) Without prejudice to the foregoing provisions of this rule, the competent person shall also for the purpose of notifying to the persons who may in any way be concerned with the subject-matter of the inquiry, take one or more of the following steps, namely:—

(i) publish notice of the inquiry in one or more newspapers, including where appropriate, newspapers circulating in the locality/area in which the subject-matter of the inquiry arose; and

(ii) give such other notice of the inquiry as appears to the competent person to be appropriate; and the requirements as to the period of notice contained in paragraph (a) of this rule shall not apply to any such notices.

165. Persons to appear at inquiry.—(1) The person entitled to appear at the inquiry shall be—

(a) any competent person under section 2(1);

(b) any enforcing authority concerned;

(c) any employers' association or trade union of employees;

(d) any person who was injured or suffered damage as a result of the accident, occurrence, situation, disease or other matter which is the subject of the inquiry, or his representative;

(e) the owner of any premises in which the accident, occurrence, situation or other matter occurred or arose;

(f) any person carrying on work giving rise to the accident, occurrence, situation or other matter which is the subject of the inquiry; and

(g) any other person at the discretion of the appointed competent person.

(2) The following shall represent at the inquiry, namely:—

(a) a corporate body may be represented by its secretary or by any other officer appointed for the purpose, or by counsel or solicitor;

(b) a Government department, an employers' association or a trade union may be represented by a counsel or a solicitor;

(c) where there are two or more persons having a similar interest in the matter under inquiry, the competent person may allow one or more persons to appear for the benefit of some or all persons so interested.

(3) The competent person appointed by the Central Government under section 121 of the Code, may, either of his own motion or on the application of any person entitled or permitted to appear, cause to be served on any person appearing to him to be likely to be able to give material evidence or to produce any document likely to be material evidence, a notice requiring that person to attend at the inquiry at the time and place specified in the notice to give evidence or produce the document.

(4) A person on whom a notice is served under sub-rule (3) may apply to the competent person either at or before the inquiry to vary or set aside the requirement, and where he does so before the inquiry, he shall give notice of his application to the person, if any, who applied for the notice under sub-rule (3) to be served.

(5) Except as otherwise provided in these rules, the procedure at and in connection with an inquiry shall be at the discretion of the competent person who shall state at the commencement of the hearing the procedure which, subject to consideration of any submission by the persons appearing at the inquiry, he proposed to adopt and shall inform those persons what he proposes as regards any site inspection arising out of the hearing.

(6) In case of mines, the persons appointed to hold inquiry under section 121 shall hold the inquiry in public in such manner and under such conditions as the Court thinks most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accident or other occurrences and for enabling the Court of inquiry to make the report.

(7) If a court of inquiry finds that the accident was due to any carelessness or negligence on the part of the management, the court may direct the recovery of the expenses of such court including any expenses incurred with the previous sanction of the court and any other expenses connected with the enquiry which the court may direct as recoverable from the owner of the mine concerned, in such manner and within such time as the court may specify.

(8) The amount directed to be recovered under sub rule (1) may, on application by the Chief Inspector-cum-facilitator or an Inspector-cum-facilitator to the concerned authority, be recovered from the owner or employer or occupier.

(9) An Inspector-cum-facilitator nominated in this behalf by the central government, shall act as the Secretary to the Court of inquiry.

(10) The inquiry or the survey, as the case may be, shall be completed and submitted to the central government, within a period of three months from the date of the order through which it is constituted.

166. Procedure of survey and other related matters under sub-section (4) of section 121.-

The Central Government may direct DGOSH or DGMS or any other institution under the control of the central Government, to appoint a committee to undertake a survey on the situation relating to safety and health at work at any workplace or class of workplaces or into the effect of work activity on the health of the employees and other persons within and in the vicinity of the workplace in the following manner:

- (a) A committee to be constituted by DGOSH or the institution under the chairmanship of DGOSH for carrying out the survey.
- (b) The committee shall carry out the survey with a view to finding out the status of safety and health at work the workplace and its effect on the workers.

The report of the committee shall be of status of an inspection report and contain conclusive findings of the survey alongwith the recommendations for improving the status of occupational safety and health for prevention of accidents or dangerous occurrences or occupational diseases and containing suggestions for implementation therefor compliance of which shall be ensured by the inspector-cum-facilitator, as the case may be.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTIES

167. Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of section 114.-(1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a compounding notice for the offences for which are compoundable under section sub-section (1) of section 114.

(2) The person so noticed may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one months before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with before the competent Court.

(5) no prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under Section 114.

FORM-I
(See Rule-3)

Application for Registration for existing establishments/New Establishment/Amendment to certificate of Registration

A. Establishment Details.

1. Retrieve details of Establishment through LIN:
2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
4. Others details of Establishment:
 - a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
 - b. Total Number of the contract employees engaged:
 - c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

5 (b) For mines:

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

5 (c) For Dock work:

Name of dockWork / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

5 (d) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

6. Ownership Type/Sector:
7. Activity as per National Industrial Classification:
8. Details of Selected NIC Code:
9. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authorityetc :
2. Designation :

3. Father's/ Husband's Name of the Employer :
4. Email Address, Telephone& Mobile No :

C. Manager/ Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/ Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No :

D. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address& Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement / Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

E. Others Details:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Dated:-

Place:-

FORM-II**(See Rule-3(1))****Certificate of Registration of Establishment**

Registration No.

Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (....of 2020) to..... (Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

- | | |
|---|--|
| (a) Factory | (b) Mining |
| (c) Dock work | (d) Contract Work |
| (e) Building and Other Construction Works | (f) any other work (not covered above) |

2. Details of the establishment:

- a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
- b. Total Number of the employees engaged through contractor
- c. Total Number of Contractors and their details:
- c. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 (a) For factories

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

3 (b) For mines

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

3 (c) For Dock work

Name of Dock Work / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

3 (d) For building and other construction work

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

4. Amount of registration fee paid.....
5. Remarks of registering officers

/Signature E -Sign/DSC of Registering Officer
along with designation

Place:

Date:

Conditions of Registration

- (1). Every certificate of registration issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:
 - (a). the certificate of registration shall be non-transferable;
 - (b). the number of workers employed in an establishment directly and contract employees shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and
 - (c). Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.
- (2). The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers or the conditions of work to the registering officer within 30 days
- (3). The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of establishment such work in **Form IV** annexed to these rules electronically.
- (4). A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-III**(See Rule-3(8))****Register of Establishment**

SI. No.	Nature of work	Registration No. and Date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horsepower (if any)	Total number of contract Workers	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	
	(a) Factories (b) Mines (c) Dock Work (d) Building and other Construction work (e) Contract work (f) Interstate Migrant Work (g) Any other work (not covered above)						

FORM-IV**(See Rule-3(9) and Rule- 5)****A- Notice of Commencement / cessation of Establishment:**

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name & Designation of employer/ Port authority (who has ultimate control over the affairs of the establishment :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-
6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:-
7. in case of cessation, the date of cessation:

I/We hereby intimate that the work of establishment having registration No.
dated is likely to
 commence/cessation is likely to be completed with effect from
 (Date)/ On (Date)

In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,

The Inspector-cum-Facilitator

FORM-V**(Rule-6)**

The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per following proforma:

A. Demographics:

Question	Answer	Remarks
Date:		
Name of the Worker:		
Age:		
Permanent Address:		
Gender:		
Total Number of family Members:		
Total monthly family Income:		
Is the employee under ESI (Employees' State Insurance) Scheme? If yes, provide IP Number.	Yes/No	
Is the employee under any other health scheme apart from ESI-Scheme? (If yes, provide the name of the scheme)	Yes / No	

B. Occupational History

Question	Answer	Remarks
Present Designation:		
Work Profile:		
Duration of service in the present work profile:		
Working Hours per shift:		
Night Shift Per Week:		
Night Shift per Month:		

C. Brief Review of Medical History: Diagnosed previously or currently under treatment or Currently suffering from

Question	Answer (Yes/No)	Remarks
Anaemia		
Jaundice		
Asthma		
COPD		
History of Any other Lung Disease: (If Yes, Please Specify)		
Vertigo/Dizziness		
Diabetes Mellitus		
Hypertension		
Any Cancer (If Yes, Please Specify the Cancer)		
Chronic Low Back Pain		
Chronic Pain in hand or Elbow		
Hernia		

Hydrocele		
Varicose Vein		
Haemorrhoids		
History of amputation/fracture/dislocation injury during work (If Yes, please specify)		
Dermatitis (If Yes, specify Site)		
Hearing Impairment		
Visual Impairment		
Any Major Illness requiring hospitalization in last 1 year (If Yes, Name of the Disease)		
Occupational Injury in Last 1 year: if yes Specify the Location of injury and frequency		

D. Current Symptoms-Diseases Module

Question	Answer (Yes/No)	Remarks
Smoking habit		
Chewing Tobacco or Pan Masala or Gutkha:		
Alcohol Addiction		
Dermatosis (Irritant Contact Dermatitis/Eczema/Chloracne/Allergic Contact Dermatitis):		
Mucosal Irritation of eyes/Nose/Throat with response to chemical agent or biological agent:		
Symptoms like Respiratory Difficulty/ Chest Tightness/ Dry Cough at beginning of shift:		
Currently suffering from TB:		
Jaundice or Hepatitis:		
Currently suffering from Low Back Pain		
Currently suffering from Pain in hand or Elbow:		
Currently suffering from Visual Problems		
Currently suffering from Hearing Problems		
Any current injury (amputation/ fracture/ dislocation)		
Any current musculoskeletal sprains/ strains		

E. Physical Examination

Date of Examination:

Question	Answer (Yes/No) or as appropriate	Remarks
General Skin Condition: (If Any Dermatitis, please mention its location)		
Weight (in Kg):		
Height (in Meter)		
Temperature (⁰ F):		
BP:		

Pulse:		
SpO2:		
Respiratory Rate:		
Examination of Breast of female-employee		

F. Investigation Report

- **Routine Blood Investigation: Attach the photocopy of the report**
- **Blood Grouping & Rh Typing and HB Electrophoresis Once in a lifetime**

Parameter	Answer (Normal/Increase/Decrease)	Value
Hb%:		
Total WBC Count and Differential Count:		
Platelet Count:		
ESR:		
FBS:		
PPBS:		
HBA1C level		
BUN:		
Creatinine:		
Total Protein		
Albumin		
Globulin		
SGOT		
SGPT		
Bilirubin		
Urine RE		
Urine ME		
Prostate Specific Antigen (PSA)		

G. Standard Chest X Ray (PA) View: attach the photocopy of the report**Date:**

Parameter	Answer (Normal/Abnormal)	Value (if any importance)
Report		

Report:

H. Spirometry: attach the photocopy of the report (For mine employee)**Date:**

Parameter	Answer (Normal/Increase/Decrease)	Value
PEFR:		
FEV ₁ :		
Observed:		

Predicted:		
FVC:		
Observed:		
Predicted:		
FEV ₁ /FVC:		
Final Report: Normal / Obstructive Lung Disease/ Restrictive Lung Disease/ Mixed Lung Diseases		

I. Audiometry (Pure Tone / BERA): attach the photocopy of the report (For Mine Employee)

Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like wax in external ear, infection etc	
Right Ear Hearing Threshold:	
Left Ear Hearing Threshold:	
Final Report preferable based on BERA:	
Right Ear:	
Left Ear:	

J. Eye Examination: attach the photocopy of the report

Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like corneal opacity/scarring, cataract etc.	
Visual Acuity: Right	
Visual Acuity: Left	
Colour Vision	
Field of Vision	
Binocularity	
Lateral Phoria	
Vertical Phoria	
Stereoscopic Vision and Depth Perception Testing	
Fundus (Retina) examination	

K. 12 lead ECG and Echocardiography:

Final Report:

L. MEDICAL FITNESS TESTS FOR PERSONS WORKING AT HEIGHT (as may be applicable):

1. Detailed Medical History and in-Depth General Medical Examination including tests for Vision, Hearing, Musculoskeletal System, Respiratory System, Cardiovascular System etc.

As applicable to all employees

2. Special Examination

a) Cardiovascular

Uncontrolled hypertension or ischemic heart disease will be a contraindication. In the presence of hypertension and abnormal ECG findings, the employee should be referred to a Cardiologist for fitness.

b) Tests for Labyrinthine functions and for sense of position Eye Examination for Bilateral Nystagmus, Romberg sign.

The presence of bilateral nystagmus and a positive Romberg sign will be an absolute contra-indication.

c) Neurological examination Evaluate seizure disorders: CT Scan of Brain and E.E.G if indicated

d) Assessment of Diabetic Control Status:

(in case of employees suffering from Diabetes Mellitus)

e) Assessment of Phobia (Acrophobia) and any other Mental Health Disorder like Anxiety or Depression

d) Evaluation for Vertigo and Dizziness

For use of Industrial Safety Section:

Walking freely over a horizontal bar at 1 ft. height: PASS / FAIL

Wearing a safety belt and tying the rope knot: PASS/ FAIL

Walking over a horizontal structure at 9 ft. height wearing a belt: PASS/ FAIL

General physique (O.K./NOT O.K): PASS/ FAIL

M. Any other information/examination/biological investigation/test as mutually agreed by the employer and qualified medical practitioner.

FORM-VI

(See Rule-8)

NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number : E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of works / premises
where the accident or dangerous
occurrence took place :

3. Nature of industry and
LIN of the establishment :

4. Branch or department and
exact place where the accident or
dangerous occurrence took place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Sex :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the
injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident
or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person
started work on the day of
accident or dangerous occurrence :

(b) whether wages in full or part are
payable to him for the day of the
accident or dangerous occurrence :

10. (a) Cause or nature of accident
or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

- (i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :
- (ii) state whether it was moved by mechanical power at the time of accident or dangerous occurrence :
- (c) State exactly what the injured person was doing at the time of accident or dangerous occurrence :
- (d) In your opinion, was the injured person at the time of accident or dangerous occurrence -
 - (i) acting in contravention of provisions of any law applicable to him; or
 - (ii) acting in contravention of any orders given by or on behalf of his employer; or
 - (iii) acting without instructions from his employer?

(e) In case reply to (d) (i), (ii) or (iii) is in the affirmative, state whether the act was done for the purpose of and in connection with the employer's trade or business. :

11. In case the accident or dangerous occurrence took place while travelling in the employer's transport, state whether -

(a) the injured person was travelling as a passenger to or from his place of work; :

(b) the injured person was travelling with the express or implied permission of his employer; :

(c) the transport is being operated by or on behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with the employer; and :

(d) the vehicle is being/not being operated in the ordinary course of public transport service :

12. In case the accident or dangerous occurrence took place while meeting emergency, state- (a) its nature ; and

(b) whether the injured person at the time of accident or dangerous occurrence was employed for the purpose of his employer's trade or business in or about the premises at which the accident or dangerous occurrence took place. :

13. Describe briefly how the accident or dangerous occurrence took place :

14. Names and addresses of

witnesses : (1)
(2)

15. (a) Nature and extent of injury

(e.g. fatal, loss of finger,
fracture of leg, scald, scratch
followed by sepsis, etc.) :

(b) Location of injury (e.g. right leg,
left hand, left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous
occurrence was not fatal, state
whether the injured person was
disabled for more than 48 hours :

(b) date and hour of return of work :

17. (a) Physician, dispensary or hospital from
whom or which the injured person
received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor
elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of dispatch of report :

Place:

FORM-VII

[See Rule-57]

NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment.....Place.....District.....

Periods of work Groups, Relays	Men												Women												Description of Groups, Nature of work	Remarks
	Total no. of men employed												Total no. of women employed													
	A			B			C			D			E			F			G			H				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working days

From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited :

Signature of manager or agent :

Date :

FORM-VIII**(See Rule-58)****REGISTER OF WORKERS EMPLOYED IN AN ESTABLISHMENT, WAGES, OVERTIME, FINE, DEDUCTION FOR DAMAGE OR LOSS****Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss**

Name of the Establishment:

Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sr. no. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hoursworked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-IX**(See Rule-60)****ANNUAL RETURN****UNIFIED ANNUAL RETURN FORM****FOR THE YEAR ENDING.....**

Single Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Code on Industrial Relations, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Code on Wages, 2019

Instructions to fill up the Annual Return

- (1) This return is to be filled-up and furnished on or before 28th or 29th February every year.
- (2) The return has two parts i.e. Part-I to be filled up by all establishments.

- (3) Part-II to be filled-up by the establishments who are a Mine only in addition to Part-I.
- (4) The terms Establishment and Mines shall have the same meaning as under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
- (5) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers and in case of Mines even if there is one worker employed in the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I**A. General Information:**

Sl. No.	Instructions for filling the column		
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID		
5.	Telephone No.		
6.	Mobile number		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		
11.	Pin code		
12.	Geo Co-ordinates		
B(a).	Hours of Work in a day		
B(b).	Number of Shifts		

C. Details of Manpower Deployed

Details	Directly employed				Employed through Contractor				Grand Total
Skill Category	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iii) Migrant Worker out of (ii) above	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iv) Number of fixed term employee engaged	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	

D. Details of contractors engaged in the Establishment:

Sl. No.	Name with LIN of the Contractor	No. of Contract Labour Engaged

E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)	Instructions for filling
1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where in hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2.	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
3.	Ambulance Room (as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to mine, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020.	Tick yes or no in the box	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250 workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers and in case of BoCW 250 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner (as per Section 12 (2) of OSH Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:					Instructions for filling
1.	Is the Works Committee has been functioning. (section 3 of IR Code, 2020)			Yes/No	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.				
2.	Whether the Grievance Redressal Committee constituted (section 4 of IR Code, 2020)			Yes/No	Industrial establishment employing 20 or more workers are employed
3.	Number of Unions in the establishments.				
4.	Whether any negotiation union exist (Section 14 of IR Code, 2020)			Yes/No	
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)			Yes/No	
6.	Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
Discharged		Dismissed	Retrenched	Terminated or Removed	Grand Total
7.	Man-days lost during the year on account of				
Sl. No.	Reasons		Period / Date	No. of man-days lost	Loss in term of money
(a)	Strike				
(b)	Lockout				
8.	Details of retrenchment / lay off				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the	Details of payment paid to retrenched	No. of workers laid off during	No. of man-days lost due to lay-off	

	period	employees	the period		

G. Details pertaining to maternity benefit:

No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:

Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:

Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Mandays and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence

Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Mandays lost	Production Lost

ANNUAL RETURN FORM IN CASE OF MINES ONLY, Part II

Annual Returns for the year ending on the 31st December.....

1. Particulars of the mine

(i)	Type of organization*	
(ii)	Type of ownership**	
(iii)	Company name/ Owner name	
(iv)	Type of mineral #	
(v)	Name of mineral	
(vi)	Type of mine###	
(vii)	Degree of gassiness***	
(viii)	Depth of working (Select for different workings)	
(ix)	Date of opening	
(x)	Date of closing (if any)	
(xi)	Date of reopening (if any)	

Company; *** Mention: I or II or III or NA; # Mention: Coal/Metal/Oil; ## Mention: Below Ground/Open Cast/ Above Ground/On Shore/Off Shore.

Sl. No.	Designation#	No. Required	No. Available	Shortage/ Surplus

[illegible]

[illegible]

Table B: Metalliferous Mines

Classification	Departmental												Contractual												Total											
	No. Of persons employed (on roll as on 31 st December				Total mandays worked				Average daily number of persons employed				No. Of persons employed (on roll as on 31 st December				Total mandays worked				Average daily number of persons employed				No. Of persons employed (on roll as on 31 st December				Mandays worked (Departmental+Contractual)				Average Daily Employment (Departmental + Contractual)			
	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
(a) Underground																																				
Officers																																				
2. Mine Foreman, Mining Mate, Blaster, Electrical and Mechanical supervisors																																				
3. Workers																																				
4. Others																																				
5. Underground Total {a(1)+a(2)+a(3)+a(4)+a(5)}																																				
6. Maximum no. Of persons including contractual employees employed on any one day during the year																									Date:_____				No. Of Persons:_____							
(a) Opencast																																				
1 Officers																																				
2.Mine foreman, Mining Mate, Blaster, Electrical Supervisor and Mechanical Supervisor																																				
3. Workers																																				
4. Others																																				
5. Opencast Total {b(1)+b(2)+b(3)+b(4)+b(5)}																																				
6. Maximum no. Of persons including contractual employees employed on any one day during the year																									Date:_____				No. Of Persons:_____							

Table C : Oil Mines

[illegible]

Table A : Coal Mines

Table B: Metalliferous Mines

[illegible]

Table C: Oil Mines

Item No.	Type of Product	Opening Stock on 1 st Jan	Production	Values (in Rupees)	Dispatches			Closing Stock as on 31 st Dec
					To Refinery	To market	For in-house Consumption	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Oil (in Metric Tonnes)							
2.	Gas (in Metric Tonnes)							

5. Explosive used:

Consumption of explosives		Underground	Opencast	Total
(a)	Permitted explosives (Kg)			
(ii)	Non-Permitted explosives (Kg)			
(iii)	Total (i+ii)			
(iv)	Detonators (in Nos.)			

6. Machinery and Equipment**a. Aggregate horse-power of machinery and equipment installed in the mine**

Place	Electrical operated machinery (KW/HP)	Oil/Natural gas/steam/any other (KW/HP)	Compressed air operated machinery (KW/HP)	Total (KWHP)
Underground*				
Opencast*				
Aboveground*				
On shore*				
Off Shore*				
Total (HP)				

*- Delete whichever is not applicable

b. Voltage(s) at which electricity is used for lighting and machinery

S.No	Voltage		Installed Capacity(KW)	

c. Machinery used in underground mine (for coal & metal mines)

Winding Engine		Man-riding other than winding		Other Transport		Coal/Ore cutting/Ripping/Shearing		Drilling and Loading Machines		Compressors and Pumping		Conveyors		Mechanical Ventilator (Underground)/Aboveground		Coal Handling/Mineral dressing Plant		Other Machinery		Total	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
HP.	No	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.

*- Delete whichever is not applicable

d. Machinery used in Opencast mine (for coal & metal mines)

Material Transport		Other Transport		Coal/Ore cutting/Ripping/Shearing		Drilling Machines		Loading Machines		Compressors		Conveyors		Pumping		Coal Handling / Mineral dressing Plant (Above ground)		Other Machinery		Total	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP	No.	HP

*- Delete whichever is not applicable

7. Details of drilling and other rigs, oil wells and gas wells and pipelines; exploration rigs & workover rigs (for Oil Mines):

a. Drilling and other rigs, oil wells and gas wells and pipelines:

Item No.	Classification	Number of Rigs			Total No. of Rigs in use
		Company Owned	Hired	O & M basis	
1.0	Drilling, workover and other rigs				
1.1	Drilling				
1.2	Workover				
2.0	Oil, gas and other wells				
2.1	Wells drilled				
2.2	Wells abandoned				
2.3	Gas wells completed				
2.4	Oil wells completed				
2.5	Gas wells on production				
2.6	Oil wells on production				
2.7	Oil wells where production discontinued				
3.0	Pipelines	Length (in meters)			Diameter (in meters)
3.1	Flow lines laid from wells to gathering station				
3.2	Pipelines laid from gathering station to central processing & storage tanks				
3.3	Others (specify)				

b. Exploration rigs & Workover rigs

Exploration rigs:				Workover rigs:		
Name of the drilling- rig	Date of commissioning	Number of wells drilled during the year	Total meters drilled since its commissioning	Name of the workover rig	Date of commissioning	Description of work done during the year

8.0 Medical Examination & Training**8.1 Initial/periodical medical examination (IME/PME) conducted during the year**

Number of persons employed			Number of persons required to undergo IME			Number of persons undergone IME			Number of persons required to undergo PME			Number of persons undergone PME			Number of persons declared medically unfit			Number of persons given special/higher medical treatment		
Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total

8.2 Occupational diseases

Sl No.	Disease Name	No. of cases	
		Departmental	Contractual
1.	*		
2.	*		
Total			

Note: * Mention diseases specified under Third schedule of the OSH & WC Code, 2020 connected with mining operations, whichever is applicable.

8.3 Vocational training imparted during the year

Number of persons employed			Number of persons required to undergo Basic Vocational Training			Number of persons imparted Basic Vocational Training			Number of persons required to undergo Refresher Training			Number of persons imparted Refresher Training			Number of persons imparted special Training		
Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total	Departmental	Contractual	Total

9.0 Accident and Dangerous Occurrence statistics

	Fatal Accidents			Serious Accidents		Reportable Accidents		Minor Accidents		Dangerous Occurrences	
	No. of accidents	No. of persons killed	No. of persons seriously injured	No. of accidents	No. of persons seriously injured	No. of accidents	No. of persons Injured	No. of accidents	No. of persons Injured	No. of Occurrences	Nature of Occurrence [#]
Underground*											
Opencast*											
Aboveground*											
On Shore*											
Off shore*											
Total											

*- Delete whichever is not applicable; #- Select from List of Dangerous occurrence given in Mines Regulations

10. Safety Management Plan:

A. Review, audit and SOP:

- (i) Last date of review of Safety Management Plan:
- (ii) Last date of audit of Safety management Plan:
- (iii) No. of SOP framed and implemented as per Safety Management Plan:

B. Principal Hazard Management Plan:

Sl. No.	List of principal hazards identified	Principal hazard mitigation date as per Safety Management Plan	Status of principal hazard as on 31 st December**	Remarks in case principal hazard has not been mitigated till date with reasons for failure to mitigate the same
1.	*			
2.	*			
3.	*			

Note : Add rows as per requirement; * Mention principal hazards; ** Write “Mitigated” or “Not Mitigated”**11. Mines Rescue Station:**

- (i) Location of the Mines Rescue Station:
- (ii) Address of the Mines Rescue Station:
- (iii) Name of the Superintendent of Mines Rescue Station:
- (iv) Postal address, email ID and Mobile Number of the Superintendent of Mines Rescue Station:
- (v) Details of equipment/apparatus and personals

Type of equipment/Apparatus provided in Mines Rescue Stations/Mines Rescue Rooms	Number provided	Personals	Number provided
		Superintendent	
		Instructors	
		Rescue brigades	
		Number of Rescue Rooms	
		Rescue room in-charge	
		Number of underground mines served by the rescue station	
		Number of rescue trained persons	
		Number of rescue trained persons given refresher practice	
		Number of rescue trained persons medically examined	

(vi) Particulars of emergencies attended:

Certified that the tables in prescribed format are duly filled in and information and/ figures given in all the tables are correct to the best of my knowledge.

Signature of Owner/Agent/Manager with seal

Place:

Dated:

FORM-X**(See Rule-61)****REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES**

Name of Injured person (if any)	Date of Accident or dangerous occurrence	Date of report to Inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured Person to work	Number of days the injured Person was absent from work
1	2	3	4	5	6

FORM-XI**[See Rule-62]****REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES**

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment:

Name of worker :

Department :

Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service	Interruptions					Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Remarks
			Sickness and accidents	Authorized Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	Others					Date of Discharge	Date & amount of payment made in lieu of leave due	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note:- Separate page shall be allotted to each worker**FORM -XII****(Rule-64)****IMPROVEMENT NOTICE AND PROHIBITION ORDER****PART I****PROHIBITION ORDER**

Inspector-cum-facilitators Notice on Inspection of Establishment, Lifting Appliance, Loose Gears and other such gears, Equipment, Ladders and Staging. Inspector-cum-Facilitator's notice to the occupier, employer, owner, master, Officer-in-charge, Owner of lifting appliances, loose gears and lifting devices or the person, scaffold who, by himself, his agents, or his employers as the case may be.

Name of the establishment, lifting appliance, lifting device, transport equipment, ladders and staging	Where situated lying/used/location	Registration no. of the establishment	LIN No. of the establishment
1	2	3	4

An inspection of the above named establishment, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and staging was made on _____.

The activities connected with establishment-which are being carried on by you/about to be carried on by you/under your control involve a risk or danger to the life. Safety and health of employee and involve the following contraventions :

CONTRAVENTIONS

Therefore, I hereby direct that the said activities shall not be carried on by you or under your control unless the said contraventions and matters mentioned have been remedied to the satisfaction of the Inspector-cum-Facilitator. This order is being issued without prejudice or any legal action which may be taken for these contraventions.

On hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance, loose gear or similar gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold shall again be visited with a view to the inspection being completed.

No. _____

Dated at _____ this _____ day of 20 _____

Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

REQUIREMENTS

On compliance with all or any of the above contraventions, the Inspector-cum-Facilitator shall be informed in the manner prescribed overleaf, of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____ this day of _____ 20_____	Employer, Occupier, Owner, Manager, Master, Officer-in-charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

PART - II

Improvement Notice

Inspector-cum-Facilitator's notice to the employer, Owner, Master, Manager, Officer-in-Charge or Agents, Owner of lifting appliances, loose gears lifting devices, scaffold or the person, who, by himself, his agents or his employers, carries on the establishment, as the case may be.....

Name of the establishment, lifting appliances, loose gear, lifting device, transport, equipment, ladders and stagings, scaffold;	Where situated/lying used/location	Port of Registry	Official no.(if any) of the ship

An inspection of the above-named establishment, ~~deck~~ ship, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and stagings, scaffold was made on

The following contraventions were observed. You are required to remedy the said contraventions and send the compliance report in writing within..... days.

This notice is being issued without prejudice to any legal action which may be taken for these contraventions on hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance/loose gear or similar other gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold will again be visited with a view to the inspection being completed.

Contraventions No. _____ Dated _____ this _____ day of _____
20____ Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

Requirements. On compliance with all or any of the requirements, the Inspector-cum-Facilitator should be informed in the manner prescribed overleaf of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

The requirements noted by you have been effectively fulfilled. The establishment, lifting appliance, loose gear, lifting devices, transport equipment, ladders and staging, scaffold will be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____ this day of _____ 20_____	Employer, occupier, Owner, Master, Manager, Officer-in-charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who, by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupation Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

FORM-XIII

(Under Rule-71 and 72)

APPLICATION FOR LICENSE

On Line Application for License/ Renewal of License/Amendment of License (including Common/single license)	
Government of India, Ministry of Labour and Employment	
ESTABLISHMENT PROFILE:	
Labour Identification Number	Date
Acknowledgement Number: Date of Application:	
I. Particulars of Establishment for which licence required:	
1. Name of Establishment:	
2. Address of establishment	
(a) Head Office address along with email Id :	
(b) Corporate office address along with email Id:	
3. Telephone Number :	
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)	
5. Details of selected NIC Code:	
6. Nature of work carried on in main establishment :	
7. Identifier of the Establishment : (Select) : esign/digital sign	
II. Details of Employer:	
1. Full Name of Employer:relationship with establishment.	
2. Full Address of Employer:	

3. Email Id of employer:

4. Mobile No. of employer:

III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2		3	4	5	6

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date: 24

6. Amount of Licence Fee: **INR** (Transaction Id :)7. Amount of Security Deposit: **INR** (Transaction Id :)**IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED , (IF APPLYING FOR)**

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed
1	2	3	4	5	6	7

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6	7

Signature of Contractor

(eSign/DSC)

Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal.**APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE**

1. Licence No. Date :

2. LIN & PAN

2. Name and address of the establishment:

3. Date of expiry of previous licence :

4. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:

5. Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt): Amount date of payment :

E-sign /digital sign of the employer/contractor date:

APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :	
1. Licence No	Date:
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4.Details for which amendment is sought :	
(a). Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:	
(b). Details of fees paid through e payment date on which made :	
©. Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)	

E-sign /digital sign of the employer/contractor

date of application.

FORM-XIV**(Under Rule-73)****PROFORMA OF LICENSE**

Licence No. -----

Reg. No. -----

Date of Reg. -----

Licence is hereby granted to -----

for the premises known as -----

situated at -----

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ----- 20..

Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour /workers on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

FORM-XV**(Under Rule-83)****EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE**

<u>To whom so ever concerned</u>	
1.	Name of contractor/employer*:
2.	LIN/PAN No. of the contractor/employer *:
3.	Email Id of the contractor /employer *:
4.	Mobile No. of the contractor/employer *:
5.	Nature and location of work:
6.	Name of Principal Employer*:
7.	LIN/PAN No. of the Principal Employer :*
8.	Email Id of the Principal Employer : *
9.	Mobile No. of the Principal Employer :*
10.	Name of the worker*:
11.	UAN / Aadhaar No.:
12.	Mobile No. :
13.	Serial Number in the Employee Register :
14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:	
15.	Period of Employment:
16.	Designation:
Seal and Signature of Contractor	
*Please strike off whichever is not applicable.	

FORM-XVI**(Under Rule-88)****Agreement between Producer and Audio-visual worker**

This agreement is made on this day monthyear..... between Messers..... having office at (hereinafter referred to as the “Producer”) on the first part and Shri/Smt/Kumson/daughter/wife of Shri residing at (hereinafter referred to as the “audio-visual worker”) on the second part. The terms ‘Producer’ and ‘audio-visual worker’ shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual and this period shall not exceed consecutive months.
2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.

3. That inconsideration of the audio-visual worker services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive a sum of Rs.(Rupees) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs.payable in equal installments.
4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.
5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.
6. That the audio-visual worker shall, if so required,
 - (a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs.per hour or part thereof for such early attendance.
 - (b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.
8. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.
9. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.
10. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.
11. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-
 - (a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension therefrom ; or
 - (b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.
12. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be titled to employ another audio-visual worker in his/her place.
13. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

14. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

15. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

16. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

17. That the Producer shall also pay for all traveling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

18. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

19. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as form the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

20. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be entitled to employ another audio-visual worker in his/her place.

21. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are provide before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favor of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

22. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audio-visual workers whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

23. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

24. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

25. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

26. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

27. That the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

28. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer
Name Address	
2. Witness	audio-visual worker

Name Address

[F. No. S-65025/01/2020-ISH-II]

GOPAL PRASAD, Economic Adviser